खण्ड-447, अंक-6
मंगलवार, 18 अग्रहायण, शक संवत् 1925
(9 दिसम्बर, 2003 ई0)

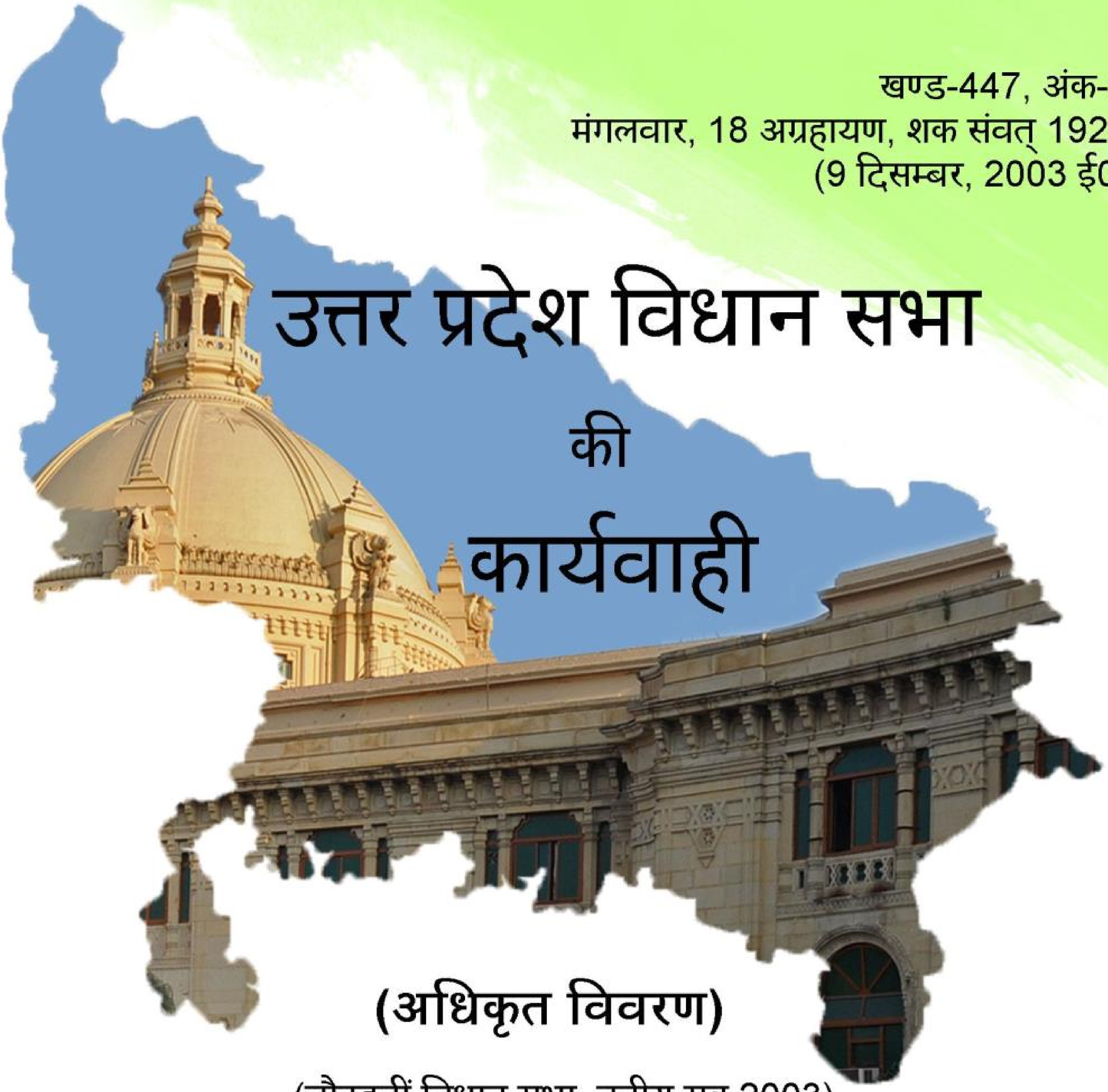

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2003)

खण्ड 447 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ङ
आगरा में समाचार पत्र कार्यालयों पर हमला विषयक नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	2-47
मंत्रि-मण्डल में शामिल सदस्यों के प्रश्नों के स्थान पर अन्य प्रश्नों को लिये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	48
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	48-49
उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम नैनी इलाहाबाद में सवा करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न घोटालें की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत मतवाँ, भवालपुर मार्ग के बीच लोनी नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	49-50
जनपद आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करसड़ा में विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद खीरी के पैंला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खजुहा से सालिहाबाद तक पेंटेड रोड निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड मंगरौरा में राजकीय हाईस्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना हेतु नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
जनपद गाजीपुर के जहुराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवली-हैदरगंज तक जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग को पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	51
मेरठ महानगर के शाक्यपुरी मोहल्ले में स्थित डिस्टलरी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	51
मुख्य मंत्री द्वारा की गई नई गन्ना नीति की घोषणा के कुछ और बिन्दुओं पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा घोषणा...	51-53
दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 को मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गई नीतिगत घोषणाओं पर चर्चा न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	53-56
आगरा में समाचार पत्र कार्यालयों पर हमले के कारण भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त होने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना (जारी) ...	56-59
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव...(स्वीकृत)	59-60
आगरा में समाचार पत्र कार्यालयों पर हमले के कारण भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त होने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ...	60-65
मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 को दिये गये वक्तव्य में दोषी पुलिस सब इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न किये जाने की सूचना	65-68
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	68-79
जनपद मुजफ्फरनगर के इन्सपेक्टर कोतवाली द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ता को पीटने से उत्पन्न स्थिति विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ...	79-80

विषय	पृष्ठ-संख्या
शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद तथा बदायूं सीमा पर कल्लू गिरोह के आतंक से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना	80-81
जनपद इटावा में फर्जी नोटरी द्वारा हलफनामा दाखिल करने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना	81-82
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अपराह्न चार बजे तक लिये जाने पर पीठ का ध्यान आकृष्ट किया जाना	82-83
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-02 आवास विभाग, अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या-69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल), अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग, (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग, अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने), अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा-परीक्षा अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग, अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-60 वन विभाग, अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-9 ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा),अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग), अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर), अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग, (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) ...(स्वीकृत)	83-117

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश छत्रपति साहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 ... ... (पारित)	117-125
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 ... ...(पारित)	125-129
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 [जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।] ... ...(पारित)	129-131
''संविधान (पंचानबेवां संशोधन) विधेयक, 2003'' के अनुसमर्थन का संकल्प ... ... (स्वीकृत)	131
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	132-133
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	133-134
प्रदेश के सभी नगर निगमों एवं स्थानीय निकायों के विकास में अवरोध आने एवं कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	134-135
राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	135-136
जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु जिला पंचायत द्वारा धन को अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य...	137
जनपद फतेहपुर में बकेकर से मुसाफा तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर जीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	138
किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	138-139
जनपद चन्दौली के नौगढ़ वन क्षेत्र में अवैध कटाई के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	139
प्रदेश की अनुसूचित जाति में भर/राजभर जाति को सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	140

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गाजियाबाद की सिम्भावली तथा मोदी शुगर मिलों में 20 गन्ना क्रय केन्द्रों पर अभी तक तौल प्रक्रिया चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	141
जनपद जौनपुर के धरमापुर बाजार की भूमि पर चकबन्दी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	141-142
जनपद आजमगढ़ की नवनिर्मित तहसील मेंहनगर में तहसील भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	142-143
नत्थियां	144-146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2003

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–342

अजीत कुमार उर्फ राजू, श्री — बदायूं
अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अक्षयवट लाल, श्री — बहराइच
अजय कुमार, डा० — बागपत
अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री — बरेली
अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० — जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
आर०एस० कुशवाहा, श्री — खीरी
आर० के० सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
आलम बदी, श्री — आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
आशीष यादव, श्री — बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
ऊषा वर्मा, श्रीमती — हरदोई
ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर

ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशी राम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा०	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री	सन्त रविदास नगर,भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा०	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम, श्री	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नारद राय, श्री	बलिया
पकौड़ी लाल, श्री	मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
परागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी० के० राय, डा०	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फसीहा बशीर चौधरी, (श्रीमती)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू राम, एम०काम०, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर

भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मनकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ०, एडवोकेट	उन्नाव
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मूलचन्द्र, श्री	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो० शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा०	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बांदा
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश कुमार शर्मा, श्री	झांसी
रमेश चन्द बिन्द, डा०	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रा०	मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम बाबू हरित, डा०	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबा फूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेवती रमण सिंह, कुं०	इलाहाबाद
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजेन्द्र सिंह, श्री	हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
शंख लाल मांझी, श्री	सन्त कबीर नगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा०	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सत्य नारायण, श्री	हरदोई
सन्ध्या कठेरिया, कु०	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं०	मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुख देवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा०	सहारनपुर
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'', श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर

नोट :—श्री मुलायम सिंह यादव (मुख्य मंत्री), श्रीमती कुसुम राय (लोक निर्माण मंत्री), श्री अहमद हसन (परिवार कल्याण मंत्री), श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9 दिसम्बर, 2003

आगरा में समाचार-पत्र कार्यालयों पर हमला विषयक नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने नियम–311 में एक सूचना दी है आपसे अनुरोध है कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए कृपया उसमें सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया था । इसे हम विशेष उल्लेख के रूप में सुन लेंगे ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, प्रजातंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले की इस प्रजातांत्रिक सरकार में उसकी प्रतियां जलायी जा रही हैं । उन्हें धमकाया जा रहा है । उनके समाचार-पत्रों को छीनकर यह कहा जाता है कि अपने मालिकों से यह कह देना कि जिस तरह मण्टोला में मुकेश, कमल व वीरू की हत्या की गयी थी वैसे ही उनको जान से मार दिया जायेगा, प्रेस में आग लगा दी जायेगी । मान्यवर, आगरा जनपद में पांच-छः व्यक्तिगत कारों पर लाल बत्ती का प्रयोग तथा तेज ध्वनि से हूटर बजाकर भय बनाने का कार्य, वक्फ सम्पत्तियों पर कब्जा करने का कार्य, जनप्रतिनिधियों के घरों पर वैध-अवैध असलहों से हवाई फायरिंग कराकर दंगा कराने की कोशिश तथा एक सम्प्रदाय के नाम पर थाना लोहामण्डी में दंगा कराने इत्यादि की खबर जब यह लोग छापते हैं तो यह लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं । यह प्रजातंत्र के चौथे खम्भे को अपना कार्य करने से रोक रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे कहा है कि हम इसे विशेष उल्लेख के रूप में सुन लेंगे । पहले आप प्रश्न हो जाने दें ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, चारों तरफ अफरा-तफरी का वातावरण हो गया है । सरकार के प्रमुख मंत्री जो कि राज्य मंत्री के रूप में हैं उन्होंने आतंक फैला रखा है । आज उस समाज के लोग यह मांग मुलायम सिंह यादव जी से कर रहे हैं कि उन्हें इस पद से हटाया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हम इसे विशेष उल्लेख में सुन लेंगे ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें उसके बाद जो जरूरी हो वह कह लें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नकली दवाओं के उत्पादन एवं विक्रय पर नियंत्रण की मांग

**1–डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा एवं श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में क्या नकली दवाओं के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? क्या सरकार इस पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु कोई नया कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री राजवीर सिंह)–

नकली दवाओं के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । मण्डल स्तर पर तैनात वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों तथा जनपद स्तर पर तैनात औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधि निर्माण तथा विक्रय इकाइयों/प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है एवं संदिग्ध औषधियों के नमूने एकत्र कर उन्हें जांच हेतु राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे जाते हैं । नमूनों के विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर नकली/अधोमानक औषधियों के उत्पादन कर्ता फर्मों एवं औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी विधिक कार्यवाहियां भी की जाती हैं । इसी क्रम में नकली दवाओं के उत्पादन एवं विक्रय पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट/पुलिस उपाधीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त निरीक्षण टीम गठित कर औषधि निर्माण एवं विक्रय प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विशेष छापामार अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने एवं उसकी नियमित समीक्षा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जाने के निर्देश शासनादेश दिनांक 26-08-2003 द्वारा निर्गत किये गये हैं । शासन द्वारा नकली औषधियों की बिक्री करने वाले संदिग्ध मेडिकल स्टोरों का गोपनीय ढंग से पता लगाने हेतु औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारियों को स्थानीय अभिसूचना यूनिट (एल०आई०यू०) की सेवा उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है । साथ ही महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० द्वारा भी समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों को इस सम्बन्ध में टीम गठित करते हुए प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । भारत सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 बनायी गयी है जिसमें प्रभावी कार्यवाही हेतु समय-समय पर संशोधन किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में इस समय नकली और अधोमानक औषधियों की बाढ़ आ गयी है । जो हाई सेलिंग अर्थात् ज्यादा बिकने वाली दवाएं हैं जैसे डिकासिन वगैरह और जो आइब्यूफ्लूयड जो लखनऊ, कानपुर आदि में बिक रहा है वह चार पांच रुपये में बिक रहा है, इतना तो पानी भरकर बोतल में भी लागत नहीं आ पाती है तो यह कहां से बिक रहा है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि छापामार कार्यवाही के निर्देश दिये जायेंगे । तो अब तक माननीय

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अभियान के तहत कितने थोक और फुटकर दवा विक्रेताओं को तथा कितने व्यापारियों को किस धारा के विरुद्ध अब तक कितनी कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजवीर सिंह–

मान्यवर, 2001-2002 में 79 अधोमानक नमूने पाये गये हैं जिनमें 03 नकली पाये गए हैं, 2002-2003 में 169 अधोमानक नमूने पाये गये हैं, जिनमें 32 नकली पाये गए हैं, 2003-2004 में 31 अधोमानक नमूने पाये गये हैं, जिनमें से 04 नकली पाये गये हैं । मान्यवर, सब के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और जो इसके लिए दोषी लोग होंगे उन्हें किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जायेगा ।

डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि 26 अगस्त के बाद अब तक कितने लोगों के विरुद्ध किस-किस धारा में कार्यवाही हुयी ?

श्री राजवीर सिंह–

मान्यवर, सभी दोषी लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करा दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

कितने लोगों के विरुद्ध किस-किस धारा में कार्यवाही करा दी गयी है ? यह प्रश्न था माननीय मेहरोत्रा जी का ।

श्री राजवीर सिंह–

मान्यवर, दोषी लोगों के विरुद्ध धारा–420, धारा–467, धारा–471, धारा–275 आदि आई०पी०सी० की धाराओं में कार्यवाही की गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करा दी गयी है ?

श्री राजवीर सिंह–

मान्यवर, जितने भी दोषी लोग थे, उनके सबके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करा दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा मानना है कि इसमें सूचना की आवश्यकता है । आपने अभी तीन महीने के अन्दर की बात की थी, तो इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब छापा मारने की कार्यवाही की गयी है, तब से कितने लोगों को पकड़ा गया और कितने लोगों के विरुद्ध किस धारा में कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

आप तो पूरा ब्योरा मांग रहे हैं कहां से इतनी जल्दी, सारी सूचना ले आयेंगे ?

डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

मान्यवर, प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया है कि 26-8-2003 के विशेष अभियान के तहत छापा मारने के निर्देश दिए गए हैं, तो प्रश्न यह है कि 26 अगस्त के बाद जो छापा मारने के निर्देश दिए गए थे उसमें कितने लोग पकड़े गए और उनमें कितने लोगो के विरुद्ध, किस धारा में कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी 26 अगस्त, 2003 के बाद की बात कहें, सूचना हो तो बता दें नहीं तो सारी जानकारी बाद में दे दीजिएगा ।

श्री राजवीर सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी को बाद में सारी सूचनाएं दे दी जायेंगी ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, चूंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें सूचना की आवश्यकता हो जाती है और अध्यक्ष जी ने कई मौकों पर इधर की मदद की है और कई मौकों पर उधर की भी मदद की है । अध्यक्ष जी, इसमें सूचना की जरूरत होगी तो बाद में जानकारी दे दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसे स्थगित कर देते हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न भी हो जाय फिर स्थगित कर दीजिएगा ।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि आपने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है कृपा पूर्वक । अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि तीन महीने पहले कार्यवाही के आदेश दिये गये थे और अभी निरंतर कार्यवाही चल रही है । अभी उसके रिकार्ड पूरे नहीं आये हैं । अभी तत्काल वह इस पर कैसे बता दें ?

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह 26 अगस्त, 2003 का आदेश है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्न देखने के बाद ही यह कहा कि इसमें सूचना की आवश्यकता है । यह प्रश्न स्थगित हो गया है, आप लोग कृपया बैठें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, यह प्रदेश की समस्त जनता के हितों से जुड़ा हुआ प्रश्न है । यह मेरा पहला सवाल भी नहीं है, पहले भी यह, प्रश्न उठ चुका है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जब प्रश्न स्थगित हो गया है तो उसके बाद कोई भी बात कहने की नहीं है या तो प्रश्न का स्थगन समाप्त करके उत्तर ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, क्षमा चाहता हूं लेकिन वह सारी बातें कहीं जा रही है , जो नहीं कही जानी चाहिए । यह तो सरकार को घेरा जा रहा है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, सारा मंत्रि-परिषद् नकली दवा वालों के पक्ष में खड़ा हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सारा पाप आपकी सरकार का है । सरकार बचाव में नहीं खड़ी हुई है । मैं संसदीय कार्य मंत्री के नाते अपनी बात रख रहा हूं । मुझे तो खेद है इस बात का .....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, तैश में आकर क्यों बोल रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, पिछली सरकार के पापों को यह सरकार नहीं छिपायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

26 अगस्त, 2003 का शासनादेश है उस समय किस दल की सरकार थी, यह प्रश्न अब नहीं है, जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान मंत्री का इसमें उत्तर देने का दायित्व है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं क्षमा चाहूंगा, अध्यादेश एक दिन में जारी नहीं होता, अध्यादेश के लिए पूरी पत्रावली में प्रक्रिया होती है और निर्णय होता है और अब अध्यादेश जारी होता है तो यह सारी प्रक्रिया उसी जमाने की है ।

श्री अध्यक्ष–

अब वह स्थगित हो गया उसके बारे में बात नहीं हो रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक बात कही थी उसी पर बात आ रही है और कोई बात नहीं है ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, अगर संसदीय कार्यमंत्री चर्चा चाहते हैं इस पर तो रोक दीजिए प्रश्न प्रहर, इस पर चर्चा हो जाने दीजिए । यह कौन कर रहा है, कहां हो रहा है और जो मामले हो रहे हैं जितना प्रदेश में लूट मची हुई है यह सब चर्चा में हो जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्न स्थगित कर दिया है लिहाजा अब इस पर कोई बात नहीं होगी । अब मैं प्रश्न संख्या–2 ले रहा हूं ।

(श्री श्यामदेव राव चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

वातावरण ठीक रहना चाहिए, मैंने प्रश्न संख्या–2 ले लिया है ।

श्री श्यामदेव राव चौधरी–

मान्यवर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ एक निवेदन सुन लें । यह माननीय सदन नियमों से और परम्पराओं से ठीक ढंग से चले इस पर एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह परिपाटी गलत होगी प्रश्न के स्थगन के बाद ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के बारे में यह नहीं कह रहे हैं ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, तब यह क्या कह रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, प्रश्नकाल में यह किस नियम में बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य स्वयं कह रहे है कि मैं प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो यह मान्यवर, किस बारे में बोल रहे हैं। प्रश्न स्थगित हो गया, चर्चा हो नहीं रही है तो माननीय सदस्य किस नियम में बोल रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, छोटी-छोटी बातों में कोई कारण नहीं है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बाधा डाले। आपने एक व्यवस्था दे दी अगर सदस्य नहीं मानते हैं तो आपको अधिकार है कि आप इंगित करें। आज्ञा न दें लेकिन संसदीय कार्यमंत्री बार-बार खड़े होकर यह करते हैं तो इसका मतलब है कि वह चर्चा चाहते हैं।

श्री दद्दू प्रसाद–

यह संसदीय हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, ऐसा नहीं है।

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा बनायी गयी औद्योगिक नीति

**2–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या सरकार बन्द पड़े छोटे उद्योगों को चलाने के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

हां ।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा औद्योगिक नीति 1998 घोषित की गयी है, जो प्रचलन में है।

पुनर्वासन योग्य बन्द लघु उद्योगों को चलाने के लिए पूर्व से ही रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन की योजना चलायी जा रही है।

लागू नहीं होता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह प्रचलन नीति है, 98 से प्रदेश में लागू है इसके लागू होने के बाद से अब तक कितने प्रदेश में उद्योग लग चुके हैं और कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके है ? मान्यवर, यह अनुपूरक प्रश्न है कि 1998 से एक प्रचलन नीति माननीय मंत्री जी ने बता दी लेकिन कितने लोग लाभान्वित हुए हैं यह बता दें ? अगर वह नीति ठीक नहीं है तो सरकार इसके आगे कोई नीति लाने पर विचार कर रही है या नहीं ? छोटे उद्योग/इकाइयां हैं, आज वह गांव से लेकर शहर तक बन्द पड़ी हैं, उनको चलाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार एक्ट में कोई संशोधन करने का प्रयास कर रही है अथवा नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बड़ी और छोटी जितनी इकाईयां प्रदेश में हैं, उनकी स्थिति से आप अवगत हैं, सभी माननीय सदस्य अवगत हैं । बड़ी इकाइयों को चलाने के लिये बड़े धन की जरूरत है और छोटी इकाइयों को चलाने के लिये बड़े धन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन छोटी इकाइयां किन कारणों से बन्द हैं, यह देखने की बात है, केवल धन का मामला ही नहीं होता और बहुत से कारण भी हैं, मसलन बिजली नहीं है, कहीं कानून व्यवस्था की बात है, कहीं सड़क नहीं है और कहीं इकाइयों की वायबिलटी नहीं रह गयी है । बहुत सी इकाइयां ऐसी हैं, जो उस वक्त के हालात के तहत लगाई गयीं थीं, लेकिन बाद में वह बन्द हो जाती हैं, क्योंकि उनकी मांग नहीं रह जाती है । इस सम्बन्ध में समय-समय पर नीतियां बनती रहती हैं, बदलती रहती हैं । इसमें किसी सरकार को दोष देने की बात नहीं है । इस प्रकार समय-समय पर कई अलग-अलग कारण रहते हैं, केवल धन ही नहीं रहता है ।

यह आपके संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनाई गयी है, और उसकी मान्यवर, मंशा यही है बड़े से लेकर तमाम छोटी इकाइयां जो रुग्ण हैं, किन्हीं कारणों से नहीं चल पा रही हैं, उसके कारण तलाश किये जायें । अगर वह चलाई जा सकती है तो उन्हें चलाया जाय, क्योंकि उनमें बड़ी पूंजी लगी हुयी है । यह देखा जा रहा है कि इन इकाइयों को क्या चलाया जाना मुमकिन है । कहीं मशीनें नहीं हैं, चोरी हो गयी हैं । कहीं एक पुर्जा कम है, उसकी वजह से इकाई बन्द है, लेकिन उस पुर्जे की कीमत बहुत है, 90 लाख, 100 लाख, 200 लाख तक । यह सारी चीजें देखने की है । यह भी देखा जा रहा है कि हम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इनमें लगायें और चलाने के बाद कोई फायदा न हों ।

श्री लालजी टण्डन–

यह वक्तव्य है, या प्रश्न का उत्तर ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 3-4 प्रश्न है, उसी का उत्तर दे रहा हूं । सदन को मालूम है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् बनी है और यह परीक्षण हो रहा है, परिषद् की ओर से और सरकार की ओर से, कि कौन सी इकाइयां ऐसी हो सकती है, जिन्हें चलाया जा सकता है और जिन्हें चलाया जा सकता है तो कैसे चलाया जा सकता है, उन्हें चलाया जायेगा । जो नहीं चलाई जा सकती हैं, उनके बारे में विचार होगा । हम विकास की नई योजनायें लाने जा रहे हैं, माननीय नेता सदन ने उनकी घोषणा कल की है, आगे यह विकास का कार्य जारी रहेगा ।

श्री लालजी टण्डन–

अध्यक्ष जी, विकास परिषद् के अध्यक्ष का परसों बयान था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की जो स्थिति है, इसमें कौन उद्योग लगायेगा ? जो उद्योग नीति का निर्धारण करने वाले हैं, जिनकी राय पर सारा प्रदेश जा रहा है, टुकड़ों-टुकड़ों में, जब वह कह रहे हैं, सारे उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं, ला एण्ड आर्डर इतना खराब है तो कोई अपनी जान देकर उद्योग चलाने को तैयार नहीं है। क्या संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बयान की जानकारी है कि यह भी एक कारण है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मेरी तरफ देख करके जरा सा भी उत्तर नहीं दिया, मुस्कराकर बात होती तो शायद इतनी शिकायत न होती। अभी कल ही नेता प्रतिपक्ष ने नेता सदन की सभी घोषणाओं का स्वागत किया है, जब स्वागत किया है तो इस बात का भी स्वागत किया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है कहीं कोई शिकायत नहीं है और यदि कहीं पर कोई शिकायत होगी तो आपका सहयोग लिया जायेगा।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

प्रश्न था कि सरकार बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी और इसके उत्तर में आया कि पुनर्वासन की योजना प्रचलित है। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी पुनर्वासन की योजना में जिला मण्डल और प्रदेश स्तर पर उद्योग बन्धुओं की बैठकें होनी चाहिए। क्या सरकार बतायेगी कि कब से जनपद, मण्डल और प्रदेश स्तर के उद्योग बन्धुओं की बैठकें नहीं हुई हैं और उनको चलाने पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहम्द आजम खां–

मान्यवर, दोनों बातें थोड़ी सी ठीक हैं, उद्योग बन्धुओं की मीटिंग नहीं हुई है, जब कि होनी चाहिए थी, उसके लिए निर्देश चले जायेंगे। लेकिन जहां तक नीतिगत मामला है या बड़ा मामला है, धन की व्यवस्था करनी है। बहुत बड़ा प्रदेश है गाजियाबाद से गोण्डा, बस्ती और बहराइच, बलिया बहुत सी इकाइयां बन्द हैं। पड़ोस में कानपुर है वहां पर कितनी इकाइयां बन्द हैं। इन सब पर एक बड़े निर्णय की जरूरत है, धन की जरूरत है, नीति की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है और नेक-नीयत से काम हो रहा है।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, एक बात और.....

श्री अध्यक्ष–

अब समय हो गया है, इसे समाप्त कीजिये।

श्री जगदीश नारायण राय–

मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने लघु इकाइयों का एक सर्वे कराया था कि किन कारणों से यह बन्द हुए हैं तो क्या वह रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-योजना बनायी जा रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

हां, वह प्राप्त हो गयी है और यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहता हूं कि जिन औद्योगिक इकाइयों को उद्योग निदेशालय ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्जिन-मनी वितरित किया था और वह इकाइयां बिक गयीं । ऐसी स्थिति में एक मुश्त समाधान या कोई लचीला कार्यक्रम बना करके क्या सरकार उनको चलाने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

समय-समय पर ऐसी योजनायें आती रहती हैं । उन्हें देखा जायेगा कि किस तरह से उनको चलाया जा सकता है, उस पर विचार किया जायेगा और चल सकती हैं या नहीं उस पर एक व्यापक निर्णय होगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्रथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

तारांकित प्रश्न

*1–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

*2–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

*3–श्री शारदा नन्द अंचल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को पुनः चालू कराने की मांग

*4–श्री राम विशुन आजाद (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कौन-कौन सी चीनी मिलें बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द चीनी मिलों को पुनः चालू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

वर्तमान में प्रदेश में 18 चीनी मिलें बन्द हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की कुल 11 चीनी मिलें दो चरणों में बन्द की गयी हैं जो निम्नवत् हैं :–

प्रथम चरण दिनांक 08-09-1998

(1) बाराबंकी

(2) बरेली

(3) महोली

(4) नवाबगंज

(5) नन्दगंज

द्वितीय चरण दिनांक 12-11-1999

(1) मेरठ

(2) रामपुर

(3) मुण्डेरवा

(4) हरदोई

(5) घघली

(6) छितौनी

सहकारी क्षेत्र

(1) धुरियापार

निजी क्षेत्र

(1) विलारी

(2) मेजापुर

भारत सरकार के नियंत्रणाधीन चीनी मिलें

(1) आनन्द नगर

(2) पडरौना

(3) कठकुईयाँ

(4) गौरी बाजार

उ० प्र० राज्य चीनी निगम एवं उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ की बन्द चीनी मिलों को सरकार द्वारा पुनः चालू कराने हेतु कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*5–श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां, माधोगंज एवं बिलग्राम में गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्राम तथा बचाव हेतु उपाय

*6–श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–हरदोई के 75–मल्लावां–हरदोई निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड–मल्लावां, माधोगंज, बिलग्राम के दक्षिणी भाग में गंगा नदी की बाढ़ से लगभग 150 गांव प्रतिवर्ष प्रभावित हो जाते हैं और करोड़ों रुपयों की फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो बाढ़ से बचाव हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)–

प्रश्नान्तर्गत विकास खण्ड मल्लावां, माधोगंज एवं बिलग्राम के 150 ग्राम नहीं अपितु निम्न स्तरीय बाढ़ से प्रतिवर्ष 19 ग्राम, मध्य स्तरीय बाढ़ से अतिरिक्त 12 ग्राम तथा उच्च स्तरीय बाढ़ से 22 अतिरिक्त ग्राम (अर्थात् कुल 53 राजस्व ग्राम गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं ।

सर्वेक्षण उपरान्त परियोजना बनायी गयी है ।

गंगा नदी के किनारे पड़ने वाले ग्रामों की सुरक्षा के लिए तटबन्ध के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराया गया सर्वेक्षण उपरान्त 36.5 कि०मी० तटबन्ध के निर्माण की योजना लागत रु० 7494.34 लाख तैयार की गयी जिसका लाभ, लागत अनुपात 0.3 होने के कारण यह योजना मितव्ययी (एकॉनामिकल) नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*7–श्री राम करन आर्य–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

*8–डा० अजय कुमार–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

*9–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर को बाढ़ से बचाने के लिए राप्ती बेसिन परियोजना के अन्तर्गत किये गये विकास कार्य

*10–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर को बाढ़ से बचाने के लिये राप्ती बेसिन परियोजना के लिये सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 में एक परियोजना स्वीकृत

की गयी है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन कार्य स्वीकृत हैं और उनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा उक्त परियोजना के शेष कार्यों को पूर्ण करके उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? क्या सिंचाई मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त परियोजना में स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच टी० ए० सी० से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

राप्ती बेसिन की स्वीकृत परियोजना में जनपद देवरिया की 14 योजनायें सम्मिलित हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

संलग्नक में क्रम संख्या 1 से 11 तक उल्लिखित कार्य पूर्ण हो गये हैं । क्रम संख्या 12, 13 व 14 में इंगित कार्य प्रगति पर हैं । इन्हें मार्च, 2004 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

टी०ए०सी० से जांच करायी गयी है । जांच में कुछ मामूली कमियां पायी गयीं जिनके फलस्वरूप टी०ए०सी० द्वारा निर्धारित कटौती (रुपये 3725) के आदेश कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची हेतु देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 144 पर ।)

प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों की शुल्क में एकरूपता लाने की मांग

*11–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रों की शुल्क में कितनी वृद्धि की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शैक्षिक सत्र, 2003-2004 में शुल्क में वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या यह सत्य है कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शुल्क में एकरूपता नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार शुल्क में एकरूपता लाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)–

जी हां ।

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–7(14) एवं धारा–52(3) (सी) के प्राविधानों के अनुसार शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्कों के निर्धारण एवं पुनरीक्षण का अधिकार प्रत्येक विश्वविद्यालय में निहित है ।

(2) महाविद्यालयों के छात्रों से ली जा रही शुल्कों में वर्ष 2000 में निम्नवत् वृद्धि की गयी है :–

पाठ्यक्रम	पूर्व में लिया जा रहा शुल्क (रुपये में)	संशोधित (रुपये में)
बी० एड०/एम०एड०	18.00	110.00
एल०एल०बी०/एल०एल०एम०	15.00	075.00
महंगाई शुल्क	03.50	020.00
प्रयोगशाला शुल्क	04.00	020.00

कतिपय विश्वविद्यालयों ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क में वृद्धि की है । राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शुल्क वृद्धि नहीं की गयी है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 7 (14) एवं धारा-52(3) (सी) के प्राविधानों के अनुसार शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्कों के निर्धारण एवं पुनरीक्षण का अधिकार प्रत्येक विश्वविद्यालय में निहित है ।

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि कतिपय विश्वविद्यालयों ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क में वृद्धि की है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन-कौन विश्वविद्यालय हैं, वह कितनी शुल्क ले रहे हैं और कितनी वृद्धि की है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, पिछले 5 वर्षों में गोरखपुर विश्वविद्यालय.....

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं वर्ष 2003-2004 का पूछ रहा हूं । पिछले पांच वर्षों का नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्या पीठ वाराणसी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, डा० भीमरारव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुल्क वृद्धि की है । गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर 794 रु० की वृद्धि की है । 1995 से लेकर 2000 तक 748 रु० था ।

(इस समय 11 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा है वह 2003-2004 के बारे में है जबकि मंत्री जी पहले प्रस्तर का उत्तर बता रहे हैं । मैं वर्ष 2003-2004 के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, ठीक है, मैं वर्ष 2003-2004 का बता दे रहा हूं । डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में नहीं के बराबर शुल्क वृद्धि की गयी है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर पर 408 रु० की वृद्धि है और स्नातकोत्तर स्तर पर रु० 553 की वृद्धि की है । राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद में स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर पर रु० 637/- की वृद्धि की गयी है । महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में स्नातक स्तर पर रु० 761/- और स्नातकोत्तर स्तर पर रु० 1218/- की वृद्धि

की गयी है । चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में स्नातक स्तर पर रु० 50/- और स्नातकोत्तर स्तर पर रु० 30/- की वृद्धि की गयी है ।

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जितना बढ़ा हुआ शुल्क है वह वर्ष 1995 के स्तर पर लाया जायेगा । यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और विधान सभा में भी यह बात कही थी । वर्ष 2003-2004 में जो शुल्क वृद्धि की है क्या वह वापस ली गयी ? अगर नहीं तो कब तक वापस ली जायेगी ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी उस घोषणा के तहत मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया था और 3 नवम्बर, 2003 को शासनादेश भी जारी कर दिया गया । राजकीय महाविद्यालयों और सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में जो शुल्क वृद्धि की गयी थी उस शुल्क वृद्धि को वापस ले करके वर्ष 1995 के स्तर पर शुल्क को ला दिया गया है । जहां तक विश्वविद्यालयों का प्रश्न है तो विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से गवर्न होते हैं और सबके अलग-अलग इन्स्टीट्यूट हैं और उनकी अलग-अलग आवश्यकतायें हैं, उनके अनुसार विश्वविद्यालयों का फीस निर्धारण वह स्वयं करते हैं, उनमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है ।

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया लेकिन या तो माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट नहीं थे कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं वहां का सारा प्रशासन विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत चलता है, इस बात को माननीय मंत्री जी ने स्वयं उत्तर में बताया है । उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 7(14) एवं धारा–52(3) (सी) के प्राविधानों के अनुसार शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के निर्धारण एवं पुनरीक्षण का अधिकार विश्वविद्यालयों को है । तो इस तरह की कोरी घोषणा करना सरकार के लिए क्या उचित है ? यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, यह कोरी घोषणा नहीं है । मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में 03 जून, 1995 के स्तर पर लिये जा रहे शुल्क को लिये जाने के आदेश दिनांक 3-11-2003 निर्गत कर दिये गये हैं ।

डॉ० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मा० उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय या सभी विश्वविद्यालय जो स्वायत्तशासी हैं उनको अपनी फीस निर्धारण करने का अधिकार है । क्या सरकार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक बुलाकर शासनादेश के अनुसार अपनी मंशा को जाहिर करके फीस को वापस लेने का कार्य करेगी ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–7(14) एवं 52(3) (सी) के प्राविधानों के अनुसार शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्कों के निर्धारण एवं पुनरीक्षण का अधिकार प्रत्येक विश्वविद्यालय में ही निहित है । यदि सहायता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालयों में बढ़ी फीस को 03 जून, 1995 के स्तर पर लाया जाता है तो उन्हें होने वाले घाटे लगभग रु० 1300 करोड़ की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करनी होगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, क्या स्वायत्तशासी होने के बावजूद सरकार 95 के स्तर पर विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक शुल्क वापस लेने के लिए बैठक बुलाकर विचार करेगी ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले कह दिया है कि कुलपतियों की बैठक बुलाकर विचार किया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मा० मंत्री जी ने कहा कि निर्देश जारी कर दिया गया है और उसके अनुपालन में कार्यवाही करेंगे और यह भी कह रहे हैं कि हम मीटिंग बुलाकर निर्देशों के अनुपालनार्थ फीस वापस लेगें लेकिन पालन न करने पर क्या उन संस्थाओं की भरपाई के लिए शासन जिम्मेदारी ले रहा है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

पहले जो निदेश दिया गया है उसके अनुसार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो अनुदान है उनकी बहुत सी चीजें हैं हम देखेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने स्पष्ट निदेश जारी कर दिया कि फीस को कम कर दें तो मैं जानना चाहता हूं कि उस कमी की भरपाई के लिए शासन ने क्या प्राविधान किया है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जब 1995 के स्तर पर शुल्क वापसी की बात कह दी गयी है तो इसके लिए सरकार को कितना पैसा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को देना पड़ेगा, इसकी क्या व्यवस्था की है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, वित्त विभाग से परामर्श लेने के बाद ही वह जारी किया गया था । शुल्क वृद्धि वापस लेने पर उसमें जो भार पड़ रहा है वह हम देखेंगे । मान्यवर, इस सम्बन्ध में निदेश जारी कर दिए गए हैं । मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार, अपनी आवश्यकतानुसार फीस का निर्धारण कर सकते हैं ।

प्रदेश में गन्ने की पेराई हेतु मिलों को दिये गये निर्देश

*12–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों का वर्तमान पेराई सत्र का कितने एकड़ गन्ना खेतों में खड़ा है ? क्या सरकार ने उक्त गन्ने की पेराई हेतु मिलों को कोई निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में निम्न जनपदों से पेराई सत्र 2002-2003 हेतु अनुबन्धित गन्ना छूटने की सूचना संसूचित है :-

जनपद का नाम	चीनी मिल का नाम	खड़ा गन्ना (एकड़ में)
1-कुशीनगर	रामकोला (पी०)	854.00
कुशीनगर	रामकोला (के०)	722.04
कुशीनगर	कप्तानगंज	3011.09
कुशीनगर	लक्ष्मीगंज	256.89
कुशीनगर	गड़ौरा (देवरिया परिक्षेत्र का गन्ना)	292.74
2-महराजगंज	सिसवा बाजार	170.76
3-बस्ती	बभनान (मुण्डेरवा समिति का गन्ना)	319.71
4-एटा	न्योली	195.50
	योग :-	5822.73

प्रदेश की सभी मिलों को निर्देशित किया गया था कि वे अनुबन्धित/आपूर्ति योग्य गन्ने की पेराई करने के पश्चात् ही पेराई सत्र का समापन करें, ऐसा न करने के कारण सम्बन्धित गन्ना सहकारी समितियों को गन्ना आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि उपरोक्त खड़े गन्ने के मूल्य का बिल भुगतान हेतु चीनी मिलों को प्रेषित करें तथा इसकी वसूली हेतु नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रश्न नहीं उठता।

*13-डा० अशोक वाजपेयी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश के निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज को मान्यता देने के मानक की जांच की मांग

*14-श्री बैजनाथ दुबे (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज को मान्यता देने का मानक क्या है ? क्या मानक के अनुसार सी० ई० आर० टी० मेरठ निजी इंजीनियरिंग कालेज में भवन, छात्रावास, योग्य शिक्षक एवं प्रयोगशालायें हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कोई समिति गठित करके करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा केवल अनापत्ति निर्गत की जाती है । इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मानक निर्धारित किये जाते हैं जिनके आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा ही इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मुख्य मानक निम्नवत् है :–

(1) यदि संस्था ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाती है तो 25.00 एकड़, यदि जिला मुख्यालय कार्पोरेशन/म्युनिसिपल सीमा में हो तो 10.00 एकड़ तथा यदि मेट्रो/स्टेट कैपिटल सिटी कारपोरेशन की सीमा में हो तो 5.00 एकड़ भूमि संख्या के पास होनी चाहिए ।

(2) इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु सोसाइटी/ट्रस्ट पंजीकृत होना चाहिए ।

(3) भूमि ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम होनी चाहिये । भूमि बिना किसी बाधा जैसे आम रास्ता/हाई टेंशन वायर के होना चाहिये ।

(4) सक्षम अधिकारी द्वारा लैण्ड यूज एवं लैण्ड कनवर्जन प्रमाण-पत्र निर्गत होना चाहिये ।

(5) किसी अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा निर्मित/अनुमोदित साइट प्लान तथा बिल्डिंग प्लान होना चाहिये ।

(6) संस्था की भूमि विकसित कर पूर्ण रूप से बाउन्ड्रीवाल अथवा कटीले तार से घिरी होनी चाहिए तथा प्रत्येक मौसम में वहां पहुंचने लायक सड़क होनी चाहिये ।

(7) जहां संस्था स्थापित की जा रही हो वहां पर्याप्त मात्रा में पेय जल उपलब्ध होना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में किसी अधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी होनी चाहिये ।

(8) सोसाइटी/ट्रस्ट एवं क्षेत्रीय अधिकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नाम रु० 50.00 लाख का ज्वाइन्ट एफ०डी०आर० होना चाहिये एवं पर्याप्त वर्किंग कैपिटल का प्रमाण, बैंक बैलेन्स या एफ०डी०आर० के रूप में होना चाहिये ।

(9) संस्था प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते समय न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर भवन तैयार होना चाहिये जिसमें सम्बन्धित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोगशालाओं कार्यशालाओं एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं यथा क्लासरूम, पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन, शिक्षक कक्ष कामन रूम, कैफेटेरिया एवं शौचालय आदि का निर्माण होना चाहिये ।

(10) प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण क्रय कर लिये गये हों और चालू हालत में उपलब्ध होने चाहिये ।

(11) आवश्यकता के अनुरूप फर्नीचर आदि यथा स्थान विद्यमान होना चाहिये ।

(12) प्रथम वर्ष हेतु आवश्यक कम्प्यूटर सुविधायें, पुस्तकें व जर्नल्स उपलब्ध होने चाहिये ।

(13) निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति कर ली गयी हो तथा अभातशिप के मानक के अनुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत संकाय सदस्यों को चिन्हित कर लिया गया हो तथा उनकी सहमति प्राप्त कर ली गयी हो ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा सी०ई०आर०टी० मेरठ इंजीनियरिंग कालेज को उपरिलिखित मानकपूर्ण होने पर ही स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है । उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा सी०ई०आर०टी० मेरठ का निरीक्षण दिनांक 18-7-2001 को कराया गया था तथा प्राप्त निरीक्षण आख्या में संस्था में उपलब्ध सुविधाओं को मानकों के अनुरूप बताया गया था । प्राप्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से दिनांक 30-05-2004 तक की संबद्धता महामहिम कुलाधिपति श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*15–श्री यशपाल चौधरी–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

प्रदेश में कम परीक्षाफल वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने पर विचार

*16–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं जिनका हाईस्कूल/ इण्टरमीडियेट का परीक्षाफल पांच वर्षों से लगातार खराब रहा है ? क्या सरकार वर्ष 2002-2003 में 20% से कम परीक्षाफल वाले विद्यालयों की मान्यता समाप्त किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

17 राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनका केवल हाईस्कूल परीक्षा का परीक्षाफल 5 वर्षों से लगातार खराब रहा है । इण्टरमीडिएट में ऐसे विद्यालयों की संख्या शून्य है ।

वित्तविहीन विद्यालयों, जिनका परीक्षाफल 20 प्रतिशत से कम है, उनकी मान्यता समाप्त करने तथा अशासकीय सहायता प्राप्त एवं राजकीय माध्यमिक/शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है ।

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क दर का निर्धारण

*17–श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा तथा श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के शुल्कों में कमी की गयी है ? यदि हां, तो पूर्व में शुल्क दर क्या थी तथा अब विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क दर क्या निर्धारित की गयी है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मा० मंत्रि-परिषद् ने दि० 15-9-2003 की बैठक में शासकीय एवं सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों की बढ़ी हुई फीस को समाप्त कर 3 जून, 1995 को प्रभावी फीस लिये जाने का निर्णय किया गया है।

शासनादेश सं०–1734/15-80/11-12(9)/80, दिनांक 6 मई, 1981 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 1981 में शुल्कों का निर्धारण शासन द्वारा किया गया था। पुनः वर्ष 2000 में राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के कुछ पाठ्यक्रमों/मदों में दरों का पुनर्निर्धारण शासनादेश संख्या–2806/-70-4/2000-46(50)/99, दिनांक 10 अगस्त, 2000 तथा शासनादेश संख्या–2807/70-4/2000-46(50)/99, दिनांक 10 अगस्त, 2000 द्वारा किया गया था।

राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासनादेश दिनांक 3-11-2003 के द्वारा शुल्क दर पुनः 3 जून, 1995 को ली जाने वाली दरों पर निर्धारित कर दी गयी है।

राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–7(14) एवं 52(3) (सी) के प्राविधानों के अनुसार शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्कों के निर्धारण एवं पुनरीक्षण का अधिकार प्रत्येक विश्वविद्यालय में निहित है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं इसे बहुत लम्बा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से दो चीजें जानने की जिज्ञासा रखता हूं और वह यह है कि क्या महाविद्यालयों में बढ़े हुए शुल्क को कम किया गया है ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब है हां, कम किया गया है। अब दूसरी बात यह है कि क्या इन्होंने 3 जून, 1995 में जो पहले फीस थी उसी हिसाब से फीस निर्धारण करने का आदेश दे दिया है ? माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि विश्वविद्यालयों के फलां अधिनियम के अनुसार फीस का निर्धारण किया जाएगा, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सन् 1995 के आधार पर ही फीस का निर्धारण किया जाएगा ? मान्यवर, यह इसका स्पष्ट उत्तर दे दें। मान्यवर, जब विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1973 के अनुसार ही महाविद्यालय फीस का निर्धारण कर सकते हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है तो उसके अनुसार जो 3 नवम्बर, 2003 के हिसाब से फीस का निर्धारण किया है, वह कितनी होगी ? मान्यवर, जब विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को फीस निर्धारण करने का अधिकार दे दिया गया है तो इसमें शासन की क्या जिम्मेदारी बनती है और 3 नवम्बर, 2003 का आदेश कितना प्रभावी है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, 3-11-2003 को जो शुल्क निर्धारण किया गया है और जिसे 1995 के स्तर पर लाया गया है उसमें राजकीय महाविद्यालयों में वसूल किये जाने वाले विभिन्न शुल्क इस प्रकार से हैं :–

(1) शिक्षण शुल्क

(क) स्नातक स्तर	रु० 11.00 प्रतिमाह
(ख) स्नातकोत्तर स्तर व एल०एल०बी०	रु० 15.00 प्रतिमाह
(ग) बी०एड०	रु० 18.00 प्रतिमाह

(2) महंगाई भत्ता शुल्क	रु० 03.50 प्रतिमाह
(3) प्रयोगशाला शुल्क	रु० 04.00 प्रतिमाह
(4) प्रवेश शुल्क/पुनः प्रवेश शुल्क	रु० 03.00 प्रति छात्र
(5) पुस्तकालय शुल्क	
(क) स्नातकोत्तर	रु० 03.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
(ख) स्नातकोत्तर स्तर, बी०एड०, एल०एल०बी०	रु० 10.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
(6) विकास शुल्क	रु० 20.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
(7) पंखा शुल्क	रु० 04.50 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
	परन्तु यह शुल्क उन कालेजों में नहीं ली जायेगी जहां कक्षाओं में पंखा की सुविधा नहीं है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध राज्य महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शुल्क दरों का पुनर्निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है :–

(1) शिक्षण शुल्क :–	
(अ) बी०एड०/एम०एड०	रु० 110.00 प्रतिमाह
(ब) एल०एल०बी०/एल०एल०एम०	रु० 75.00 प्रतिमाह
	(यदि वार्षिक परीक्षा हो ।)
(2) महंगाई शुल्क	रु० 20.00 प्रतिमाह
(3) प्रयोगशाला शुल्क	रु० 20.00 प्रतिमाह

मान्यवर, शुल्क वृद्धि को वापस लेकर 95 के स्तर पर लाया गया है जिसका मैंने ब्यौरा दिया है । जहां तक विश्वविद्यालयों का प्रश्न है हमने पहले बता दिया था कि विश्वविद्यालयों को शुल्क निर्धारित करने, पुनरीक्षित करने और आवश्यकतानुसार बढ़ाने का अधिकार विश्वविद्यालयों को स्वयं है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट सवाल किया था कि 3-11-2003 को लागू फीस को 95 के आधार पर किया गया है ? 3-11-2003 का शासनादेश क्या वह विश्वविद्यालयों पर प्रभावी होगा ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

हमने पहले ही कह दिया है कि विश्वविद्यालय आटोनामस बाडी है उसको फीस निर्धारित करने घटाने-बढ़ाने का अधिकार स्वयं है । शासनादेश का कोई प्रभाव उन पर नहीं है (शोर)

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर में विरोधाभास है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी सही उत्तर नही दे रहे हैं । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है ।

(अनुपूरक उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री सुखदेव राजभर ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, आप प्रोसीडिंग दिखवा लें, यह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न आ गया है । प्रश्न सं०–11 के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि यह विश्वविद्यालयों पर लागू करेंगे और प्रश्न सं०–17 के सम्बन्ध में बताया है कि यह आदेश निष्प्रभावी है । मान्यवर, एक ही तरह के प्रश्न पर मंत्री जी के दो भिन्न प्रकार के बयान हैं । आप कार्यवाही उठाकर देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कार्यवाही देख लूंगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अगर कार्यवाही में मेरी बात सच निकली तो मैं विशेषाधिकार की सूचना दूंगा । इसको आप स्वीकार कर लें । मैं बाद में लिखकर दे दूंगा ।

प्रदेश में बी०एड० प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों में समायोजित करने हेतु शासन के विचाराधीन प्रस्ताव

*18–श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री राम इकबाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी० एड० प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों में समायोजित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त 20692 पदों पर बी०एड०/एल०टी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 6 मास का विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण कराकर नियुक्तियां किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आप उत्तर देख लें मैंने पहला प्रश्न पूछा था क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी०एड० प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों में समायोजित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है । मंत्री जी ने उत्तर दिया जी नहीं । मैंने दूसरा प्रश्न किया यदि हां, तो वह क्या है ? मंत्री जी ने उत्तर दिया प्रश्न नहीं उठता । इसके बाद जो नीचे उत्तर दिया है वह पहले का कंट्राडिक्शन है । मैंने प्रश्न किया यदि नहीं, तो क्यों ? तब मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त 20692 पदों पर बी०एड०/एल०टी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 6 मास का विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण कराकर नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इस प्रकार ऊपर का पैराग्राफ नीचे पैराग्राफ के कंट्राडिक्ट है । मंत्री जी पुराने सदस्य हैं वह भी इस बात से सहमत होंगे उनके पास जैसा उत्तर आया वैसा उन्होंने अनुमोदित कर दिया । मेरे दो प्रश्न हैं । एक इस पर कब तक निर्णय कर दिया जाएगा दो ऐसे कितने लोग हैं जो इस लाइन में हैं जिन्होंने प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में पढ़ाने की इच्छा जाहिर की है ?

श्री किरन पाल सिंह–

खन्ना जी, हम समायोजन की नहीं सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं । समायोजन और सीधी भर्ती में फर्क होता है । हम सीधी भर्ती करने जा रहे हैं । आप अपने प्रश्न के बारे में स्पष्ट हो लें । दूसरी बात यह है कि यह विचाराधीन है इसका कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाएंगे उसके बाद वैकेंसी के लिए विज्ञापन निकालेंगे । इसके बाद भर्ती करेंगे । आपको यह बता दूं जब विज्ञापन निकाला जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कितने लोग एप्लाई कर रहे हैं । उसके बाद आपको बता दिया जाएगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

बजट भाषण के पृष्ठ 32 पर बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में दिया है अन्तिम लाइन में है परिषदीय विद्यालयों के लगभग 21 हजार सहायक अध्यापकों के पदों को भरा जाएगा । यह स्पष्ट रूप से आश्वासन है कि यह किया जाएगा । मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा है और यहां आप बेसिक शिक्षा पर जवाब दे रहे हैं उससे थोड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है । बजट भाषण कैबिनेट में गया होगा और उस पर विचार किया गया होगा । उसमें कहा गया है कि किया जाएगा । यह कैबिनेट से एप्रूव है । जब तक बजट भाषण कैबिनेट से एप्रूव नहीं होता है तब तक यहां आता नहीं । जो मंत्री जी उत्तर से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको मंत्री जी दूर करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी ने काफी स्पष्ट कर दिया है ।

श्री किरन पाल सिंह–

जो बजट में लिखा है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा । हम भर्ती करने जा रहे हैं उसकी एक प्रक्रिया है । प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । भर्ती करेंगे और बाकी जो रिक्त पद हैं उनके लिये भी प्रक्रिया शुरू करेंगे ।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बी०एड० और एल० टी० के बेरोजगार छात्रों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, उनकी नियुक्ति करने का क्राइटेरिया किस तरह से करेंगे या कोई कम्पटीशन करायेंगे ? इसके बारे में स्पष्ट करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, हमने तय कर लिया है कि मेरिट के अनुसार भर्ती करेंगे । प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर भर्ती करेंगे ।

श्री राम इकबाल सिंह–

मेरिट पर ही करेंगे या साक्षात्कार के लिए कुछ अंक देंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जो बी०एड० के बेरोजगार छात्र हैं उनके प्रति सरकार भी चिन्तित है और विपक्ष भी । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि कुल कितने बेरोजगार बी०एड० के प्रदेश में हैं और उसके अगेन्स्ट कितने रिक्त पद हैं ? क्या आज की तारीख में जितने बेरोजगार हैं उनका उन पदों में समायोजन हो जायेगा ? आज बी०एड० शिक्षण के लिए प्राइवेट सेक्टर में कई संस्थान खुले हैं जो कि बी०एड० का प्रशिक्षण दे रहे हैं । अगर आप इनको नौकरी नहीं दे पायेंगे तो इस तरह से यह प्राइवेट सेक्टर वाले बेरोजगारों की फौज प्रतिवर्ष खड़ी करते रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियुक्ति की बात है समायोजन की बात नहीं कही गयी है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, खन्ना जी का सवाल कुछ और था और बाजपेयी जी का सवाल कुछ और है । प्रदेश में कितने बी०एड० के बेरोजगार हैं ? यह बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है । इसके लिए आप अलग से सवाल कर लें ।

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है प्रदेश के अन्दर 89 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं । क्या बी०एड० बेरोजगारों को इनमें समायोजन करने के लिए 6 महीने के अन्दर सरकार कोई योजना बनायेगी ?

श्री किरन पाल सिंह–

यह सही है कि इतने पद रिक्त हैं । उनको भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है । 6 महीने का विशेष बी०टी०सी० प्रशिक्षण उनको दिया जायेगा । एक साथ इतनी सुविधा नहीं है । कि 90 हजार पदों के लिए बी०टी०सी० करा लें । जितनी कैपिसिटी है उसके अनुसार कार्यवाही करने की प्रक्रिया चालू रहेगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डॉ० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि कितने बी०एड० बेरोजगार हैं ? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कहा कि अलग से कर लें सूचना की आवश्यकता होगी और माननीय गौर साहब ने भी वही सवाल किया उनको जवाब दे दिया ।

श्री किरन पाल सिंह–

बाजपेयी जी आपने बेरोजगारों की संख्या पूछी थी और गौर साहब ने बताया कि इतने पद रिक्त हैं । दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि इसमें अन्तिम निर्णय कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

बता तो दिया है कि प्रक्रिया चालू हो गयी है ।

श्री किरन पाल सिंह–

हमने बताया कि कम से कम समय में कर दिया जायेगा ।

प्रदेश के इंजीनियरिंग व मेडिकल परीक्षा में बैठने हेतु कोचिंग शिक्षण संस्थानों के शुल्क को नियंत्रित करने की मांग

*19–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल परीक्षा में बैठने हेतु छात्राओं से प्रदेश में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा मनमाना शुल्क वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोचिंग शिक्षण संस्थानों की शुल्क को नियन्त्रित करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि गरीबों के बच्चों और बच्चियों को भी समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो, इस दिशा में सरकार की जो नीति है उससे सम्बन्धित है । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा जा रहा है कि जो बच्चे मेडिकल में बैठना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में बैठना चाहते हैं उनको कोचिंग करने के नाम पर बहुत से संस्थान खुले हुए हैं और उन संस्थानों के द्वारा बच्चों से 22 हजार रुपये से लेकर 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष कोचिंग शुल्क के रूप में लिया जा रहा है । इसमें जो सक्षम हैं जो मां-बाप इसको वहन कर सकते हैं वह रो-गाकर इसको वहन करते हैं । बहुत से गरीबों के बच्चे-बच्चियां मेधावी हैं वह आगे बढ़ने के लिए कोचिंग की सुविधा इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि वह मां-बाप इसको वहन करने में

सक्षम नहीं हैं । मैं सरकार के संज्ञान में इस स्थिति को लाकर सरकार से कहता हूं कि गरीब के बच्चों को शिक्षा के अवसर मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और जिन्होंने कोचिंग संस्थान खोल रखे हैं, उनको भी रोजी-रोटी के अवसर प्रदान हो । उसको मनमानी छूट न दी जाय इसका शुल्क न्यायोचित शुल्क हो ताकि सभी लोग आगे बढ़ सके इसमें सरकार को प्रयास करना चाहिए ।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, जहां तक कोचिंग का प्रश्न है कोचिंग संस्थानों में .....।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आपकी बात सुनायी नहीं पड़ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब सुनिये, सुनायी पड़ रहा है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, मेडिकल कालेज में पढ़ने वालों के लिए सरकार के द्वारा कोचिंग संस्थान खोलने का कोई प्राविधान नहीं है । जो निजी कोचिंग संस्थान खोले गये हैं उसमें छात्र पढ़ते हैं । सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । सरकार की तरफ से कोचिंग के लिए अधिनियम लाया गया है । अगर कोई महाविद्यालय के अध्यापक या उससे सम्बन्धित कोई व्यक्ति कोचिंग चलाता है तो उस पर भी दण्ड लगाने की व्यवस्था है । कोई अध्यापक पढ़ाता है तो उस पर दण्ड की व्यवस्था है । सरकार की तरफ से कोचिंग का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

सरकार की मंशा स्पष्ट है इन कोचिंग संस्थानों पर कोई नियंत्रण नहीं है । लेकिन जैसा मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया इस प्रकार की स्थिति है जो कोचिंग संस्थान चल रहे है उसमें बहुत से शिक्षक दूसरे विद्यालयों से सम्बन्धित है । वहां रूचि कम लेते हैं । विद्यालयों में पढ़ाने पर उनको आमदनी कम होती है । इस पर अंकुश लगाने का सरकार क्यों नहीं प्रयास कर रही है ? मेरा आशय केवल इतना है कोचिंग संस्थान द्वारा एक सुविधाजनक न्यायोचित शुल्क लिया जाय । जो मनमाना शुल्क कोचिंग संस्थान 22 हजार, 24 हजार, 28 हजार लेते हैं इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए ।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, जैसा कि पहले ही बता दिया कि जितनी भी कोचिंग चलायी जा रही है निजी संस्थानों द्वारा चलायी जा रही है । सरकार से उनका कोई मतलब नहीं है । इसलिए सरकार इसमें कोई विचार नहीं कर सकती ।

श्री राम इकबाल सिंह–

सम्पन्न तबके के लोग कोचिंग का खर्चा वहन कर लेंगे । 4 परसेन्ट लोग कैम्पस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । लेकिन जो गांव की 80 परसेन्ट पापुलेशन है, उसके सम्बन्ध में मंत्री जी का जो उत्तर है वह

प्राइवेट संस्थानों को खुली छूट देता है । वह कल्याणकारी राज्य के साथ कुठाराघात है । गांव के जो गरीब बच्चे हैं वह कहां जायें ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, कोचिंग विनियमन अध्यादेश इसीलिए लाया गया था ताकि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और वहां के पठन-पाठन का स्तर उच्च कोटि का बना रहे और शिक्षक वहीं पर ही छात्रों को चाहे मेडिकल के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए या अन्य किसी परीक्षा के लिए अच्छी शिक्षा दे सकें ।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, कोचिंग संस्थानों द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है और पूरे राज्य में लूट का वातावरण बन रहा है । जो इनकम टैक्सपेयी लोग हैं वह तो आसानी से फीस दे देते हैं लेकिन जो ग्रामीण किसानों के बेटे हैं, जो एमबीए, बीबीए आदि में जाना चाहते हैं, वह कहां जायें ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

ठीक है, इस पर विचार किया जायेगा । अभी ऐसी कोई नीति है नहीं लेकिन विचार किया जायेगा ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि कोचिंग विनियमन अध्यादेश बनाया गया है, इसके अन्तर्गत कितने निजी कोचिंग संस्थानों ने पंजीकरण कराया है और इसमें सरकारी टीचर्स को भी प्रतिबन्धित किया गया है कि वह इन कोचिंग इन्स्टीट्यूशन में न पढ़ाये । मेरी स्वयं की जानकारी है कि तमाम डिग्री कालेज के टीचर इनमें पढ़ा रहे हैं, क्या टीचर्स पर कोई कार्यवाही की गयी है ।

श्री राम आसरे विश्कर्मा–

मान्यवर, इस विनियमन अध्यादेश के तहत जहां-जहां से भी शिकायतें मिलती हैं, वहां कार्यवाही होती है । अभी सूचना एकत्रित की जा रही है कि कितने लोगों पर कार्यवाही हुई है, हम बता देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा के प्राइमरी तथा जू० हाई स्कूलों को मान्यता प्रदान कराने के सम्बन्ध में जानकारी

1–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विगत 5 वर्षों में कितने प्राथमिक/जू०हा० स्कूल को मान्यता प्रदान की गयी है तथा वर्तमान में कितने प्राथमिक/जू०हा० स्कूल मान्यता प्राप्त हैं ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि विगत 2 वर्षों से कुल कितने विद्यालयों को छात्रवृत्ति कितनी-कितनी प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–19 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री किरनपाल सिंह–

(क) विगत पांच वर्षों में जनपद आगरा में 1060 प्राइमरी तथा 306 जू०हा० स्कूलों को मान्यता दी गयी है ।

(ख) 2026 प्राइमरी तथा 646 जू०हा० स्कूल मान्यता प्राप्त है ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(विवरण हेतु देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 145-146 पर ।)

प्रमुख सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों की बैठक में लिए गये निर्णय का कार्यान्वयन

2—श्री ओंकार सिंह यादव –

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 जनवरी, 1996 को प्रमुख सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी ? यदि हां, तो आर्गनाइजेशन की ओर से प्रस्तुत मांग-पत्र की मुख्य मांगें क्या थीं ? उनके संबंध में क्या निर्णय लिये गये थे ? उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश निर्गत करा दिये गये ? यदि नहीं, तो निर्णयों से सम्बन्धित शासनादेश कब तक निर्गत करा दिये जायेंगे ?

श्री किरनपाल सिंह–

(क) जी हां ।

(ख) आर्गनाइजेशन की ओर से प्रस्तुत मांग-पत्र में कुल आठ मांगें थीं जिसमें मुख्य मांगे निम्नवत् थीं :–

1—उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या–667/15-7-83-93-2(1)/93 दिनांक 26-2-93 को निरस्त कर मा० उच्च न्यायालय एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समापन करते हुए सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षकों को इण्टरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के अधीन अनुशासित किया जाय ।

2–वेतन पुनरीक्षण समिति (समता समिति) 1989 की संस्तुतियों के आधार पर सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति की सुविधा प्रदान करने की आज्ञा निर्गत करायी जाय ।

3–बालिका सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों की अध्यापिकाओं की भांति बालक सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को अक्टूबर, 89 से मकान किराया, नगर प्रतिकर ग्रामीण एवं पर्वतीय भत्तों तथा वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93 तथा 1993-94 के देय बोनस के भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत कराया जाय ।

(ग) उक्त वर्णित मांग के सम्बन्ध में क्रमशः निम्नवत् निर्णय लिए गये थे :–

1–मुख्य मांग क्रमांक–1 के सम्बन्ध में संघ के पदाधिकारियों के विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध प्राइमरी विभाग को इण्टरमीडिएट एजुकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाय । इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव द्वारा अग्रेत्तर निर्देश दिए

गये कि उक्त निर्णय का क्रियान्वयन दिनांक 15-2-95 तक न्याय विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से किया जाय और तत्पश्चात् महामहिम के अनुमोदनार्थ पत्रावली में टिप्पणी प्रस्तुत की जाय ।

2–मुख्य मांग क्रमांक–2 के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सम्बद्ध प्राइमरी विभाग की मूलभूत समस्या उन्हें पुनः इण्टरमीडिएट एजुकेशन ऐक्ट, 1921 में सम्मिलित करने की है । उक्त कार्यवाही पूर्ण कर लेने पर ऐसे लाभ स्वतः अनुमन्य होंगे तथा तदनुसार शासनादेश जारी करने में सुविधा होगी ।

3–मांग क्रमांक–3 व 4 के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि सम्बद्ध बालक प्राइमरी विभाग तथा सम्बद्ध बालक प्राइमरी विभाग एक दूसरे के सामानान्तर हैं, इनके दोनों की प्रास्थिति में कोई भिन्नता नहीं है । इसलिए जो सुविधाएं वर्तमान में बालिका सम्बद्ध प्राइमरी विभाग को अनुमन्य हैं, वे सुविधायें सम्बद्ध बालक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को भी अनुमन्य करायी जायें ।

(घ) आर्गनाइजेशन की मुख्य मांग क्रमांक–1 से सम्बन्धित मांग–2 के सम्बन्ध में विज्ञप्ति संख्या–परिषद्–9/741 दिनांक 26 फरवरी, 2003 निर्गत की जा चुकी है ।

मांग–3 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2630 15-6-96-3009(2)/1992, दिनांक 15 अक्टूबर, 1996 के द्वारा मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, ग्रामीण भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता तथा बोनस अनुमन्य किया जा चुका है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के इन्दिरा नगर व गोमती नगर में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोलने की मांग

3–श्री ओंकार सिंह यादव तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इंदिरानगर तथा गोमतीनगर लखनऊ में कोई राजकीय महिला डिग्री कालेज न होने के कारण छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्धतंत्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है । उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जनपद–लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय, 03 राजकीय, 20 सहायता प्राप्त अशासकीय तथा 07 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं ।

आगरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की मांग

4–डा० राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव क्या शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति आगरा में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

5–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

6–डा० अशोक बाजपेयी–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

7–श्री ओम प्रकाश–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

8–श्री शारदानन्द अंचल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

9–श्री कौशल किशोर –

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद बस्ती, जूनियर हाई स्कूल, बभनान के जर्जर भवन का निर्माण

10–श्री विजेन्द्र सिंह –

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जूनियर हाई स्कूल बभनान बस्ती का भवन अत्यन्त जर्जर स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या उक्त जर्जर भवन की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जर्जर भवन के स्थान पर नवीन भवन का निर्माण कराया जा रहा है । भवन का निर्माण 50% हो चुका है शेष का निर्माण यथाशीघ्र करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

12–श्री किरन पाल सिंह–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

13-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत जिला परिषदीय जूनियर/प्राइमरी स्कूल भरोसा के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य

14-श्री अनवर महमूद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत जिला परिषदीय जूनियर/प्राइमरी स्कूल भरोसा में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां ।

निर्माण कार्य ब्लाक स्तर से कराया गया था, जिसे शीघ्र पूर्ण कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

निर्मित विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु कोई योजना शिक्षा विभाग में संचालित नहीं है ।

15-डा० अशोक बाजपेयी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

16-डा० अशोक बाजपेयी -

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा (वर्ष 2002-2003) में सम्मिलित परीक्षार्थी की संख्या

17-श्री अनवर महमूद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2002-2003 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए ? क्या उनकी संख्या वर्ष 2001 की तुलना में घटी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2002 में 21,87,868 परीक्षार्थी तथा वर्ष 2003 में 22,55,122 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, उतरौला में बालिकाओं के लिए इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की मांग

18-श्री अनवर महमूद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में बालिकाओं की इण्टर तक की शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां बालिकाओं के लिये इण्टरमीडिएट कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, हाई स्कूल स्तर तक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था परन्तु जनपद में योजनान्तर्गत परिव्यय के अभाव में इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

19–श्री संजय गर्ग–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

20–श्री राम करन आर्य–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

21–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद बाराबंकी में वर्ष 2002 में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठकों व जूनियर विद्यालय के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

22–श्री छोटे लाल यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–बाराबंकी में वर्ष 2002 में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठकें कब-कब सम्पन्न हुई और उनमें जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव से किन-किन प्रा० पाठशाला व जूनियर विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कराया गया ? विधान सभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक उक्त विद्यालयों की संख्या क्या है ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 06-12-2002 तथा दिनांक 11-01-03 को सम्पन्न हुई । 30 प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण तथा 22 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण वर्ष 2002-03 में कराया गया है । 30 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण की विधान सभा क्षेत्रवार संख्या निम्न प्रकार है :–

नवाबगंज–7, दरियाबाद–3,फतेहपुर–3, सिद्धौर–6, रामनगर–5, मसौली–3, हैदरगढ़–3,

22 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की विधान सभा क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है :–

फतेहपुर–4, नवाबगंज–5, मसौली–4, रामनगर–2, सिद्धौर–3, हैदरगढ़–1, दरियाबाद–3,

जनपद बाराबंकी में त्रिभाषा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 में अध्यापकों पर हुआ व्यय तथा शेष धनराशि

23–श्री छोटे लाल यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बाराबंकी में त्रिभाषा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कुल कितने अध्यापकों पर कितना धन व्यय किया गया है तथा कितना धन शेष बचा है ? क्या सरकार इसकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री किरन पाल सिंह–

जनपद बाराबंकी में त्रिभाषा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कुल 11 अध्यापकों पर रुपये 4,91,648/- मात्र व्यय किया गया है तथा रुपये 1,08,352/- मात्र की धनराशि शेष है :–

सूची निम्नवत् है :–

अध्यापक का नाम	भुगतान की गयी धनराशि
1–सर्वश्री राम विलास	46,920/=
2–जगत प्रसाद	46,920/=
3–राम समुझ	46,920/=
4–जगदीश प्रसाद	46,920/=
5–राजेन्द्र प्रसाद	46,920/=
6–सिया राम वर्मा	46,920/=
7–राम जी द्विवेदी	46,920/=
8–राजेश कुमार	46,920/=
9–सतीश चन्द्र	46,920/=
10–राम नरेश	46,920/=
11–केशरी किशोर मिश्र	22,448/=
योग–	4,91,648/=

उप निदेशक, शिक्षा विभाग कार्यालय, बरेली में अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण

24–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना'' –

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय बरेली में कितने अधिकारी/कर्मचारी दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तुलसी राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अयोध्या फैजाबाद में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अध्यापकों का वेतन निर्धारण

25–श्री आनन्द सेन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तुलसी राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अयोध्या फैजाबाद में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अध्यापकों का वेतन निर्धारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अगस्त, 2002 में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ग्राम बड़ौरा में शिक्षा मित्र आचार्यों के बकाया वेतन का भुगतान

26–श्री अशोक सिंह चौहान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम बड़ौरा में शिक्षा मित्र, आचार्यों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री किरन पाल सिंह–

जनपद उन्नाव के ग्राम बड़ौरा में किसी भी शिक्षा मित्र/आचार्य की तैनाती नहीं की गयी है । अतः वेतन/मानदेय के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी, तहसील नवाबगंज में स्कूल भवन हेतु आवंटित भूखण्ड पर विद्यालय का निर्माण

27–श्री छोटे लाल यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज जनपद बाराबंकी की ग्राम सभा जसनवारा प० देवा तहसील नबावगंज में स्कूल भवन हेतु (आरक्षित) भूखण्ड आवंटित है ?

यदि हां, तो गत वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित प्रा० पा० का भवन तालाब दर्ज भूमि पर निर्माण कराया गया है ? क्या आवंटित भूमि पर भवन न बनाकर तालाब खाते की भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर आवंटित भूमि पर स्कूल बनाये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

गाटा सं०–48 आबादी में दर्ज जमीन एवं गाटा सं०–49 तालाब हेतु दर्ज जमीन से एक खण्ड (0.04 हे०) नियमानुसार सक्षम अधिकारी से श्रेणी परिवर्तन कराकर उक्त खण्डों में विद्यालय का निर्माण कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि योग्य भूमि में जल भराव की समस्या के निदान की योजना

28–श्री अनिल कुमार वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 के पहले मंगलवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 36 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत 650 एकड़ कृषि योग्य भूमि में जल भराव की समस्या है ? यदि हां, तो क्या इस समस्या को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा मित्रों को नियमित रूप से प्रतिमाह मानदेय देने के निर्देश

29–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षा मित्रों को नियमित रूप से प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रतिमाह मानदेय देने के निर्देश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किये जाने के निर्देश हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

30-श्री शारदानन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

31-श्री शारदानन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

32-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

33-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

34-श्री आर० के० चौधरी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

35-श्री आर० के० चौधरी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद शाहजहांपुर में बन्द प्रा० विद्यालय में अध्यापक नियुक्त कर विद्यालय संचालित कराने की मांग

36-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत मुआडाडा विकास खण्ड जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर में बन्द प्रा० विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति कर चालू कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-9-02 प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां ।

समायोजन में की गयी व्यवस्था से वर्तमान में विद्यालय संचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

37-श्री शाहिद मंजूर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता वेतनक्रम की पदोन्नति में कोटे के पदों को भरने की मांग

38-श्री उदय राज-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-49 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयोग को प्रेषित अधियाचन पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

आयोग द्वारा चयनित सूची उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

39–डा० वकार अहमद शाह–

[मा० उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

40–डा० वकार अहमद शाह

[मा० उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

41–डा० वकार अहमद शाह–

[मा० उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

42–डा० वकार अहमद शाह–

[मा० उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

43–डा० वकार अहमद शाह–

[मा० उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया]

शाहजहांपुर की सहकारी चीनी मिल, तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में पत्र

44–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-9-2000 जो सहकारी चीनी मिल तिलहर शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के पत्रांक 321 दिनांक 16-9-2000 द्वारा जिला गन्ना अधिकारी शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 14-8-2002 के अनुसार मा० विधायक महोदय का दिनांक 6-9-2000 का ऐसा कोई पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त नहीं हुआ है जो सहकारी चीनी मिल तिलहर, शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच से सम्बन्धित हो । मा० विधायक महोदय का एक पत्र दिनांक 6-9-2000 ग्राम गढ़िया रंगीन से जरगवां मार्ग, विकास खण्ड जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर 2 कि०मी० का डामरीकरण जो गन्ना विभाग द्वारा पूर्ण कराया जाना था को पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में शिकायत करते हुए उसे पूर्ण कराये जाने की मांग की गयी थी, जिसे जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या–321 दिनांक 16-9-2000 के साथ संलग्न कर, जिला गन्ना अधिकारी, शाहजहांपुर को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था । जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार उक्त मार्ग के डामरीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अम्बेडकर नगर मे संचालित संस्कृत विद्यालय एवं नियुक्त अध्यापक व कर्मचारी

45-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर में कितने मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय संचालित हैं और उनमें कुल कितने अध्यापक व कर्मचारी नियुक्त हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद अम्बेडकर नगर में मान्यता प्राप्त कुल 34 संस्कृत विद्यालय संचालित हैं जिनमें सहायता प्राप्त 16 व वित्तविहीन मान्यता प्राप्त 18 संस्कृत विद्यालय हैं ।

प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 16 संस्कृत विद्यालयों में कुल 100 (एक सौ) अध्यापक व कर्मचारी नियुक्त हैं ।

भगवती दीन मिश्र लघु मा० वि०, तारापुर, जनपद प्रतापगढ़ में प्रबन्धतन्त्र द्वारा की गयी फर्जी नियुक्तियों की जांच की मांग

46-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि भगवती दीन मिश्र लघु मा० वि०, तारापुर जनपद प्रतापगढ़ में प्रबन्धतन्त्र द्वारा फर्जी नियुक्तियों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय श्री बादशाह सिंह, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 19 मई, 2003 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा जाँच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

47-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०-85 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली द्वारा प्रश्नकर्ता का साक्ष्य प्राप्त करके जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

मा० सदस्य के पत्र संख्या-क-2 नं० 198202, दिनांक 20-2-02 एवं पत्र संख्या-174415, दिनांक 2-7-02 में उल्लिखित शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली द्वारा अपने पत्रांक-8484, दिनांक 26-8-02 द्वारा माननीय सदस्य से साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया

गया था जिसके क्रम में मा० सदस्य ने अपने पत्र सं०–003262/30-8-02 में शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किये जाने पर अनिच्छा व्यक्त की ।

अतः मा० सदस्य की इच्छा का समादर करते हुए शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य), उत्तर प्रदेश, लखनऊ से करायी गयी ।

मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) की जाँच आख्या दिनांक 10-2-2002 के आधार पर, मा० सदस्य के उपर्युक्त पत्र में की गयी शिकायतें प्रमाणित नहीं पायी गयी हैं ।

जनपद शाहजहांपुर के नगर क्षेत्र तिलहर में शिक्षा अधीक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

48–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नगर क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा अधीक्षक का पद वर्ष 1995 से रिक्त है ? यदि हां,तो उक्त पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है । शीघ्र ही रिक्त पद की पूर्ति कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

49–डा० अशोक बाजपेयी–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

50–डा० वकार अहमद शाह–

[मा० उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद जालौन के लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं व लिपिकों द्वारा हेराफेरी तथा गबन करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

51–श्री दयाशंकर वर्मा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-2-03 जो लघु सिंचाई विभाग जालौन के अभियन्ताओं व लिपिकों द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों एवं हेरा-फेरी कर शासकीय धन का गबन करने से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासकीय धन की हेराफेरी कर गबन किये जाने वाले मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)–

जी हां ।

प्रकरण की जाँच टेक्निकल आडिट सेल से करायी गयी है । जाँच आख्या प्राप्त हो गयी है, जिसका परीक्षण कर अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उनका परीक्षण करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रबन्धक डा० जी० के० जेटली इण्टर कालेज, अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा सहायक अध्यापक के विरुद्ध जाँच विषयक प्रेषित शिकायती-पत्र

52–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रबन्धक, डा० जी० के० जेतली इण्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर द्वारा पत्रांक सं०–67/2002-03 दिनांक 20-6-02 व दिनांक 4-7-2002 को विद्यालय के सहायक अध्यापक के विरुद्ध जाँच कर जि० वि० निरीक्षक को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन्दर्भित पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकर नगर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय प्रा० पाठशाला में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

53–श्री अजाम भाई–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के प्रा० पाठशाला अंगदपुर धातरी कोटला, फरिहा, मुस्तफाबाद, एका, कोंडरा सिरसागम, पाडम, जसराना में 33 पढ़ने वाले छात्र होते हुए भी उर्दू अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थानों पर उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रा० पाठशाला घाघरी व अंगदपुर को छोड़कर शेष सभी सन्दर्भित विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी थीं । विगत वर्षों में स्थानान्तरण से इन विद्यालयों में कार्यरत जो उर्दू अध्यापक अन्यत्र विद्यालयों में चले गये थे उनके स्थान पर उर्दू अध्यापक की व्यवस्था कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की दि सहकारी चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान कराने की मांग

54–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर द्वारा वर्तमान पेराई सत्र के गन्ने के मूल्य का भुगतान किसानों का कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

कुल देय गन्ना मूल्य रु० 3148.00 लाख था जिसमें से रु० 2626.54 लाख का भुगतान हो चुका है। अवशेष रु० 521.46 लाख का भुगतान संघ को धन की उपलब्धता होने पर कर दिया जायेगा।

जनपद चन्दौली के गौरी कोटवा ड्रेन (सेकेण्ड गड्ई) में रामपुर व भरतपुर गांव के समीप नाले पर गांव के लोगों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग

55-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के गौरी कोटवा ड्रेन (सेकेण्ड गड्ई) में रामपुर व भरतपुर गांव के समीप नाले पर गांव के लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जनपद चन्दौली के गौरी कोटवा ड्रेन (सेकेण्ड गड्ई) में रामपुर व भरतपुर गांव के समीप नाले पर गांव के लोगों द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

56-श्री मतेश चन्द्र सोनकर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

नगर फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की मांग

57-श्री अजीम भाई-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नगर फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो प्रोन्नति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

दिनांक 14-08-2003 को पदोन्नति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के रसूलपुर कन्या बेसिक प्राइमरी स्कूल की जांच व दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

58-श्री अजीम भाई-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के नगर फिरोजाबाद रसूलपुर कन्या बेसिक प्राइमरी स्कूल दस वर्षों से फर्जी चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

59–श्री राम करन आर्य–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

60–श्री राम करन आर्य–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

61–श्री राम करन आर्य–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की मांग

62–श्री अजीम भाई–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

63–डा० शिव प्रताप यादव–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद अम्बेडकर नगर डा० जी० के० जेतली इण्टर कालेज, अकबरपुर के अध्यापकों द्वारा बोर्ड परीक्षा में असहयोग करने सम्बन्धी पत्र

64–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० जी० के० जेटली इण्टर कालेज अकबरपुर अम्बेडकर नगर के प्रधानाचार्य द्वारा पत्रांक 09/1997-98 दिनांक 23-3-98 व पत्रांक 10/1997-98 दिनांक 23-3-98 जो विद्यालय के अध्यापकों द्वारा बोर्ड की परीक्षा केन्द्र में केन्द्र व्यवस्थापक के आदेशों का उल्लंघन एवं बोर्ड परीक्षा में असहयोग करने के सम्बन्ध था, जि० वि० नि० अम्बेडकर नगर व क्षेत्रीय सचिव मा० शि० प० वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

65–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

66–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

67–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

फैजान इस्लामिया जू० हा० स्कूल मैनपुरी में की गयी अवैध नियुक्ति करने विषयक शिकायती-पत्र

68–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजान इस्लामियां जू० हा० स्कूल मैनपुरी में अवैध नियुक्ति करने विषयक शिकायत श्री फैयाज अहमद सिद्दीकी द्वारा दिनांक 5-5-03 को बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी से की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त दिनांकित शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही/जाँच करायी गयी है ? यदि हां, तो जाँच निष्कर्ष क्या है ? यदि जाँच नहीं करायी गयी, तो क्यों ? यदि करायी जाएगी तो कब तक ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जाँचोपरान्त आरोप मिथ्या एवं निराधार पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जाँच

69–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराए जाने विषयक श्री शिवराज सिंह यादव, संगठन मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपुरी का पत्र दिनांक 31-8-02 पर प्रश्नकर्ता का संस्तुति पत्र दिनांक 7-9-02 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्रों की जाँच मँडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा से करायी गयी । जाँचोपरान्त तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर भवन निर्माण की धनराशि पी०एल०ए० के स्थान पर चालू खाते में जमा कराने तथा निर्वाचन, छात्रवृत्ति आदि मद की धनराशि को भवन निर्माण के मद में व्यय करने के आरोप स्थिर हुए हैं, जिसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

70–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जाँच कराने हेतु सचिव, मुख्य मंत्री का पत्र दिनांक 10-9-02 सचिव बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी नहीं । सम्बन्धित विषय पर दिनांक 7-9-02 का पत्र प्राप्त हुआ है । शिकायतों की जाँच मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा से करायी गयी । जाँचोपरान्त तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर भवन निर्माण की धनराशि पी०एल०ए० के स्थान पर चालू खाते में जमा कराने तथा निर्वाचन छात्रवृत्ति आदि मद की धनराशि को भवन निर्माण के मद में व्यय करने के आरोप स्थिर हुए है, जिसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

71–श्री शाकिर अली–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद फैजाबाद द्वारा श्री परशुराम बी०टी०सी० प्रशिक्षित की नियुक्ति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

72–श्री आनन्द सेन–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 23-4-03 जो श्री परशुराम, बी०टी०सी० प्रशिक्षित को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद द्वारा वर्ष 1997 में प्राथमिक विद्यालय ताजपुर बीकापुर, फैजाबाद में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के बावजूद कार्यभार ग्रहण न कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

श्री परशुराम की नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश संख्या–नियुक्ति/3368/77/97-98 दिनांक 19-12-97 द्वारा प्रा० वि० ताजपुर, बीकापुर में की गयी थी और उन्हें एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश थे । नियुक्ति-पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी । श्री परशुराम उक्त अवधि के बाद दि० 15-1-98 को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे और विलम्ब के कारण प्रधानाध्यापक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया । वर्ष 2003 में प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद श्री परशुराम द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया । श्री परशुराम यादव द्वारा अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 3439/एस०एस०/2003 योजित की गयी है जो मा० न्यायालय में लम्बित है । श्री यादव दिनांक 3-7-2003 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप खण्ड जनपद शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच विषयक शिकायती-पत्र

73–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 27-7-02 जो नलकूप खण्ड शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने के सम्बन्ध में था, दि० 2-9-02 को या इसके आस-पास रजि० डाक द्वारा अधीक्षण अभियन्ता नलकूप बरेली मण्डल को भेजा गया था. प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर अधीक्षण अभियन्ता नलकूप द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

(क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उपरोक्तानुसार ।

जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद–सीतापुर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

74–श्री अनिल कुमार वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2003 के पहले मंगलवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 37 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय श्रेणी के तीन तथा चतुर्थ श्रेणी के तीन कर्मचारी जो 8-10 वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण अन्यत्र करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है । सम्प्रति स्थानान्तरण का कोई आधार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की मांग

75–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर में वर्तमान पेराई सत्र के गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी नहीं !

चीनी विक्रय की दरों के काफी कम हो जाने के कारण, बैंक के कैश क्रेडिट खाते में ब्याज लगने, पेराई सत्र के प्रारम्भ में चीनी की दरों में हुई अप्रत्याशित कमी के कारण गत वर्ष की बन्धक दर में बैंक द्वारा कमी कर दिये जाने एवं गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान वर्तमान पेराई सत्र में किये जाने के कारण गन्ना मूल्य का पूरा भुगतान मिल स्तर पर किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

कुल देय गन्ना मूल्य रु० 3148.00 लाख था जिसमें से रु० 2626.54 लाख का भुगतान किया जा चुका है । अवशेष रु० 521.46 लाख का भुगतान संघ को धन की उपलब्धता होने पर कर दिया जायेगा ।

जनपद सीतापुर में सुरली नाला की सफाई कराने की मांग

76-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

76-क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में सुरली, चौरारी नालों की सफाई न होने के कारण किसानों की कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है ? क्या सरकार उक्त नालों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जनपद सीतापुर में सुरली नाम का कोई नाला नहीं है । अपितु सुमली नाला है ।

सुमली व चौरारी नाला की सफाई न होने से इन नालों के आसपास की भूमि जलमग्न हो जाती है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण केवल ट्रंक ड्रेनों की सफाई करायी जा रही है । सुमली नाला जो ट्रंक ड्रेन के अन्तर्गत आता है, की सफाई वर्ष 2003-04 में आवश्यकतानुसार करा दी गयी है । चौरारी नाला ट्रंक ड्रेन न होने के कारण इसकी सफाई प्रस्तावित नहीं है ।

77-डा० शिव प्रताप यादव-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में कुतुबपुर आदि ड्रेनों की सफाई कराने की मांग

78-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि महमूदाबाद सीतापुर में कुतुबपुर ड्रेन भहुआ डाडा ड्रेन, पहाड़ापुर ड्रेन, नगलापुर ड्रेनों में सफाई न होने के कारण किसानों की जमीन जलमग्न रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेनों की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां ।

जी नहीं । उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप निर्धारित विभागीय नीति के अनुसार सम्प्रति केवल ट्रंक ड्रेनों की सफाई की जाती है और उक्त ड्रेनें ट्रंक ड्रेनें नहीं हैं ।

79-श्री राम विशुन आजाद-

[मा० सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय डिग्री कालेज महमूदाबाद जनपद सीतापुर के भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग

80-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज, महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर के भवन निर्माण हेतु क्या भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर मथुरा के ग्राम हैठी में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण की मांग

81–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–हैठी, विकास खण्ड–रामपुर-मथुरा जनपद–सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी नहीं ।

भवन प्रभारी अध्यापक के आकस्मिक निधन एवं धनाभाव के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण है ।

82–श्री शारदानन्द अंचल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की बभनान शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान

83–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की बभनान शुगर मिल द्वारा वर्तमान पेराई सत्र, 30 मई, 2003 तक सभी गन्ना कृषकों का गन्ना क्रय कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के सदस्य गन्ना कृषकों का समस्त बाण्डेड गन्ना पेर कर बभनान शुगर मिल द्वारा दिनांक 11-07-03 की पेराई बन्द कर दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार

84–श्री अजीम भाई–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर कोई कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)–

लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जन शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2003 को उनकी स्मृति में उनके जन्म स्थान सिताब दियरा, बलिया में जय प्रकाश नारायण प्रतिष्ठान द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है । इसके अतिरिक्त शहीद स्मारक बसन्तपुर, बलिया की प्रबन्ध समिति द्वारा बसन्तपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है । उक्त अवसर पर शासन स्तर से पृथक से अन्य किसी कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया है । उक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है ।

मंत्रि-मण्डल में शामिल सदस्यों के प्रश्नों के स्थान पर अन्य प्रश्नों को लिये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष-

पूछिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सारे प्रश्न आपके द्वारा निर्धारित होते हैं, आज 9 प्रश्न ऐसे हैं, जो हटाये गये हैं, कारण है कि माननीय सदस्य मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो गये हैं। तारांकित प्रश्नों में निर्धारित है कि यह 20 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 2-3 महीने मंत्रि-परिषद् को बने हो गये हैं, जो सदस्य मंत्री बन गये हैं उनके प्रश्नों को हटाने के बाद और प्रश्नों को ले लिया जाना चाहिए था ताकि दूसरे सदस्यों को अवसर मिल जाता। इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

इसमें व्यावहारिक कठिनाई आयेगी लेकिन इसको हम देख लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रश्न-4 में मेरी रुचि हैं इसमें जवाब दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष-

अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभी 10 मिनट बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने कह दिया कि प्रश्नकाल समाप्त तो समाप्त। जब मैं प्रश्न ले रहा था तब आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी।

[समय 12 बजकर 10 मिनट]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इसे पढ़ना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है, वह उपस्थित हैं। (पढ़ी मानी गयी), तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की है। उपस्थित हैं। (पढ़ी मानी गयी),चौथी सूचना श्री राजेश कुमार की है, उपस्थित हैं। (पढ़ी मानी गयी), पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह की है उपस्थित हैं। (पढ़ी मानी गयी), छठी सूचना श्री कालीचरन राजभर की है उपस्थित हैं। (पढ़ी मानी गयी), सातवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, उपस्थित हैं। (पढ़ी मानी गयी), प्रतीक्षा सूची में श्री राम नरेश यादव, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव (प्रश्न नहीं उठता), जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी वह हैं-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री मुंशी लाल गौतम, डा0 रामबाबू हरित तथा श्री राम किशुन।

(स्वीकृत सूचनाओं में से डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना को छोड़कर शेष सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम नैनी, इलाहाबाद में सवा करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, नैनी (इलाहाबाद) में लगभग सवा करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न घोटाला किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में निगम के पूर्व केन्द्र प्रभारी, गोदाम प्रभारी तथा दो अन्य के विरुद्ध औद्योगिक क्षेत्र थाना नैनी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त भण्डारण निगम में सवा करोड़ रु0 के गेहूँ, चावल, यूरिया तथा भूमि सुधार पाउडर जिम्सम भण्डारों से गायब पाया गया। इसकी जानकारी नये भण्डार अधीक्षक को 14 जुलाई, 2003 के चार्ज प्राप्त होने पर हुई। गोदाम में रखे खाद्यान्नों को अंकेक्षण कराये जाने पर गोदाम संख्या-1, 2, 3, 5 व 8 में अभिलेखों के अनुसार 35,97,860 रु0 मूल्य के खाद्यान्न कम पाये गये। गोदाम संख्या-4, 6 व 7 में 15,46,525 रु0 तथा गोदाम संख्या-9 व 10 में 15,71,320 रु0 मूल्य के खाद्यान्न गायब मिले। इसी तरह अन्य गोदामों से 41,70669 रु0 तथा 1,13,841 रु0 के खाद्यान्न कम पाये गये। इस पर पिछले पाँच सालों में पाँच बार अंकेक्षण हुआ परन्तु आश्चर्य की बात है कि अंकेक्षण के बावजूद इतने बड़े घोटाले का पता नहीं चला। इससे आडिट करने वालों पर भी शक की उंगली उठती है। अभी अन्य गोदामों की भी जाँच पड़ताल की जा रही है। उक्त प्रकरण गंभीर चिन्ता का विषय है, इस घोटाले की जाँच सतर्कता विभाग से कराये जाने की सरकार से अपेक्षा है तभी घोटाले का पूरी तरह पर्दाफाश हो सकेगा। अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत मतवां, भवालपुर मार्ग के बीच लोनी नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में जुवा मतवां, भवालपुर मार्ग के बीच में लोनी नदी पर पुल का निर्माण न होने से ग्रामीण जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूर दराज से आने जाने में काफी समय बर्बाद होता है। आस-पास क्षेत्र की बालक-बालिकाओं को नदी पार करते

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समय अनेकों बार दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। बरसात के दिनों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को देखते हुए सदन में चर्चा कराने तथा जुवा मतवां भुवालपुर मार्ग के बीच में लोनी नदी पर पुल निर्माण तत्काल कराने का आदेश पारित किया जाये।]

जनपद आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करसड़ा में विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ के ग्राम करसड़ा विकास खण्ड पल्हना में इस वित्तीय वर्ष में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु शिलान्यास किये तथा कार्य प्रारम्भ हो गया था मगर इस समय बन्द कर दिया गया है। जबकि जनहित में अति आवश्यक योजना है। इस क्षेत्र की जनता की पहले से मांग चली आ रही थी। कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश एवं निराशा व्याप्त हो गई है तथा ऐसे जनहित में महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र शुरु करा देना चाहिए था। अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त परियोजना को शीघ्र शुरु कराने की मांग करता हूं।]

जनपद खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खजुहा से सल्यहाबाद तक पेन्टेड रोड निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र पैला खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड बेहजम के ग्राम खजुहा से ग्राम हज्जनपुर होते हुए सल्यहाबाद पी0 डब्लू0 डी0 रोड तक क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्रीय लोगों में जनाक्रोश एवं दुःख व्याप्त है। ग्राम खजुहा से सल्यहाबाद तक पेन्टेड रोड का प्रस्ताव शासन के पास विचारधीन है। अतः आपसे इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं तथा ग्राम खजुहा से सल्यहाबाद तक निर्माण की भी मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड मंगरौरा में राजकीय हाई स्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"-

[जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा तहसील पट्टी तथा विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए दिनांक 9-6-2001 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक राजकीय हाई स्कूल/इण्टर कालेज मंगरौरा स्वीकृत किये जाने की घोषणा की थी जिसके लिये ग्राम सभा वारीकला में भूमि भी निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी थी। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़, संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा गया है, जिला योजना समिति प्रतापगढ़ द्वारा

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धन की व्यवस्था भी कर दी गयी है, इसी प्रकार राजकीय कन्या हाई स्कूल, पट्टी एवं आसपुर देवसरा को हाई स्कूल से इण्टर कक्षा तक उच्चीकृत किये जाने का भी प्रस्ताव किया गया है जो घोषणा सं0-70/2001 का भाग है इसके लिये भी शासनादेश प्रतीक्षित है। इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, शासकीय शिथिलता के कारण नहीं हो सका। अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के उपरोक्त कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवली से हैदरगंज तक जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग को पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन राजभर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद, जिला गाजीपुर में ग्राम-देवली से जो मार्ग हैदरगंज तक जाती है काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है। इस मार्ग पर देवली, असना, महिपालपुर, रायपुर, हैदरगंज के लोगों का आवागमन ज्यादा है। मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्रीय लोगों में जनाक्रोश एवं दुःख व्याप्त है। अतः आपसे चाहूंगा कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं तथा इस मार्ग के निर्माण की मांग करता हूं।]

मेरठ महानगर के शाक्यपुरी मोहल्ले में स्थित डिस्टलरी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मेरठ महानगर के शाक्यपुरी मोहल्ले में रहने वाले लोग वहीं स्थित डिस्टलरी के प्रदूषण से परेशान होकर दम घुटवाने को मजबूर हैं। यह इकाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन नहीं कर रही है। जो यंत्र लगा रखा है वह भी चलता नहीं तथा उसकी क्षमता भी उत्पन्न प्रदूषण के अनुपात में ऊंट के मुंह में जीरा है। इस संयंत्र की गैस से लोगों के इलैक्ट्रोनिक उपकरण कुछ समय से खराब, बिजली के तार एल्यूमिनियम के न दिखकर नीचे से केबिल समझ में आते हैं। उनके शरीर के जेवर अंगूठी काले पड़ जाते हैं, घर के बर्तन, शील्ड आदि भी काले हो जाते हैं। पीतल की बटूली काली पड़ जाती है। उपरोक्त से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निवासियों के शरीर पर यह क्या प्रभाव डालता होगा। यदि आन्दोलन होता है तो निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ झूठे मुकदमें चलाये जाते हैं। नगर निगम, जिला एवं पुलिस प्रशासन की भूमिका भी सामान्य जनता की विरोधी है। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मुख्य मंत्री द्वारा की गई नई गन्ना नीति की घोषणा के कुछ और बिन्दुओं पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा घोषणा

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, कल नेता सदन ने सदन में कुछ नीतिगत घोषणाएं की हैं उसमें कुछ बिन्दुओं से और अवगत कराना है। मान्यवर, चीनी मिलों की देनदारियां तथा राज्य सरकार का ऋण, शक्कर

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेष निधि का ऋण व उस पर ब्याज तथा गन्ना विकास निधि ऋण मूल धन व ब्याज को ब्याज रहित ऋण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। चीनी मिलों को प्रतिवर्ष आगामी 7 वर्षों तक निम्न रियायतें दी जायेंगी-क-चीनी मिल पर प्रवेश कर से छूट, ख-बगास पर बिक्री कर से छूट, ग-गन्ने पर क्रय कर से छूट, घ-शीरे पर प्रशासनिक चार्ज/बिक्री कर से छूट, पट्टे को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। सभी चीनी मिलों को एक साथ पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। अलग-अलग पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही करने पर कुछ अच्छी चीनी मिलों का निस्तारण ही हो जाएगा और बीमार तथा बन्द चीनी मिलों को कोई लेने वाला नहीं रहेगा।

इस प्रस्तावित व्यवस्था में उन चीनी मिलों की परिसम्पत्तियों को बेचा नहीं जा रहा है बल्कि पट्टे पर दिया जा रहा है। भूमि के अतिरिक्त जो परिसम्पत्तियां नई मिल लगाते समय अनुपयोगी या सरप्लस हो जायेंगी उनको बेचकर उनकी बिक्री से प्राप्त पूरी धनराशि उत्तर प्रदेश चीनी निगम को अलग से मिलेगी। निगम के ऐसे कर्मचारियों को जिनका प्राविडेंट खाता है, को पट्टेदार को हस्तान्तरित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जो पट्टेदार की सेवा में जाने के इच्छुक नहीं होंगे उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति देते हुए उनके देयों का भुगतान निगम द्वारा किया जायेगा। जो कर्मचारी पट्टेदार की सेवा में जायेंगे उनके समस्त देयों, जो उनके पूरे सेवाकाल से संबंधित होंगे, का भुगतान पट्टेदार द्वारा किया जायेगा। चीनी का स्टाक तथा उस स्टाक पर कार्यशील पूंजी के रूप में बैंक के दायित्व भी पट्टेदार को चले जायेंगे। चीनी की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त राशि निगम को प्राप्त होगी। प्रीमियम के रूप में धनराशि देने हेतु खुले टेण्डर से आफर मांगे जायेंगे। अधिकतम प्रीमियम देने वाले बोलीदाता का प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है।

मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की दशा में इस परिसम्पत्तियों को बन्धक रखने का अधिकार दिया जायेगा। पट्टेदार वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में मिलों की भूमि/भवन के लीज होल्ड राइट्स को ही बन्धक कर सकेंगे।

निविदा देने के लिए वही संस्थाएं अधिकृत होंगी, जिनकी नेटवर्क न्यूनतम रु0 50.00 करोड़ होगी यह जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में लाभ अर्जित किया हो या लाभांश का भुगतान किया हो।

पट्टेदार से पट्टे के किराये के रूप में पेरे गये गन्ने पर एक रुपया प्रति टन के हिसाब से वार्षिक किराया लिया जायेगा। चीनी मिलें 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी जायेंगी। 30 वर्ष की अवधि के पश्चात् पट्टे का नवीनीकरण 100 प्रतिशत लीज रेट बढ़ाकर अगले 30 वर्ष के लिए किये जाने का प्राविधान रखा गया है पट्टेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का पालन न होने पर अनुबन्ध तीन माह की नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने चीनी मिल के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की। लेकिन जो बन्द हैं उनके सम्बन्ध में इन्होंने कुछ नहीं बताया है। मान्यवर, हमारे यहां पुआयां चीनी मिल बन्द है। यहां पर 30 से 40 रुपया प्रति क्विटंल गन्ना बिक रहा है उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मुझे अच्छी तरह से याद है और कल की ही बात है, कल नेता सदन ने आपसे यह प्रश्न उठाया था और उन्होंने यह आश्वस्त किया था कि चीनी मिल चलेगी। अभी चौबीस घण्टे भी नहीं बीते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल मैंने थर्मल पावर प्लान्ट के बारे में पूछा था।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

ठीक है, मैं इस सम्बन्ध में जानकारी ले लूंगा। हमारी कुछ छिपाने की नीयत नहीं है, करने की मंशा है।

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, एक जानकारी मैं भी चाहूंगी कि हमारे यहां बुढ़वल चीनी मिल पिछले वर्ष चली थी लेकिन इस साल चलाने की व्यवस्था नहीं हो पायी है। वहां का किसान 40 से 50 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना बेचने पर मजबूर हो रहा हैं हमें भी आश्वासन दिया जाय कि बुढ़वल चीनी मिल चलेगी।

श्री मो0 आजम खां-

मैं इसको देख लूंगा।

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, हमने जो नियम-311 में सूचना दी थी उस पर आप हमको सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष-

पहले नियम-300 की सूचनाएं हो जाने दें उसके बाद आपको सुन लेते हैं।

दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 को मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी नीतिगत घोषणाओं पर चर्चा न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 09-12-03 को नियम-300 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई तथा नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त एक-एक सूचनाओं को भी नियम-300 में परिवर्तित किया गया है। इसमें पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी की जो दिनांक 8-12-03 को मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन में घोषित 4 नीतियों पर चर्चा न कराये जाने के सम्बन्ध में है। इसी विषय पर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह व श्री घनश्याम शुक्ला जी की भी है। इसे नियम-56 से नियम-300 में परिवर्तित कर दिया गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्योंकि सदन सत्र में था, कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें सदन में की थीं यह स्वागत योग्य हैं लेकिन जहां तक शहरी विकास का सम्बन्ध है, यह प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इससे जनता का ही नहीं बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर इससे प्रभाव पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे सदन में प्रस्तुत किया था। जब सदन चल रहा हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी कोई भी वक्तव्य या नीतिगत घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे विधिवत्

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यसूची में लाते तो इस पर चर्चा हम भी करते और उसे सदन में एक मुश्त रखकर और उसमें सदस्यों से, क्योंकि उस समय सदस्यों को उस नीति के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिये सदन के माननीय सदस्य अपने उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सके और उस नीति के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सके, न ही उस पर विस्तृत विचार-विमर्श कर सके। प्रदेश के भविष्य की बन रही योजना में वह अपना भी योगदान कर सकें और मैंने जब पीठ से यह आग्रह किया कि आप इस पर दो घण्टे की चर्चा 09 या 10 तारीख में करा लें, लेकिन अभी भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया, होना तो यह चाहिए था कि उस पर दो घण्टे की चर्चा करायी जाती, वह अवसर भी हमको नहीं मिला।

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण घोषणा, महत्वपूर्ण नीति है और उसका लाभ शहरी क्षेत्रों से लेकर गांव के दूर-दराज क्षेत्रों में अमीर से लेकर गरीब तक उद्योगपति से लेकर श्रमिक तक सभी लोगों को मिलना हैं उसमें चीनी मिलों को पट्टे पर देने की घोषणा की गयी जो प्रदेश के गन्ना किसानों का भविष्य निर्भर करेगा। शहरी विकास और ग्रामीण विकास योजनाओं का हानि-लाभ जनता पर जाने वाला है या नहीं इस पर भी चर्चा हो जातीं हाई-टेक सिटी बनने से शहर को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं में, उद्योगों की स्थापना में, इस प्रदेश की जनता को और उद्योगपतियों को क्या-क्या लाभ और हानि मिलने वाली है, इन सभी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हो जाता और सभी बिन्दुओं पर जन हित में विस्तृत चर्चा हो जाती कि इससे जनता पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है या उसे वास्तव में लाभ मिलने वाला है, इन सभी बिन्दुओं पर दो घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली जाय और जब सदन इन मुख्य बिन्दुओं पर सामान्य रूप से चर्चा कर लेगा तब यह लागू होंगी तो ठीक रहेगा और सरकार द्वारा लिये गये निर्णय में इससे सदन की सहभागिता भी हो जायेगी। मेरा आपसे आग्रह है, नहीं तो इस सदन का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा, सदन में इतनी महत्वपूर्ण घोषणा की गयी है, और सदन के विचार-विमर्श का अधिकार रोक दिया गया है, और सदस्यों को उससे वंचित कर दिया गया है, अगर सदन की मर्यादा और उसकी गरिमा, उसका वर्चस्व बनाये रखना है तो उस पर दो घण्टे की चर्चा करा लें, इससे सरकार को मदद मिलेगी। मान्यवर, मैं औचित्य के इस प्रश्न के माध्यम से आपकी पीठ से व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राम कृपाल-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी जब इस तरफ होते थे और हम लोग उधर बैठते थे, जब यह आपकी पीठ पर जाते थे और तब हम लोग भी लोक महत्व का सवाल उठाते थे तब माननीय बाजपेयी जी का लोक महत्व कहां होता था, तब हम लोग लाबी में एकत्र होकर कहते थे कि यह लोक हित की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं। आज वही लोक हित की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

इस सूचना में जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं, उनमें से कोई कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

*श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, जो भी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन में की गयी है, वह स्वागत करने योग्य है, लेकिन सदन में चर्चा न हो यह बहुत ही दुःखद विषय है, सदन में चर्चा होने पर माननीय सदस्यों की राय आती है मान्यवर, इसमें कहीं न कहीं अगर सत्ता पक्ष के लोग कोई बात भूल जाते हैं तो विपक्ष के लोग या और दल के लोग, यह बतायेंगे कि किस तरीके से प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है और जिस तरीके से प्रदेश पूंजीपतियों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में सारी व्यवस्थाओं का मार्ग निर्धारण कर रहे हैं। मान्यवर, सारा प्रदेश उनको जानना चाहता है यह बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है। मान्यवर, चाहे गन्ने का मामला हो या बन्द चीनी मिलों का मामला हो, चाहे शहरी विकास नीति का मामला हो, चाहे औद्योगिक विकास नीति का मामला हो मैं चाहता हूं कि सदन में इन पूरे मामलों पर दो घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली जाये ताकि चर्चा में हर बिन्दु आ जाए। सरकार ने जो शहरी विकास नीति की घोषणा की है इसमें गांव का गरीब आदमी लाभान्वित नहीं होगा तो विकास परिषद् में तमाम बड़े-बड़े पूंजीपति बैठे हुए हैं वह उससे लाभान्वित हो जायेंगे, उसमें सम्मिलित हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सदन और प्रदेश की जनता पूरी तरह से अवगत है कि यह सरकार कुछ करना चाहती है बिजली क्षेत्र में और सड़कों के विकास में कुछ करना चाहती है। और गरीबों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ करना चाहती है। कल सदन में माननीय नेता सदन ने यह सारी घोषणायें कीं। अगर मान्यवर, सरकार की मंशा साफ नहीं होती तो उस समाज के लिये प्रदेश के इन तमाम लोगों के लिए जिन्हें आज इन इकाइयों की जरूरत है जो बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, साफ-सुथरा प्रशासन चाहते हैं अगर उनकी यह आवश्यकताएं नहीं होती तो यह नीति यह सरकार न बनातीं अगर हमारी नीयत में कोई खोट होती तो इस माननीय सदन में इस नीति को पेश नहीं किया जाता। सदन में इसे पेश करके, प्रदेश की 17 करोड़ जनता की मंजूरी ली गयी। मान्यवर, यह सारी बातें जो यहां होती है वह जनता के लिये हैं। जनता की सरकार जनता के लिये है। यह नीतियां सदन के उठने के बाद भी पेश की जा सकती थीं लेकिन हमने इसे माननीय सदन में पेश किया हैं तो जितने भी भ्रम हैं जेहन में उन्हें निकालने का काम करें।

मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से सरकारें चल रही थीं उसमें जनता का अहित हुआ है। बहुत सी इकाइयां जो बन्द नहीं होनी चाहिए थी, वह बन्द हुई हैं। बिजली की व्यवस्था बदत्तर हुई है, सड़कों की जो हालत है वह सबके सामने है अगर गुजरे हुए दिनों पर कोई टीका-टिप्पणी होती है तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, आपकी शिकायत बिल्कुल वाजिब है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा न हो जनता के लिये विकास के कार्य हो, उसे पूरी बिजली पानी मिले, सड़कें अच्छी बनें प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की उन्नति में लोगों को काम भी मिले उसके लिये यह सारी कोशिशें है। नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य नेताओं ने इसका स्वागत भी किया हैं उनके अन्दर जो कुछ कमजोरियां महसूस की गयी थीं आज उनकी घोषणा इस सदन में कर दी गयी हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारे काम करने के तरीके पर कोई शुबहा नहीं होना चाहिए। हमारी मंशा अच्छी हैं लेकिन उन्हें जो शक है, उनकी जिज्ञासायें हैं वह पिछले आठ-साढ़े आठ साल के उन दिनों के मद्देनजर रख रहे हैं जो एक काला दौर गुजरा हैं उसका यह शक वाजिब है, लेकिन मैं उन्हें यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार उन कामों को नहीं करेगी जिन कार्यों पर उन्हें एतराज हो सकता है। यह सारे काम विकास के लिये होने वाले हैं जो नीति की घोषणायें हुई हैं वह किसी बहस के लिये नहीं हैं। इसे लागू हम करना चाहते हैं। जनता के लिये, जनता के द्वारा यह नीतियां लागू की जाएं इसलिये इसे सदन में पेश किया गया है इसमें बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे लागू होने में समय लगेगा और जब नतीजे आने लगेंगे तो आगे सत्र होगा उसमें उन कमजोरियों पर, कमियों पर बहस हो सकती है, उनके लिये आज ही से स्वागत करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी अपनी बात कही। अपेक्षा यह थी कि जो चर्चा की बात रखी गयी है जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है आपने बढ़वा दिया है उन पर सदन का भी मत आ जाय। हमें भी अपने विचार रखने का मौका मिल जाय, यह मांग रखी गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही और माननीय संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आ गया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस पर मत नहीं आया मैं यह अपेक्षा करता था आपने बुलाया इसलिए था कि चर्चा के बारे में क्या राय है ?

श्री उपाध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और श्री घनश्याम शुक्ला तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। इसके बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मुख्य मंत्री जी से बात करने के बाद इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकृत कर दी जायेगी।

आगरा में समाचार पत्र कार्यालय पर हमले के कारण भय एवं आतंक का वातवरण व्याप्त होने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 9-12-2003 को नियम-311 के अन्तर्गत एक सूचना डा0 रामबाबू हरित, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री छोटे लाल वर्मा व श्री घनश्याम शुक्ला की प्राप्त हुई उक्त सूचना को नियम-56 में परिवर्तित किया गया। डा0 रामबाबू हरित और जगन प्रसाद गर्ग इसमें से कोई एक माननीय सदस्य बोल लें। केवल 2-3 मिनट में अपनी बात रखें।

*डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे संरक्षण दिया। मान्यवर, आज आगरा की 20 लाख जनता त्राहि-त्राहि कर रही हैं जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया था तो सर्वप्रथम यह घोषणा की थी कि अगर स्वयं पार्टी का भी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसको बख्शा नहीं जायेगा। उसके कुछ दिन बाद ही समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति ने पार्क पर कब्जा किया तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन आगरा की जनता आज बड़ी दयनीय स्थिति में है। एक चौधरी बशीर जी है उन्होंने राजतंत्र के हथियार को सामने प्रस्तुत कर दिया है। अभी जुम्मे के नमाज के दिन जो प्रजातंत्र का चौथा स्तम्भ होता है पत्रकारिता उस चौथे स्तम्भ के दो समाचार पत्र अमर उजाला और दैनिक जागरण जो प्रमुख समाचार पत्र है उसको जुम्मे की नमाज के बाद चौधरी बशीर के कुछ समर्थकों ने उसे जलाया, वहां समाचार पत्र के प्रबन्धक का पुतला जलाया और हाकरों के साथ मार-पीट की और कहा कि अपने मालिक से जाकर कहो कि जैसे आगरा मंटोला काण्ड कराया गया था जिसमें तीन लोगों की हत्या कर दी गयी थी और 50 लोगों के घर जला दिये थे उनको मुआवजा भी नहीं मिला है। ऐसा ही इनके साथ भी कर सकते हैं। इससे आगरा जिले में बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है आगरा जनपद में ही मुस्लिम समाज के जो शान्ति प्रिय लोग हैं उन्होंने इसकी भर्त्सना की और पंचायत बुलाकर उन्होंने मुख्य मंत्री जी को फैक्स के जरिये सूचना भिजवायी कि तत्काल ऐसे मंत्री को सरकार से बर्खास्त किया जाय। यही समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर मंत्री चौधरी बशीर को मंत्रिमण्डल से हटाने की मांग की। यहां के जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 से भी कार्यवाही करने की उन्होंने सिफारिश की है। आयुक्त महोदय ने जांच की है, वह क्या की है ? क्या कार्यवाही की है ? वह नहीं पता। मान्यवर, जब चौधरी बशीर आगरा जिले में होते हैं तो पूरे आगरा जिले के पुलिस व प्रशासन के अधिकारी परेशान हो जाते हैं उनके साथ 10-10 गाड़ियां सबमें लाल बत्ती लगी हुई, हूटर लगा हुआ होता है। इससे वहां ध्वनि प्रदूषण भी बहुत होता हैं नियमतः जिस गाड़ी में मंत्री चलता है उसी मे लाल बत्ती लगनी चाहिए, लेकिन चौधरी बशीर के साथ चलने वाली सभी गाड़ियों में लाल बत्ती और हूटर लगा हुआ होता है। इसका संज्ञान लेने का कष्ट करेंगे। इसी तरह का मंटोला प्रकरण हुआ था, धारा 144 लगी हुई थी, उसको मो0 बशीर और उनके साथियों ने तोड़ा थां वहां महिला आयोग की सदस्य गयी थीं, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य गये तो उनको प्रशासन ने जाने नहीं दिया। इस समय वहां पूरा प्रशासन परेशान है, दुखी है, कष्ट में है, उसकी हालत ऐसी हो गयी है कि वह क्या करे ?

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गयी।

(डा0 रामबाबू हरित द्वारा किसी समाचार-पत्र की प्रति दिखाते हुए)

डा0 राम बाबू हरित-

[× × ×]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं पहले ही आपको कह चुका हूं, अब आपका लिखा नहीं जायेगा। इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, शासन द्वारा इसको देख लिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है।

(इसी बीच भाजपा के कई सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थानों पर वापस जायें, संसदीय कार्य मंत्री का पक्ष आ रहा है।

(वेल में आये हुए सदस्य वापस अपने स्थानों पर चले गये)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं स्वयं उत्तर देना चाह रहा था, लेकिन तमाम साथियों ने दूसरे सवाल पैदा कर दिये, उसकी वजह से यह सब हो गया। अगर ऐसा न हो तो फिर वेल सूना हो जायेगा, इसमें बिल्कुल बुरा न मानने की बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिये यह सब जरूरी है मान्यवर, जहां तक इसका संबंध है, मैं स्वयं मालूमात कर लूं आप अच्छी तरह अवगत हैं, कि जो बात यहां कही जायेगी, उसको गम्भीरता से लिया जायेगा। कोई किसी भी पद पर हो, कितने भी अहम पद पर हो, यदि कुछ भी नियम और न्याय के विरुद्ध होगा तो उसे अकारण संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सदन में समाचार-पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता रहा है। समाचार-पत्रों में बातें गलत भी होती हैं, बातें सही भी होती हैं। लेकिन चूंकि सदन में संज्ञान नहीं लिया जाता हैं इसके अलावा आपका निर्देश भी हो गया है। मैं भी जानकारी प्राप्त कर लूंगा और जो भी जानकारी प्राप्त होगी उस पर कार्यवाही की जायेगी उसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं बरती जायेगी। यदि आप अलग से कुछ कहना चाहें तो उसे बतायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें निर्णय लेने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष-

पहले आप उस स्थान पर निर्णय लिया करते थे आज वह ले रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, निर्णय लेने की बात थी, यह घटना 4, 5, 6 तक होती रही और मंत्री जी कह रहे हैं कि जानकारी कर लूं, आपके पास 5 दिन में कुछ तो जानकारी आई होगी। सारा शासन-प्रशासन वहां पर अस्त-व्यस्त हो गया है। जिलाधिकारी स्तर से रिपोर्ट आई, आपके पदाधिकारी स्तर से रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद भी अब तक कोई कारवाई नहीं हुई और आज भी आप कारवाई के

लिये कह रहे हैं। आपके पदाधिकारियों द्वारा जानकारी आ चुकी है उस जिम्मेदारी के बारे में क्या आप आश्वस्त करेंगे कि अविलम्ब कारवाई की जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इस बात का खण्डन करूंगा कि शासन-प्रशासन अस्त-व्यस्त हो गया है वहां प्रशासन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। और हमारे पदाधिकारियों की रिपोर्ट आपको कैसे मिल गयी ? मैं माननीय नेता विरोधी दल से चाहूंगा कि उस पर नजर रखें, यह खतरनाक मामलात हैं।

(विपक्ष के सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

यह प्रकरण समाप्त हो गया। आप लोग कृपया बैठ जायें, जब मैं खड़ा हो गया हूं तो कृपया आप लोग बैठ जायें। अब मैं कार्य-मंत्रणा की सिफारिश पढ़ रहा हूं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

जो प्रकरण चल रहा था उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा की सिफारिश हो जाये उसके बाद आपको सुन लिया जायेगा।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 08 दिसम्बर, 2003 की अपनी बैठक में विधान सभा के दिनांक 09 दिसम्बर से 10 दिसम्बर, 2003 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :--

दिसम्बर, 2003

09 मंगलवार 1-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं उसका पारण।

3-उत्तर प्रदेश राजय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं उसका पारण।

4-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

5-संविधान (पंचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 के अनसमर्थन सम्बन्धी संकल्प पर विचार एवं उसका पारण।

10 बुधवार 1-निधन के निर्देश।

2-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

4.00 बजे अपराह्न

3-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

आगरा में समाचार पत्र कार्यालय पर हमले के कारण भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त होने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, जो प्रकरण लिया गया है वह यहीं तक सीमित नहीं हैं इसके पहले जो मंडोला कांड हुआ था, मैं वहां पर गया था, ऐसा लगता था कि वहां पर विदेशियों ने हमला किया हो, वहां पर अत्याचार हुआ था, दीवालें गोलियों से छलनी हो गयी थीं, बम से लोगों की उंगलियां फट गयीं और हर आदमी चीख-चीख की एक ही नाम ले रहा था। उसके पहले वहां माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे और वहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रेस को कह दिया कि वह निर्दोष है। मुझसे जब यह प्रश्न पूछा गया तो मैंने कहा कि सभी की बातें सुनकर आप मानते हैं कि वह दोषी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की परम्परा से अलग रहा हूं इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी को क्लीन चिट या दोषी नहीं ठहराता इसके लिए सक्षम जांच होने के बाद जो नाम सामने आयेगा वह दोषी होगा। लेकिन आगरा की जनता यही कह रही है कि चौधरी बशीर के द्वारा घटना कराई गयी। वह 15-15 गाड़ियों का काफिला ले करके चलते हैं, बन्दूकों से सार्वजनिक रूप से फायरिंग की जाती है। वक्फ की सम्पत्तियों पर कब्जा हो रहा है, अखबार वाले उनके खिलाफ लिखते हैं तो उनके पुतले फूंके जाते हैं, अखबार फूंके जाते हैं। अगर किसी मंत्री द्वारा ऐसा किया जायेगा और सब चुप रहेंगे तो सदन की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा।

मैं तो कहता हूं कि सदन की एक कमेटी बना दी जाए, आप इधर के सदस्य न रखें, आप स्वयं हो जांए और माननीय कल्याण सिंह जी हो जायं। वहां जा करके इसकी जांच कर लें अगर यह बात सही निकलती है तो उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए अन्यथा ये सारी चीजें व्यर्थ होंगी। जिस पर

तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिन्हें सत्ता चलानी है, कानून बनाना है वही अगर कानून तोड़ने लगे, जमीनों पर कब्जा करने लगे, साम्प्रदायिक दंगा करवाने लगें, बम और गोलियां चलाने लगें, उसके बाद भी यह कहा जाय कि वह निर्दोष हैं। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर उनमें नैतिकता है तो इस्तीफा दें, नही है तो मुख्य मंत्री जी कार्रवाई करें। इस तरह से किसी मंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। किसी सम्मानित सदस्य को भी यह छूट नहीं है। लेकिन जो मंत्री हैं उनको अपने आप आत्म संयम रखना पड़ेगा नहीं तो यह जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो तरह-तरह के विशेषण आपकी सरकार को देंगे तब बुरा लगेगा। मैं सभी आरोपों पर नहीं जाता लेकिन मैंने स्वयं देखा है, सारे समाचार-पत्रों में छपा, तीनों विधायक बैठे हैं उन्होंने सदन को बताया लेकिन कहीं कम्युनल बात नहीं आयी। जमीन पर कब्जा करने को लेकर उनका झगड़ा है। मैंने वहां देखा है कि एक बहुत बड़ी जमीन है, एक हाता है उसके भीतर वर्षों से गरीब लोग रहते हैं और उसको मलिन बस्ती मानकर वहां का विकास कराने का आदेश भी है। लेकिन उस जमीन को जबरन वापस लेने के लिए टेररईज करके इस तरह का काम किया जा रहा है। उसे किसी तरह से रोकना होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी नैतिकता और पुरानी मान्यताओं को जीवित रखने उनकी रक्षा करने की बात करते हैं। मान्यता यह भी है कि जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं या तो वह स्वयं इस्तीफा दें या उन्हें मंत्रि-परिषद् से निकाला जाए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं एक नया तथ्य रखना चाहता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल के बाद माननीय सदस्य का बोलना उचित नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी मथुरा गये थे। वहां पर पत्रकारों ने आगरा की घटना की चर्चा की और सारे तथ्यों से अवगत कराया तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं उनको बुलाकर ताकीद करूंगा उसके बाद न माने तो कार्रवाई करूंगा। स्वयं अभी राज्य मंत्री जी इस सदन में मौजूद थे उन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि यह विषय आ रहा है वह यहां से चले गये। यह उनकी नैतिकता को दर्शाता है। मेरा निवेदन है कि दोषी राज्य मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ....

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जांय। आप स्वयं कह रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया है तो आप विश्वास रखिये।

(श्री छोटे लाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है, कृपया बैठिये।

*श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, हवाई फायरिंग की गयी, बुन्दु कटरा में दंगा कराया गया। आगरा के सारे लोग चाहे वह हिन्दू समाज के हों या मुस्लिम समाज के हों, सभी भयभीत हैं। यह हालात पैदा कर दी गयी है कि लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। अगर सरकार ही भक्षक बन गयी है तो किसके बल पर लोग वहां रह सकते हैं। मान्यवर, इस विषय को मैंने नियम-51 में भी लगाया था और सरकार ने जवाब दिया था कि मान्यवर, वहां के थानाध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी और न ही हटाया गया वह आज भी वहां पर काम कर रहा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री इसको तत्काल देखने का कष्ट करें।

एक सदस्य-

मान्यवर, इनके प्रश्न को सुन लिया जाय यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। अभी मा0 लक्ष्मीकान्त ने मथुरा का जिक्र किया है और बता दिया है तो आगे क्या सुना जाय ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मा0 सदस्य और नेता विरोधी दल ने कई बिन्दु उठाये हैं। मान्यवर, आखिरी बात आपने फरमाई है, खत्म करते समय कि इल्जाम लग गया है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इल्जाम पर ही इस्तीफा देना चाहिए तो बहुतों के नाम आयेंगे और बात बहस की हो जायेगी। दूसरे मान्यवर, नेता विरोधी दल खुद गये थे और अपनी बात भी कही। जब तक किसी जांच के द्वारा सही बात सामने न आ जाय तब तक दोषी करार नहीं दे सकते। मान्यवर, आगरा में साम्प्रदायिक माहौल न था और न आज है। मा0 सदस्य ने कहा कि हिन्दू समाज में भय व्याप्त है।

श्री छोटे लाल वर्मा-

नहीं मान्यवर, यह नहीं कहा गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पहले यही कहा गया फिर सम्भलें, आप कार्यवाही में देख सकते हैं। आपने इसको दूसरी तरह से बदला है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप तो कई बार सम्भलें हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कोई साम्प्रदायिक माहौल न था और न है, नेता विरोधी दल खुद गये थे। मान्यवर, मा0 मंत्री जी के ऊपर पहली बार हमला हुआ था वह बस बच ही गये थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात कहीं से शुरू हुई और कहां पहुंच जाती है, इसलिए उन चीजों पर बहस करेंगे तो बात वहीं से शुरू हो जायेगी। मान्यवर, काफिला लेकर चलना, ज्यादा साथियों के साथ चलना, ज्यादा गाड़ियां साथ में होना यह न तो कानून की परिधि में आता है और न इसके लिए किसी व्यक्ति को रोका जा सकता है और न इसमें कानून की खिलाफवर्जी की बात है। वक्फ सम्पत्ति के बारे में कहा गया। वक्फ की सम्पत्ति को बेचने की इजाजत दी जाती है कुछ हालात में। अगर 10 लाख की सम्पत्ति है तो मंजूरी लेनी पड़ती है कि 10 लाख से ज्यादा की सम्पत्ति पहले खरीद ली जाती है तब सम्पत्ति बेची जायेगी। अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वक्फ सम्पत्ति बेच दी गयी हो और उससे ज्यादा की सम्पत्ति ले ली गयी हो और आपकी और मेरी जानकारी में न हो। इन सारी बातों की जानकारी लेनी होगी। मान्यवर, वक्फ की सम्पत्ति के संरक्षण के लिये उसको रेंट कंट्रोल से मुक्त किया गया है।

मान्यवर, वहां जो हजारों करोड़ रुपये की जायदादें बर्बाद हो रही थी उसे बचाया है। मान्यवर, आज वहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी एक इंच जमीन भी शासन को देने के लिए तैयार नहीं हैं। मान्यवर, वक्फ की सम्पत्तियां ऐसी नहीं हैं कि वहां उसे जो जब चाहे कब्जा कर ले। मान्यवर, उसका किराया 2.50 पैसे से बढ़ाकर 6.50 पैसे कर दिया गया है। आज वक्फ की सम्पत्ति पुरानी क्यों न हो, उसका किराया आज का देना होगा। वक्फ की सम्पत्ति की सुरक्षा कानून के तहत हो रही है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ताकत के बल पर उससे खिलवाड़ करना चाहे तो वक्फ का कानून खुद में इतना ताकतवर है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मान्यवर, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप वक्फ की सम्पत्तियों के लिए इतना अधिक चिन्तित क्यों हो रहे हैं। आप वक्फ की सम्पत्तियों के बचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उससे मुझे खुशी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप चिन्ता न करें इसमें इंसाफ की कार्यवाही ही होगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह तो कोई संसदीय कार्य मंत्री जी से सीखे कि किसी भी विषय को विषयान्तर कैसे किया जा सकता है ? उसकी दिशा को कैसे बदला जा सकता है ? मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को विषयान्तर करने की महारत हासिल है। मान्यवर, आज वहां पर जो आतंक व्याप्त है पत्रकारों और जनता के लिए, मैंने उसके बारे में पूछा था। मान्यवर, यह माननीय मुलायम सिंह जी का लिखित वक्तव्य है कि फतेहाबाद के सब इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह को वहां से हटा दिया गया है और उसे दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि माननीय मुलायम सिंह जी को जो सूचना दी गयी है वह गलत है। मान्यवर, वहां के उस सब-इंस्पेक्टर को आज तक उस जगह से नहीं हटाया गया है, वह आज भी वहां पर जमा हुआ है जिसके फलस्वरूप सदन में उपस्थित यहां कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं। मान्यवर, मैं समझता था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा। मान्यवर, हम इसकी निष्पक्ष रूप से जांच चाहते हैं। मान्यवर, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस सदन के सदस्यों की एक संयुक्त समिति बना दी जाय जो दो दिन, चार दिन, हफ्ते, दस दिन में जांच करे, इससे सारे तथ्य आपके सामने आ जायेंगे। मान्यवर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है केवल हवाई बातें की जा रही हैं। मान्यवर, सदन के सदस्यों की एक समिति बनाकर इस घटना की जांच कराई जाय, यह मेरा प्रस्ताव है।

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने भाषणों की शुरुआत में जो कहा है उससे लगता है कि इनके पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो इन्हें सही सूचना दे सके। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं और कहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने गुरू के यहां गये थे तो पुलिस को बिना सूचना दिए गए थे। उन्होंने एफीडेविट दिया था कि वहां झगड़ा नहीं हुआ है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सदन के कुछ सदस्यों की एक टीम बनाकर वहां जांच के लिए भेज दी जाय जिससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और जनता आश्वस्त हो जाएगी कि उसे न्याय मिलेगा और यदि कोई गलत काम करेगा तो वह बचेगा नहीं, चाहे वह जितनी बड़ी पहुंच वाला हो। मान्यवर, यह इस तरह से कैसे देश को बचा पायेंगे, कैसे जनतंत्र को बचा पायेंगे। मान्यवर, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आजादी के बाद वह कैसा देश देखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इसको दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्यों ने देखा है कि प्रदेश की महान जनता ने महसी और हरौड़ा में क्या जनादेश दे दिया है। प्रदेश की महान जनता ने महान निर्णय लिया है जो आप महानुभावों के संज्ञान में है। इस विषय पर मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य का क्या हुआ ?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, वह इंस्पेक्टर वहीं पर है। वहां से हटाया नही गया है।

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 को नियम-311 में प्राप्त एक सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुयीं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, दरोगा वहां पर काम कर रहा है।

(शोर) (संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से असन्तुष्ट होकर विपक्ष के अधिकांश सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष-

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(घोर व्यवधान के कारण 1 बजे श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 बजे श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत ...

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, अभी आगरा का एक प्रकरण उठाया गया था उसमें सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा बात में इधर से उधर किया जा रहा है। पूरे विपक्ष की, माननीय सदन की और पूरे प्रदेश की निगाह इस पर लगी हुई है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा एक आग्रह है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है। जो पुलिस अधिकारी इस सारे कांड के लिये दोषी था और सत्ता पक्ष ने भी उसको इसके लिये दोषी माना। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उसको हटा दिया गया है। इससे बड़ा उपहास और क्या हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के लिखित आश्वासन के बाद भी वह व्यक्ति वहीं थाने में मौजूद है। मान्यवर, आपकी पीठ से चाहते हैं कि स्पष्ट निर्देश दिया जाय ओर यह स्थिति स्पष्ट हो जाय कि जो लिखित वक्तव्य में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कहा गया है उसका अनुपालन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने शासन को और सरकार को यह निर्देश दे दिया कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए कार्यवाही की जाय। संसदीय कार्य मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि मैं इसको देख रहा हूं और कोई बड़े से बड़ा अधिकारी या नेता होगा उसको छोड़ा नहीं जायेगा।

मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 को दिये गये वक्तव्य में दोषी पुलिस सब इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न किये जाने की सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, एक प्रश्न माननीय सदस्य ने 14-11-2003 को नियम-51 में किया था और उसका जवाब 4-12-2003 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखित वक्तव्य के रूप में दिया है। मैं उसकी 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। दरोगा प्रियंक के साथ मारपीट किये जाने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं, जिस हेतु प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद श्री उदय प्रताप सिंह को थाने से हटाकर पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा प्रभारी निरीक्षक उपरोक्त को विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही के

अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान है। स्वयं सरकार ने इस घटना को सही माना है। उस व्यक्ति को प्रथम दृष्टया दोषी माना है और प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के आधार पर उसको थाने से हटाकर लाइन भेज दिया और कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। अब यदि कोई माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के बारे में यह कह रहा है कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा था वह व्यक्ति अभी भी थाने में है। इस बात को हम मान सकते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सदन में लिखित आश्वासन दिया है उसका पालन करायें। सरकार शाम तक सदन को इसकी सही स्थिति से अवगत कराये।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

यह विषय सदन में आया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका लिखित वक्तव्य दिया। अभी यह सदन में इस विषय को उठा रहे हैं और सदन स्थगित भी हुआ।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

क्यों नहीं सुनेंगे ? अगर वक्तव्य आया है और आप सन्तुष्ट नहीं है। आपका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप विशेषाधिकार दे दीजिए काहे को सदन का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते है। माननीय सदस्यों का कहना है कि लिखित वक्तव्य के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मैंने खुले मन से कहा था कि कोई छोटा बड़ा इसमें नहीं देखा जायेगा। वक्फ की प्रापर्टी के बारे में भी बात कही गई ...

डा0 रामबाबू हरित-

यह वह विषय नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जो भी अनियमितताएं हुई हैं, किसी दरोगा के बारे में कहा गया है। जब तक तथ्य नहीं देखे जायेंगे कुछ कहना मुश्किल होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय सदस्य के प्रश्न पर दिनांक 4-12-2003 को लिखित वक्तव्य दिया गया था लेकिन आज माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उस वक्तव्य का पालन नहीं हुआ है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है उसका पालन नहीं हुआ है यह माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखित वक्तव्य में स्वीकार किया है उसका पालन होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखित सूचना पर वक्तव्य दिया है उसका पालन कराकर सदन को शाम तक अवगत कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी इस प्रकरण को देख लीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

नेता सदन के वक्तव्य का यह मतलब है तो बाकी का क्या मतलब रह जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य देख लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने 4-12-03 को लिखित वक्तव्य दिया उसको स्वीकार किया उसको सच माना, मैंने मुख्य मंत्री जी को सूचना दी माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्वास किया इसमें मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दे दें कि 4-12-03 के वक्तव्य का पालन हुआ है या नहीं हुआ यदि नहीं हुआ है तो उसका पालन कराकर शाम तक सदन में अवगत करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं बार-बार यही बात कह रहा हूं, इसको बिल्कुल देख लिया जायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

इसमें बेवजह का विवाद हो रहा है मुख्य मंत्री जी ने इस संदर्भ में कहा है तो सदन को गुमराह करने के लिये नहीं कहा होगा मैं विश्वास करता हूं सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखकर इसमें आदेश दे दें, वक्तव्य में लिखा है 'आवेदक के पुत्र प्रियंक के साथ मारपीट किये जाने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं, जिस हेतु प्रभारी निरीक्षक, फतेहाबाद, श्री उदय प्रताप सिंह को थाने से हटाकर पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा प्रभारी निरीक्षक उपरोक्त को विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।' यह स्पष्ट बात कहने के बाद इसमें कहने को क्या बचता है ? आप व्यवस्था दे सकते हैं जो मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया है सदन को गुमराह करने के लिये नहीं दिया है, इसका पालन कराया जाए। आप संसदीय कार्य मंत्री जी से कह दें। मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है उसका पालन करायें।

श्री उपाध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री इसमें सुनिश्चित करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूं न्यायोचित कार्यवाही होगी मैं उसको देख लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र के परिप्रेक्ष्य में देख लें क्या कार्यवाही हुई ? वरना कार्यवाही करा ली जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

देख लेंगे।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 को नियम 311 में प्राप्त एक सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

नेंता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, इन दिनों एक बड़ा शर्मनाक काण्ड सारे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है चूंकि सदन के कुछ माननीय सदस्यों के और मंत्रियों के नाम भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आ रहे हैं, कुछ बड़े अधिकारी भी उसमें सम्मिलित हैं। देश भर में महिलाओं के देह व्यापार का अड्डा बन रहा था। आज इस सदन के हमारे सदस्य शक के घेरे में हैं, इसमें कौन लोग हैं, इसकी एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है और इसमें अभी तक तो दिखायी दे रहा है, वहां के उन लोगों को हटाया जा रहा है या अन्य किसी तरह से ट्रान्सफर किया जा रहा है, जिन लोगों ने इस मामले को उजागर किया है ताकि यह मामला दब जायें इसमें किसी ममता की जरूरत नहीं होती है, अगर समाज में इस विकृति उच्च पदस्थ लोग बढ़ावा देंगे, उसमें सम्मिलित होंगे, उसमें उनकी भागीदारी होगी तो इस तरह के मामले की निष्पक्ष जांच होकर सदन के सामने आनी चाहिए।

मैं मांग करता हूं कि इसमें एक जांच कमेटी आप बना दें और वह निष्पक्षता से इस मामले की जांच करे। सदन से ज्यादा बड़ी कमेटी कोई नहीं होती, आप चाहें तो न्यायिक जांच करा लें या इस मामले को सी0 बी0 सी0 आई डी0 को, सी0 बी0 आई0 को सौंप दें। एक बार कम से कम वह चेहरे बेनकाब होने चाहिए, जो लोग इस घृणित कार्य में लिप्त हैं, वह उसे सुख-साधन का जरिया जो बनाये ही हैं, उसका व्यापार भी कर रहे हैं। बाकायदा आ रहा है कि कितना रेट था, कितने दिन का कान्ट्रेक्ट होता था, देश के किन प्रदेशों से लड़कियां आती थीं और किन-किन लोगों को उन्हें संरक्षण प्राप्त था। मान्यवर, यह हमारे सदन के सम्मान का प्रश्न है। आप इस पवित्रता के स्थान पर बैठे हैं, कल कोई किसी पर छींटा कर सकता है। आप इसमें जांच कराने का निर्देश करें, मेरा यही आप से अनुरोध है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यदि शंका है तो उसका समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है, हम शंका पर भरोसा न करें, समाधान हो गया लेकिन क्योंकि समाचार पत्रों में एक वाकया बड़ा संगीन है, उसे उसी हिसाब से लेना होगा लेकिन किसी खास तरफ इंगित करना, किसी खास तरफ इशारा करना यह भी न्यायोचित नहीं होगा। हमारी राजनैतिक कटुता हो सकती है, हमारी किसी से नाराजगी हो सकती है,

हम किसी से खफा हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम उसे राजनैतिक कटुता के कारण.....

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मैंने किसी का नाम या किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, जो अखबारों में छपा है कि इसमें बड़े-बड़े राजनेता हैं, मंत्री है, बड़े-बड़े अधिकारी है, दाढ़ी में तिनका आप ढूंढें। मैंने तो इतना ही कहा कि इससे सब के ऊपर उंगली उठ सकती है, सब पर शंकायें हो सकती हैं। आप जांच करा लीजिये, इसमें संरक्षण देने की क्या बात है ? मैं न ऐसी बात कह सकता हूं, न ऐसी बात कहने का आदी हूं। मैं तो इतना कह रहा हूं कि यह सामान्य चर्चा का विषय बन गया हैं अब आप की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर से पर्दा हटना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने भी दाढ़ी नहीं रखी है कि उड़ कर भी तिनका न फंस जाये। मेरा इस सम्बन्ध में यही कहना है और समाचार पत्रों में जो खबर छपी है

[2 बजकर 15 मिनट]

मान्यवर, मेरा कहना है कि समाचार पत्रों में जो खबर छपी है उसका संज्ञान लिया गया हैं वह बहुत दुखद है और बहुत शर्मिन्दा करने वाली है। और राजनीति करने वालों को ज्यादा शर्मिन्दा करने वाली है। अगर किसी पर एक इशारा बतौर भी बात आ गयी तो बहुत बड़ी बात हैं क्योंकि मुकदमा कायम हुआ है और उसकी विवेचना हो रही है उससे पहले कोई बात सदन में कहना उचित नहीं है। कानून अपना काम कर रहा हैं कानून ने अपना काम किया है। इसीलिये यह सत्य उजागर हुआ है।

श्री लालजी टण्डन-

और इसीलिए उसे हटा दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमारे उस कार्य की तारीफ जो की नहीं गयी कि हमने उसे पकड़ा। मान्यवर, खबरों में तो यह भी छपा है कि एक मंत्री की झोली में 25 लाख पकड़े गये और यह भी कि देश की संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे लोगों ने यह मामला सजाया मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा हूं लेकिन उस सरकार में चलता रहा और इस सरकार में पकड़ा गया। मान्यवर, कानून अपना काम करेगा। यह नियम 56 में नहीं आता हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जहां पर नोटों का इशारा किया गया है वहां पर सी0 बी0 आई0 जांच के आदेश हो गये है। यहां भी सी0 बी0 आई0 जांच के आदेश हो जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बात सही है कि सी0 बी0 आई0 जांच के आदेश हुए। जो श्री हुकुम सिंह जी कह रहे हैं उसके दो रूप हैं। एक रूप यह है कि प्लानिंग किस स्तर से शुरू हुई संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग क्या नहीं कर सकते। सत्ता में आने के बाद सी0 बी0 आई0 जांच के आदेश दिये गये। सत्ता पर बैठे हुए लोग कहां तक जा सकते हैं ?

श्री लालजी टण्डन-

वहीं तक जहां आप जा रहे हैं। आप बार-बार शिकायत क्यों कर रहे हैं ? अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरा इशारा आप पर है तो सरकार की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री पर आती है। आप साफ करिये कि सरकार इसकी जांच सी0बी0आई0 से करायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपके मित्र भी हैं रामपुर के भी हैं

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष का ख्याल रखूंगा। "दिल की बस्ती अजब बस्ती है, रोज उजड़ती है रोज बसती है।"

श्री उपाध्यक्ष-

इस प्रश्न पर श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं यह श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण इत्यादि की हैं इस पर कोई दो माननीय सदस्य बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अम्बेडकर उद्यान के निर्माण पर पूरे लखनऊ में नहीं बल्कि प्रदेश और देश में उत्साह बढ़ा है। विशेष रूप से लखनऊ के लोंगों को जहां पर बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि से, प्रदूषण से और बढ़ते हुए शोर शराबे से अपनी शांति के लिए जिस अति उत्तम पार्क में घूमने के लिए जाना चाहते थे उस अम्बेडकर उद्यान पर, जो कि प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का ऐतिहासिक स्थल बन गया है और वहां बौद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई है और देश और विदेश के बौद्ध भिक्षु और उनके अनुयायी समय-समय पर भ्रमण करने के लिये आते थे, आज जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है वहां पर जो सफाई आदि की व्यवस्था थी वह चरामरा गयी है।

आज वहां पर बड़े पैमाने पर गन्दगी व्याप्त है। अभी दो दिन पहले गुजरात से एक टीम आयी थी जो उस दर्शनीय स्थल का निरीक्षण करने आयी थीं वह हमारे पास शिकायत लेकर आयी और कहा कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर, जो देश के भारतीय संविधान के निर्माता परमपूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में बनाया गया है तथा वहां पर जो अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और उनके धर्म को मानने वाले तथा उनके अनुयायी

आते हैं, वहां पर दुर्गन्ध आ रही है, वहां पर गन्दगी व्याप्त है लोगों का घूमना दूभर हो गया हैं इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर बिजली भी काट दी जाती हैं जब वहां पर लोग देखने आते हैं तो उनको अंधेरे में घूमना पड़ता है। आज मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के दुराग्रहपूर्ण रवैये से जो उदासीनता बरती जा रही है, जो गन्दगी फैली हुई है, जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इससे लखनऊ वासियों में और अम्बेडकर जी पर विश्वास रखने वाले लोगों को तथा भगवान बुद्ध के अनुयायियों में भारी क्लेश पहुंचा है और जन आक्रोश है। मान्यवर, ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर सफाई होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वहां पर घूमने वाले, टहलने वाले लोगों और जो दर्शनीय स्थल को देखने आते हैं उनको लाभ मिल सके। आज इस सरकार के उदासीन रवैये से इस देश और प्रदेश की करोड़ों जनता में जन आक्रोश व्याप्त है और महानुभावों का अपमान हो रहा है। अतः इसमें तत्काल रोक लगनी चाहिएं यह देश की करोड़ों जनता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय जिससे लोगों को निजात मिल सके। और जो सुबह-शाम अपने स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिकोण से वहां पर टहलने जाते हैं, उनको भी इसकी स्वच्छता से भरपूर फायदा मिल जायेगा। इसलिए मैं मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का प्रश्न है और सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष-

अब सिर्फ दो माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा, जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बोलना चाहें, बोलें।

(व्यवधान)

*प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह पार्क कोई धार्मिक स्थल नहीं है और न ही कोई ऐतिहासिक स्थल है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठ जायें। इसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे।

*सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)-

मान्यवर, यह धार्मिक स्थल नहीं, धन लूटने का अड्डा है।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुखेदव राजभर-

मान्यवर, यह ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, या नहीं है, इस बारे में यह लोग जो कुछ जानते हैं वह बोल रहे हैं, मान्यवर, आज माननीय नेता विधान मण्डल हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस मामले को रखा है, जो भी सूचना नियम-56 में हम लोगों ने लगाया है इस पर जो भी माननीय अंचल जी या माननीय राम करन आर्य जी ने या अन्य किसी सदस्य ने जो कुछ कहा या कहना चाहें उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है और न ही इस सम्बन्ध में कुछ मैं कहूंगा। यहां पर जो भी लोग है, चाहे जिस जाति-धर्म के लोग हों, रोजाना सुबह-शाम अपने स्वास्थ्य लाभ के लिये वहां पर टहलने के लिये जाते हैं साथ ही साथ हम लोग, जैसा कि राम करन जी ने कहा कि वह ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल नहीं है, वह चाहे जिन परिस्थितियों में बनाया गया, उसकी व्यवस्था के बारे में हम लोग चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, जो व्यवाहारिक भी है, यहां से प्रदेश को कुछ राजस्व भी मिल रहा हैं यहां सिर्फ लखनऊ के ही लोग नहीं वरन् बाहर के प्रदेशों के लोग भी इसे देखने के लिये आते हैं। वहां बिजली की कटौती आठ बजे से ही हो जाती है, तमाम लोग वहां से होकर गुजरते हैं, अंधेरे में वहां तमाम दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, सुरक्षा की व्यवस्था भी वहां से हटा ली गयी है, हजारों लोग वहां घूमने जाते हैं, इस प्रदेश के ही नहीं बाहरी प्रदेशों के लोग भी यहां आते हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। मान्यवर, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, यहां कई जगह से लोग आते हैं और जब वह उस पार्क के पास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि यहां पर कोई पार्क बनाया गया है और उसे देखने के लिए चला जाता है, जिस महापुरुष के नाम पर यह स्थल बना है, जहां सैकड़ों लोग घूमने जाते हैं, प्रदेश के और बाहर के लोग देखने के लिये जाते हैं इससे प्रदेश को थोड़ा-बहुत राज्यांश भी मिलता हैं

वहां पर मान्यवर, कुप्रबन्ध हो गया है, वहां की बिजली काट दी गयी है, सुरक्षा व्यवस्था वहां से हटा दी जा रही है, उसकी सफाई नहीं की जाती है, वहां पर आज इस तरह का माहौल बनता जा रहा हैं अगर इस प्रदेश की राजधानी में इस तरह का कोई स्थल बना है तो उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, जो आरोप लगाने वाले हैं वह आरोप लगायें, जिनको कष्ट हो वह भी कहें। हम लोगों को कष्ट है कि इस पार्क के साथ इस समय सौतेला व्यवहार हो रहा है। यहां के लोगों ने और बाहर के लोगों ने उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर शिकायतें की हैं। आज उसका कुप्रबन्धन, उसकी कुव्यवस्था, उसकी असुरक्षा हो रही है, इसलिये मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में इस पार्क की, जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी, उसी तरह की वर्तमान में व्यवस्था की जाये, साथ ही साथ आप इस पर चर्चा करा दें तो आपकी बहुत बड़ी दया होगी। चर्चा की मांग करते हुए यह आशा करता हूं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को देखते हुए, इसे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए आप इस सम्बन्ध में सरकार को निर्देश देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हम सबके लिये सम्माननीय हैं और यही कोशिश हमारी तरफ से, सब समाजवादियों की तरफ से खासतौर से उन्हें सबका रहना चाहिए। उन पर हाथी-घोड़े का कोई लेविल न लगाया जाए। उनकी सवारी को किसी की सवारी न बनाया जाए। वह हमारे राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय नेता हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उनके नाम से कोई टेण्डर न खोला

जाए। उनके नाम का टेण्डर खोल लिया गया तो उनके सम्मान में कमी आयेगी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहेब के नाम का टेण्डर अपने नाम खोल लिया है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह भाषा उचित नहीं है।

श्री सुखेदव राजभर-

मान्यवर, हम लोगों की उनमें आस्था है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह सदन जो 17 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है इनके क्या विचार हैं ? मान्यवर, मात्र चंद लोग बाबा साहब के नाम को बदनाम करने के लिए उनके नाम पर उंगलियां उठवाने के लिये, उन्हें विवादित करने के लिये केवल राजनीतिक कारणों से उनकी जैसी शख्सियत को विवादित करने के लिए मात्र चंद लोग और छोटी सी आबादी और आबादी में वह पिछड़े, दलित और अगड़े के नाम पर नहीं, केवल जो राजनीति की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और जिन्होंने प्रदेश में (व्यवधान) महापुरुष के नाम पर विवाद खड़ा करने का काम किया हैं साम्प्रदायिकता का रूप दिया है और जातियों, उपजातियों को तोड़ने का काम किया हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद किया हो और जो आज मुजरिम हैं, दोषी हैं मान्यवर, एक बड़े नाम को छोटा करने के दोषी है, एक बड़ी शख्सियत को छोटी शख्सियत बनाने पर तुले हैं। यह उनका निन्दनीय काम है।

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप देखें सामाजिक व्यवस्था के विषय में आप बोल रहे हैं। आज इस सरकार ने डा0 राम मनोहर लोहिया के दर्शन को नकार कर सारी व्यवस्था को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया हैं मान्यवर, जिस तरीके से बात कर रहे हैं महापुरुष का यह अपमान कर रहे हैं। यह बहुजन समाज पार्टी को बर्दाश्त नहीं है।

मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे महापुरुष थे जिस तरह से आप उनके नाम को सीमित क्षेत्र में मान रहे हैं यह उचित नहीं हैं मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह जो प्रश्न है उसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहें ।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, अम्बेडकर वादी हम लोग हैं।

श्री दद्दू प्रसाद-

यह सदन की परम्परा है कि नियम 56 पर ग्राह्यता पर बोलें। ग्राह्यता पर बात उठाई जाती है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय उपाध्यक्ष जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान कितना है यह वे लोग जानेगे जिन्होंने संविधान का पढ़ा हो, जिन्होंने संविधान को समझा हो और जो लोग संविधान को समझ जाने से सुरक्षित अपने आपको महसूस करते हैं जैसे मैं। इसलिये मान्यवर, यह कहा जाना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया जा रहा है यह बात सही नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कुछ लोग राजनीति करना चाहें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को छोटा करना चाहें तो ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। यह कहना कि वहां पर मान्यवर, गन्दगी है यह सही नहीं है। जो भी गन्दगी थी वह गन्दगी बिल्कुल साफ कर दी गयी है। मान्यवर, जो अंधेरा था वह दूर कर दिया गया है। सारा मामला व्यवस्थित है और किसी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कोई उद्यान हो तो उसे [×××] नहीं बनने दिया जायेगा।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री के कतिपय शब्दों पर उत्तेजित होकर श्री दद्दू प्रसाद और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति की। श्री उपाध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी करते हुए श्री दद्दू प्रसाद, श्री घूरा राम, श्री इलम सिंह, श्री भगेलू राम तथा श्री उमाशंकर कुशवाहा आदि बसपा के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री उपाध्यक्ष ने 2 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 55 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 55 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया हैं। 3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

[3 बजकर 15 मिनट]

(वेल में आये हुए ब0 स0 पा0 के सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी किये जाने तथा सदस्यों द्वारा नारे लगाते रहने और आसन न ग्रहण करने पर)

नोट :- [×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 3.30 बजे तक स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 3 बजकर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(ब0स0पा0 के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठकर कर नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी कृपया अपने सदस्यों को वापस बुला लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरा अनुरोध दो मिनट सुन लें। मैंने नियम 56 के अन्तर्गत निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो डा0 भीमराव अम्बेडकर उद्यान बना हुआ है वहां पर्याप्त मात्रा में गन्दगी फैली हुई है, दुर्व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है जिससे लाखों-लाख की तादाद में परम पूज्य डा0 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं तथा उद्यान में महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा भी लगी है, वहां देश-विदेश के बौद्ध अनुयायी भी आते हैं जिससे उन्हें असुविधा होती है। लखनऊ में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अपना सुकून पाने, उसे देखने तथा सुबह-शाम स्वस्थ लाभ लेने के लिये आते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सारी बातें आप कह चुके हैं। आप अपने माननीय सदस्यों को वापस बुला लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आज वहां पर अव्यवस्था होने से लोगों में एक जनाक्रोश है। इस पर चर्चा करा लें और सरकार व्यवस्था सुनिश्चित कर ले कि जो कमियां हैं वह दूर कर दी जायेंगी तथा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जायेगी जिससे मान्यवर, करोड़ों करोड़ लोग जो डा0 अम्बेडकर को मसीहा मानते हैं, गौतम बुद्ध को आदर्श मानते हैं उनके दिल को चोट न पहुंचे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बजाय यह कहने के कि प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे, वहां की कमियां दूर करेंगे। उसे [×××] कह दिया। जो शब्द प्रयोग हुआ वह ठीक नहीं है। डा0 अम्बेडकर उद्यान का संबंध केवल यहां पर बैठे हुये बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों से नहीं है, न एक विशेष पार्टी से उसका संबंध है, न वह बहुजन समाज पार्टी का है, न हमारी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति है, और उसकी व्यवस्था सरकार को करनी है। इसलिये मेरा यह निवेदन है, कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात रखी, उसे वापस ले लें। हम तो चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले और आपके निर्देश का समय-समय पर पालन किया जाय। इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पहले अपने सदस्यों को वापस बुला लीजिये।

नोट :- [×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुरोध पर सदन की वेल में आये हुये बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण अपने-अपने आसन पर वापस आ गये।)

(श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें। आपको अनुमति नहीं दी गयी है।

अपने उत्तर में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने यह कहा था कि डा0 अम्बेडकर के प्रति उनका पूरा सम्मान है। उनका किसी भी प्रकार से अपमान करने की इच्छा नहीं है। एक शब्द निकल गया तो हम सब इस बात का प्रयास करते हैं कि कोई शब्द अप्रिय है तो उसका प्रयोग न करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार-बार कह रहा हूं कि बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का किस कदर सम्मान है। उधर से इनके सम्मान में कोई कमी है इसकी शिकायत नहीं है। बाबा साहब के लिये कोई यह जुर्रत करे इसका क्या सवाल उठता है ? हम समाजवादियों से ज्यादा कोई सम्मान करेगा, कोई सवाल ही नही उठता। मैं थोड़ा अरबी-फारसी जानता हूं गलती से कोई शब्द कह दिया होगा।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आपकी मंशा तो नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बिल्कुल नहीं।

श्री दद्दू प्रसाद-

डा0 अम्बेडकर उद्यान स्थल हमारे सम्मान का प्रतीक है, अस्मिता का प्रतीक है। मान्यवर, डा0 अम्बेडकर का अपमान सहन नहीं किया जायेगा।

(सत्तापक्ष की तरफ से बैठिये-बैठिये की आवाजें आयी।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण कीजिए। अब जो बोलेंगें वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, जानबूझकर ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। डा0 अम्बेडकर उद्यान हमारी अस्मिता का प्रतीक है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करिये। आपकी भावनाओं को चोट लगी है और हम आपकी भावनाओं पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो थोड़ी सी सहायता करिये। माननीय संसदीय

कार्यमंत्री जी ने कह दिया कि ऐसा कहने का उनका कोई इरादा नहीं था। मौर्या जी आपकी भावनाओं को चोट लगी है और हम भावनाओं का सम्मान करने की कोशिश कर रहे हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी देश के बड़े नेता का अपमान हो इसलिए उन्होंने एक शब्द, एक भाषा का प्रयोग कर लिया। हर भाषा के अलग-अलग शब्द होते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि न तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का इरादा है और न ही उनकी स्मृति का अपमान करने का इरादा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी। चूंकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी फारसी जानते हैं, अरबी जानते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन उनके इस शब्द के प्रयोग से हम लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है। उस शब्द को कार्यवाही से बाहर करवा दीजिये और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अपने उस शब्द को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठ जायं। स्थिति सामान्य करने में मेरी सहायता कीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा जेहन साफ है। हम समाजवादी लोगों से ज्यादा सम्मान कौन करेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यदि आप सम्मान करते हैं तो आपके "जेहनी अय्यासी" के शब्द के प्रयोग से बहुजन समाज के लोगों को जो चोट पहुंची है और आपकी नियत साफ है तथा महापुरुष के प्रति सम्मान है तो उस शब्द को वापस लेने में प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनना चाहिए। मान्यवर, इसमें आप व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्य जी मा0 संसदीय कार्य मंत्री स्पष्ट कर देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी आपके निर्देशों के बाद मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैंने साफ कह दिया है कि हमारा बाबा साहब के प्रति सम्मान है, लेकिन मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी अपने आपको अकेला चैम्पियन साबित न करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत हो जाइये। मा0 गोयल जी बैठ जाइये। गोयल जी जो बोल रहे हैं कुछ लिखा नहीं जायेगा। अकेला जी क्या बोलेंगे, सिवाय कटुता के। मा0 मौर्य जी बाबा भीम राव अम्बेडकर सारे

देश के नेता थे, हम सब के नेता थे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे हैं कि वह अकेले बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं हैं इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यदि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के मन में बाबा साहब के प्रति सम्मान है तो इन्होंने जो शब्द उनके प्रति इस्तेमाल किए हैं उन शब्दों को वापस लेने में इन्हें क्या आपत्ति है। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर जी का अपमान किया है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके इन्होंने हमारी भावनाओं को आहत किया है। यदि इनके मन में बाबा साहब के प्रति सम्मान है तो यह अपने शब्द वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी मैंने कह दिया है कि उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा, वह शब्द कार्यवाही का अंग नहीं बनेंगे। आप निश्चिन्त रहें अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे व्यवस्था देने दीजिए।

(शोर)

माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय श्री सुखदेव राजभर और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। मैंने सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट कर दिया है और आशा करता हूं कि अम्बेडकर मैदान में बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था पर पूरा ध्यान देगें।

तीसरी सूचना श्री राम कृपाल, की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोल जाति को जनजाति की सूची से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा चौथी सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन के थाना जालौन में देवेन्द्र बहादुर सिंह, की हत्या एवं लूट से मैंने इस पर उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

*श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र को संतुलित विकास के लिए बुन्देलखण्ड विकास निधि की स्थापना की गयी थी। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2002-03 में इसके लिए पचास हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे, वित्तीय वर्ष 2003-04 में भी इसके लिए पचास हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसको वित्तीय वर्ष 2002-03 में मिलने वाले धन के राज्यांश पर इस सरकार ने जो माह सितम्बर, 2003 में आयी है, रोक लगा दी है। मान्यवर, यह बुन्देलखण्ड की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। मान्यवर, इस तरह से इस सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के विकास पर रोक लगा दी गयी है। मान्यवर, इस सरकार ने सितम्बर, 2003 में एक शासनादेश जारी करके बुन्देलखण्ड विकास निधि पर रोक लगा दी है। मान्यवर, यह अत्यन्त तात्कालिक और लोक महत्व का प्रश्न है, मैं इस पर चर्चा की माँग करता हूं। मान्यवर, इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार द्वारा सिर्फ जिला अंश दिया जा रहा है, बुन्देलखण्ड विकास निधि के राज्यांश पर इस सरकार ने रोक लगा दी है, मान्यवर, मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं, क्योंकि यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है, तात्कालिक है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है। मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री दद्दू प्रसाद-

यह सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के साथ घोर अन्याय कर रही है। क्योंकि उस क्षेत्र की जनता का समाजवादी पार्टी को कोई समर्थन नहीं मिला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

जनपद मुजफ्फरनगर के इन्सपेक्टर कोतवाली द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ता को पीटने से उत्पन्न स्थिति विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत डा0 बाजपेयी जी अपनी बात रखें।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरे यहां गढ़ रोड पर भाजपा के एक कार्यकर्ता शोभित मिश्र कार से आ रहे थे एक गाड़ी टाटा सूमो के आगे निकलते समय उनकी गाड़ी को साइड मार दी तब श्री मिश्रा ने गढ़ रोड मेडिकल थाने की चेक पोस्ट पर जब टाटा सूमो रुकवाई, तो उस गाड़ी से एक पुलिस इंसपेक्टर गनर के साथ उतरे और उतरते ही हमारे कार्यकर्ता की पिटाई करना शुरू कर दिया। फिर उसको पकड़ कर जीप में डाल कर थाने ले गये और थाने में मूछों को पकड़कर दीवार से हमारे कार्यकर्ता का सर टकराया। मेडिकल थाने वालों ने कहा कि हमारे थाने पर यह न करें कहीं और ले जाएं। पिटाई करने से जब हमारा कार्यकर्ता बेहोश हो गया तो उसका मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, पर वहां पर डाक्टर ने कहा कि हमारे यहां मर जायेगा हम नहीं रखेंगे। इसके बाद हमारे कार्यकर्ता शोभित मिश्रा को प्राइवेट, लोकप्रिय नर्सिंग होम की आई0सी0यू0 में, भर्ती किया गया। मान्यवर, वह दरोगा मुजफ्फरनगर कोतवाली में पोस्ट है, वहां पर आई0जी0 और एस0एस0पी0 थाने पर गये और कहा कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी तहरीर दे दें। हमारे कार्यकर्ता की ओर से तहरीर दी गयी पुलिस इंसपेक्टर द्वारा जो तहरीर दी गयी है उसमें यह लिखा गया है कि मेरी पत्नी की जंजीर छीनने के लिए गाड़ी को ओवरटेक किया गया मान्यवर, एक व्यक्ति जो आयकर दाता है और मेरठ का एक प्रतिष्ठित नागरिक है भा0ज0पा0 कार्यकर्ता हैं, वह किसी की पत्नी का चेन नहीं छीन सकता है। ऐसी निकृष्ट एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी है, मान्यवर, 48 घण्टे हो गये हैं अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आई0जी0 ने कहा था कि जांच करायेंगे, और कार्यकर्ता को न्याय मिलेगा, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं इस मामले की जांच करा के सरकार कल तक निष्कर्षों की जानकारी दे दे अगर

हमारे कार्यकर्ता की गलती होगी तो हम स्वीकार कर लेंगे। मान्यवर, अन्यथा दरोगा को निलम्बित किया जाना चाहिए और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

एक सदस्य-

मान्यवर, दरोगा ने कहा है कि उसकी पत्नी की चेन छीनने के लिए कोशिश की गयी तो वह घर वाली कौन थी ?

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी आप तथ्यों का प्रारम्भिक रूप से पता करा ले और कल इसको सूचित कर दीजियेगा।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, तथ्यों की जानकारी कराकर जो कार्यवाही होगी इसमें करेंगे, कल बता देंगे।

शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद तथा बदायूं सीमा पर कलुआ गिरोह के आतंक से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद तथा बदायूं के बार्डर पर कलुआ गिरोह का आतंक पिछले एक वर्ष से कायम है। पिछले दो वर्ष से इस गिरोह का जबरदस्त आतंक व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर देते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज भी उन थाना क्षेत्रों में सिपाही अपनी पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, थानेदार अपनी पोस्टिंग नहीं चाहते हैं। अगर गलती से किसी की पोस्टिंग कर भी दी जाती है तो वह उन थानों से बाहर जाने के लिये प्रयास करने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वहां पर पिछले दो सालों में 6 सिपाही और तीन सबइंस्पेक्टर मारे जा चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश स्तर पर गृह सचिव और डी0 जी0 पी0 की अध्यक्षता में एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिये। जिससे कलुआ गिरोह से निपटने के लिये यहां से अभियान चलाया जाए और इन थानों में वायरलेस सेट व नई जिप्सी की व्यवस्था की जाय। आलम यह है कि किसी सिपाही को कोई सजा दी जाती है तो उसको परौर कलान व मिर्जापुर थानों में भेज दिया जाता है । यह फर्रुखाबाद, बदायूं के बार्डर का इलाका है। मैं शासन से मांग करता हूं कि इस गिरोह से निपटने के लिये कार्य योजना बनाई जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कम से कम इस पर संसदीय कार्यमंत्री जी से जवाब तो दिलवा दें। संसदीय कार्यमंत्री इसको संज्ञान में ले लें।

श्री ओमकार सिंह यादव-

आप इसके पहले सत्ता में थे, आप क्या कर रहे थे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने नहीं किया इसलिये हम इधर आ गये।

श्री अध्यक्ष-

यह जो माननीय सदस्य ने कलुआ गिरोह के बारे में कहा है कि तीन सब इंस्पेक्टर व 6 सिपाही मारे जा चुके हैं व इस गिरोह का आतंक है व कार्ययोजना बनाने की बात माननीय सदस्य ने कही है इसको संसदीय कार्यमंत्री संज्ञान में ले लें व जो आवश्यक हो वह करें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जैसा निर्देश है।

श्री अध्यक्ष-

डा0 राम बाबू हरित को सुन लिया गया है।

जनपद इटावा में फर्जी नोटरी द्वारा हलफनामा दाखिल करने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री सलिल विश्नोई की है।

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सचिवालय में इस समय सक्रिय फर्जी दस्तावेज को बनाने वाले गिरोह के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस गिरोह द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाये जा रहे हैं इस आधार पर तमाम प्रशासनिक और न्यायिक निर्णयों को प्रभावित किया जा रहा है। इटावा जिला की औरैया तहसील में उ0 प्र0 शासन के गजट के अनुसार औरैया में 4 अगस्त, 1973 को प्रेम चन्द्र को नोटरी वकील नियुक्त किया गया, लेकिन सचिवालय द्वारा फर्जी आदेशों में प्रेम चन्द्र की नियुक्ति 3 नवम्बर, 1972 दिखाई गई। इस प्रकार फर्जी आदेशों को बनाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। अखबारों में इस तरह की खबरें तो बहुत पहले से ही छपती रही है लेकिन इन दो घटनाओं का मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। नोटरी वकील के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया गया। अतः निवेदन है ऐसे फर्जी हस्ताक्षर से दस्तावेज बनाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की

जाय। जिन्होंने इस आदेश का उपयोग करके अपने पक्ष में निर्णय कराया है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी, इसको देख लें व इसकी जाँच करा लें, किस तरह से नोटरी वकील नियुक्त किया गया ? किस तरह से फर्जी दस्तावेज बनाये गये।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री घनश्याम शुक्ला, श्री राम नरेश यादव, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 सुशील चौधरी तथा डा0 इन्द्र देव सिंह,

(दो तीन सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आज पर्याप्त समय लग गया है। मैं अगली मद ले रहा हैं।

श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आप कल फिर से दे दीजियेगा।

श्री घनश्याम शुक्ला-

हमारे कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप कल फिर दे दीजियेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अपरान्ह चार बजे तक लिये जाने पर पीठ का ध्यान आकृष्ट किया जाना

परिवहन मंत्री (कुँवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहूँगा। आप घड़ी की ओर भी ध्यान कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये मैंने घनश्याम जी को अनुमति नहीं दी।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

जब पिछली बार विधान सभा में यह तय हुआ था कि दो माननीय सदस्यों को नियम-56 में सुना जायेगा और बाकी में ध्यान आकृष्ट कर दिया जायेगा। मान्यवर, यह तो लघु सत्र है, बजट में चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर यही परम्परा रही तो जब बजट सत्र होगा, तो पता चला कि 5 बजे तक शून्य प्रहर चलता रहा और उसके बाद बजट पर चर्चा होगा तो हाउस 12 बजे तक चलेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप उस पीठ पर बैठे हैं जिस पर बाबू बनारसी दास भी अध्यक्ष रहे और उन्होंने नियम बना दिया था कि 2 बजे स्वतः शून्य प्रहर समाप्त हो जायेगा। मैं यह

कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हो रहा है उसमें बजट पर चर्चा कम हो पाती है जो मैंने अपने अनुभव में देखा है।

श्री अध्यक्ष-

बजट सत्र बढ़वा दीजिये बजाय इसके कि कल बजट सत्र समाप्त हो। आप सरकार में हैं इसको 10-15 दिन और बढ़वा दीजिये। आप लोग कहते हैं कि बजट सत्र छोटा होना चाहिये और चर्चा भी होनी चाहिये। इस तरह तो माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिल पाता है।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, पिछले 10 सालों में 24 दिन कभी चर्चा नहीं हुई मेरा कहना है कि इस बार 24 दिन होगी बजट सत्र में ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी बात समझ गया।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हमारा यह कहना नहीं है कि कोई माननीय सदस्य अपनी बात न कह सके। हमारा आग्रह केवल इतना है कि बजट पर चर्चा नहीं हो पाती है। समय इस तरह से हो जाता है और बाद में कहा जाता है कि जो कहना हो अपनी बात 1 मिनट में कहें। चाहे इधर के लोग हो या उधर के लोग हो हम चाहते हैं कि बजट पर बोलने का अवसर सबको मिले।

श्री अध्यक्ष-

दो अन्तर हो गये। एक तो यह कि आज सदन 3/4 बार स्थगित हुआ वरना कल परसों आप देख रहे थे कि दो बजे शून्य प्रहर समाप्त हो रहा था। दूसरी बात यह है कि यह बजट सत्र छोटा है इसलिये विपक्ष ने अपनी सद्भावना दिखाई है और यह कह दिया है कि आप माँग प्रस्तुत करें हम कटौती रखेंगे और उस पर चर्चा नहीं होगी।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-37 नगर निकास विभाग, अनुदान संख्या-02 आवास विभाग, अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या-69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल), अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग, अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने), अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या-78

सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग, अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-60 वन विभाग, अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-9 ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना), अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-5 उद्ययोग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग), अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर), अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,48,34,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

मान्यवर, विचार भी रखें या बाद में।

श्री अध्यक्ष-

2 विकल्प सामने हैं। एक तो यह है कि प्रत्येक मद प्रस्तुत हो जाय और कटौती प्रस्तुत हो जाय उस पर माननीय सदस्य विचार कर लें या फिर सारी मांगें और सारी कटौती एक साथ प्रस्तुत हो उसके बाद एक साथ मतदान करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,71,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,78,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,78,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 76,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,18,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

[4 बजकर 10 मिनट]

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,83,97,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,04,48,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,13,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,16,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,50,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं

द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,03,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,57,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

*पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य संबंध विभाग (पंचायती राज) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,83,65,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-14 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

*श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,07,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,45,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,75,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-60 वन विभाग के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

*पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या-15 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,66,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-15 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,73,65,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,59,47,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-09 ऊर्जा विभाग के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,23,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि को स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,82,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,05,94,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं0-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग

की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,47,80,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,76,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा मंत्री (श्री राजवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,98,14,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं0-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री राजवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,73,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री राजवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,18,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री राजवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,98,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं0-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

*खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी ग्रामोद्योग) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,04,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं0-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

*परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,43,82,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं0-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,55,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,09,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं0-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,83,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं0-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अंर्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

*विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नरायन)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,61,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

अभी जो विभिन्न विभागों की अनुदान की मांग प्रस्तुत हुई है और कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं तो किधर से चर्चा शुरू हो ? सत्तापक्ष से कोई सदस्य विचार व्यक्त करना चाहेंगे या विपक्ष के।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अक्षयवर लाल गौड़-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, लगभग सारी बातें तो सदन में तीन दिन की इस चर्चा में आ चुकी हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया इन मांगों को पारित कराने का कष्ट करें।

*श्री अक्षयवर लाल गौड़-

मान्यवर, हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिये 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 2 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। मान्यवर, पूरे बजट में अनुसूचित जनजाति जो सबसे गरीब जाति है और जो निचले पायदान पर है उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अभी केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति की 18 जातियों को उत्तर प्रदेश में आरक्षित श्रेणी में माना है जिससे उनकी संख्या बहुत बढ़ गयी है तो मान्यवर, इस हिसाब से उनके लिये विधान सभा में तथा लोक सभा में सीटों का आरक्षण बढ़ना चाहिये और जो दवाओं तथा पाठशालाओं में शिक्षा की सुविधा अनुसूचित जाति के लोगों को मिलती है वह व्यवस्था उनको भी मिले। इसका इस बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। कृपया उसको देख लिया जाए और उनकी जो नयी जनजातियां आरक्षित वर्ग में सम्मिलित हुई हैं उनके लाभ के लिये सरकार काम करे, उनके लिये आयोग की स्थापना हो तथा वित्त विकास निगम की भी स्थापना की जाये।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है मुझे आपको यह बताते हुये खुशी हो रही है कि समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये तमाम योजनायें हैं और अभी हाल ही में कुछ जातियों के संबंध में भारत सरकार ने संस्तुति करके हमें भेजा है उनके लिये भी, अनुसूचित जाति के लोगों के लिये जो शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सहायता और कल्याण की जो याजनायें हैं उनको भी उसी तरह मिलेगी जिस तरह से अनुसूचित जाति को मिलती है और बजट में इसका प्राविधान है।

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसी सदन में एक दिन माननीय खाद्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि पिछले साल की अपेक्षा चार गुना धान की खरीद होगी। महोदय, वह एक सक्षम मंत्री हैं। मेरे क्षेत्र में 28 पी0 सी0 एफ0 के क्रय केन्द्र धान के पिछले साल थे इस साल 16 समाप्त कर दिये गये हैं और सिर्फ 12 बचे हैं। जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में खजुही, जगदरा, इकईल, पकड़ी, जठवर आदि में धान के सबसे सम्पन्न ब्लाक हैं। मान्यवर, अगर कृषक यहां से धान बेचने जायेगा तो उसे 20 रुपये बोरी भाड़ा देना होगा। इन जगहों पर क्रय केन्द्र होने आवश्यक हैं। बलिया के अधिकारी प्रति एकड़ धान पर 5 कुन्तल बांध दिये हैं कि एक एकड़ जिसके पास धान है उसका 5 कुन्तल लेंगे। जबकि हमारे यहां प्रति एकड़ 15-20 कुन्तल धान की उपज होती है। अगर इतना लेंगे तो किसानों का एक चौथाई धान नहीं बिक पायेगा। ऐसी व्यवस्था आप करा दें ताकि किसानों का धान घर पर न रह जाये।

मान्यवर, थोड़ी सी समस्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से है जो बलिया जनपद के कुछ विवादास्पद डाक्टर थे, जिन्हें पिछले दिनों हटाया गया था जो उसी गृह जनपद के रहने वाले लोग हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी फिर [illegible] हो गयी है। इसके अलावा कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जैसे खडसरा, गडमलपुर में [illegible] नहीं है, खुद मेरे गांव में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर डाक्टर की उपलब्धि सुनिश्चित करायेंगे और बाकी गांवों में जच्चा-बच्चा केन्द्र सुनिश्चित करायेंगे। एक तो तहसील स्तर पर कोई लेडीज डाक्टर नहीं है, गाइनोकोलोजिस्ट नहीं है, लोग मऊ जनपद में डिलीवरी के लिये जाते हैं यह इतनी बड़ी समस्या है। हम लोग आपस में वाद-विवाद भले ही कर लें लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या है। इस पर माननीय मंत्री जी गम्भीरता से विचार कर लें और हर गांव में जच्चा-बच्चा केन्द्र उपलब्ध करा दें।

समाज कल्याण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जिस ढंग से अनुसूचित जाति की बेटी की शादी में 10 हजार रुपये शासन से दिये जाते हैं वैसे ही पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी में 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाय। मान्यवर, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं उनकी बेटियों की शादी में भी 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाय। बेटियां सब एक हैं बेटियों को बांटा न जाय। जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, और पिछड़ों में राजभर हैं, लोनिया हैं, बढ़ई हैं, ये लोग अनुसूचित जाति से भी ज्यादा गरीब हैं। मेरा अनुरोध है समाज कल्याण मंत्री जी से कि जिसको मिलता है उसको मिलता रहे लेकिन इसमें कुछ लोगों को बढ़ाना आवश्यक है। आप कुछ चेन्ज करिये, वही लकीर की फकीर पीटने से काम चलने वाला नहीं है। हमारे अम्बिका चौधरी जी हंस रहे हैं, बड़े सक्षम मंत्री हैं। तो यह मेरा सुझाव आप शामिल कर लीजिए।

डा0 अशोक वाजपेयी-

मान्यवर, जैसा राम इकबाल जी ने धान की खरीद के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है, जिन क्रय केन्द्रों में जहां अवगत कराया है कि धान की खरीद नहीं हो रही है उसे हम दिखवा लेंगे। इस वर्ष 6.50 लाख धान क्रय का लक्ष्य रखा गया है। यह किसानों की सरकार है। इसके साथ ही हमने निर्देश दिया है कि जब तक बाजार में किसान धान लायेगा, क्रय केन्द्रों में लायेगा तब हम धान को लेंगे। पिछले वर्ष जितनी धान की खरीद हुई थी उससे 5 गुना ज्यादा धान की खरीद आज तक कर ली गयी है और उतना ही आज बाजार भाव में जो धान है, 500 रुपया कुंतल से ज्यादा दाम मिल रहा है। पिछली बार की तुलना में 5 गुना से ज्यादा मिलर द्वारा खरीदा गया है। जिन क्षेत्रों में सुझाव दिया है वहां विशेष रूप से दिखवा लेंगे। जितने क्रय केन्द्र पिछले वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित थे 1562, वे सारे स्थापित करा दिये गये हैं और क्रय केन्द्रों को स्थापित करने के लिए समिति बनी हुई है। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है। जो मंडलायुक्त की संस्तुति से अगर भिजवा देंगे तो उन केन्द्रों को फिर से प्रारम्भ करवा दूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि किसानों के हित में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। इस सरकार के चलते उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने पायेगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में डाक्टरों और पैरा मेडिकल कर्मियों के जो हजारों पद रिक्त हैं, उनको आप भरने की कृपा करें। जिसकी वजह

से जनता को बहुत असुविधा हो रही है। इस समय पी0एम0एस0 डाक्टरों के 1939, प्रयोगशाला सहायकों के 1250, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के 215, एक्सरे टेक्नीशियन के 44, फार्मासिस्ट के 28, नर्सों के 850 पद रिक्त हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, इनको भरने की आप शीघ्रताशीघ्र कृपा करें। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यह तय किया गया है कि एनस्थीसिया शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है और सर्जरी के मामलों में एनस्थीसिया देना जरूरी है। मेरा सुझाव है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय। क्योंकि गरीब या अमीर कोई भी हो एनस्थीसिया शुल्क अलग से दिये बिना छोटी या बड़ी सर्जरी सम्भव नहीं है।

तीसरी बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि पहले जो सरकार थी, उस समय प्रसव से पीड़ित जो महिला होती थी, उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, परन्तु अब सरकार ने 335 रुपये प्रसव पीड़ित महिला से शुल्क लेना प्रारम्भ किया है, इस ओर भी आप ध्यान दें। मैं एक विशेष बात आपके सामने रख रहा हूं। मेरा आग्रह है कि आप इस पर अवश्य ध्यान देगें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने उसमें से डेन्टल कालेज को अलग कर उसको उच्चीकृत करके किंग जार्ज डेन्टल यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। इस संबंध में मेरा आपसे आग्रह है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज या किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों के लिये यह आवश्यक है कि सारी फैकल्टीज उसमें हों। अभी तक डेन्टल कालेज, चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक संकाय के रूप में कार्य कर रहा था, किन्तु किंग जार्ज मेडिकल कालेज और किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से डेन्टल कालेज को अलग कर दिया गया, वहां से एक फैकल्टी हटा दी गयी, इसके हटा देने से एम0सी0आई0, डी0सी0आई0 तथा यू0जी0सी0 की जो मान्यता थी, वह खतरे में पड़ गयी। मेरा निवेदन है कि किंग जार्ज डेन्टल यूनिवर्सिटी जो आपने घोषित की है, उसके लिये सारी फैकल्टीज का होना बहुत जरूरी है और वहां उन लड़कों को जो बी0डी0एस0 के हैं, को एनाटिमी, फिजियालोजी, सर्जरी, बायोकेमेस्ट्री, फार्माकालोजी तथा मेडिसिन विषयों का अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से डेन्टल कालेज हट जाने के कारण डेन्टल यूनिवर्सिटी की जो मान्यता थी, वह खतरे में पड़ गयी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अब बी0डी0एस0 तथा एम0बी0बी0एस0 छात्रों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस पर तुरन्त निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस भ्रम को दूर करने की भी आवश्यकता है । मैं एक बात और आपके सामने रख रहा हूं पूर्व मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक घोषणा की थी कि धनवंतरि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जायेगा और वह विश्वविद्यालय आज तक नहीं बना है। उसके बाद घटनाक्रम बदला। के0जी0एम0सी0 का नाम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कर दिया गया उसके बाद फिर माननीय मुख्य मंत्री ने उसे के0जी0एम0यू0 बना दिया, लेकिन धनवंतरि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का क्या हुआ ? मैं आपके लिट्रेचर की बात कर रहा हूं इसके अन्दर धनवंतरि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की बात कही गयी है। धनवंतरि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इस बारे में जब जवाब दिया जाय तो अवश्य इसके बारे में कहा जाय। एक बात की ओर मैं और आपका ध्यान दिलाऊंगा पिछले सत्र में पी0जी0एम0ई0 की परीक्षा के0जी0एम0सी0 में करायी गयी थी और उसका संदेश सारी दुनिया में गया था और वहां के जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे उन्होंने वालेंट्री रिटायरमेंट इस डर से ले

लिया था कि वर्तमान सरकार इसमें ऐक्शन ले लेगी। उस समय घोटाला हुआ था, एक जांच हुई थी और जांच के बाद यह परीक्षा संदेह के घेरे में आ गयी। पी0जी0एम0ई0 की परीक्षा फिर से के0जी0एम0यू0 को दी गयी है इस पर विचार कर लें और देख लें कि यह परीक्षा यहां से न हो, इस परीक्षा को कहीं और करा लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

इसके बाद मैं आयुर्वेदिक कालेज की बात करना चाहूंगा, वहां के लोग मुझसे मिले थे। 2200 आयुर्वेदिक चिकित्सालय बीमार पड़े हैं वहां आयुर्वेदिक डाक्टरों की पोस्टिंग नहीं है, आयुर्वेदिक कालेजों और होम्योपैथिक कालेजों की उपेक्षा हो रही है, वहां पर संसाधन नहीं हैं। होम्योपैथिक कालेजों में से अनेकों के भवन निर्माण नहीं है। लखनऊ के होम्योपैथिक कालेज में मरीजों की जगह बिस्तरों पर कुत्ते बैठे रहते हैं। मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। लखनऊ में इस बात का सर्वे हुआ है कि राजधानी में पेशेवर रक्तदाता फैले हुए हैं और जो पेशेवर रक्तदाता हैं उसके द्वारा दिये गये रक्त से लोगों में तमाम संक्रामक बीमारियां हो रही हैं। सरकार को ध्यान देकर इन पर अकुंश लगाना चाहिए । मैं अन्त में एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह जनजीवन का प्रश्न है मेरे पास वह दवायें हैं। कुछ दवाओं के लिए यह आवश्यक है कि उनको निश्चित टेम्प्रेचर पर रखा जाय अन्यथा उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है।

मान्यवर, मैं आपके सामने यह दो इन्जेक्शन लाया हूं। (श्री श्रीवास्तव ने इन्जेक्शन दिखाया) सत्तापक्ष से आवाज आयी कि इन्जेक्शन इन्हें लगा दिया जाय।

यहां हंसी-मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर इससे नुकसान हो गया तो फिर रोके नहीं रुकेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पीठ को सम्बोधित करते हुए अपनी बात कहिये।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, यह आक्सीटांसिन इन्जेक्शन जिसके ऊपर यह लिखा हुआ है कि इट शुड बी स्टोर्ड एट ए टेम्प्रेचर बिटवीन 2 टू 8 सी एण्ड प्रोटेक्ट फ्राम लाइट।

मेरा कहने का मतलब यह है कि ये दोनों इंजेक्शन जिस टेम्प्रेचर पर रखे जाने चाहिये उसका उल्टा लिखा हुआ है। जो इस इंजेक्शन पर लिखा हुआ है उस टेम्प्रेचर पर रखेंगे तो यह इंजेक्शन निष्प्रभावी हो जायेगा। क्योंकि इंजेक्शन पर गलत लिखा हुआ है। जबकि आक्सीटोसीन इन्जेक्शन के लिये 8 से 25 डिग्री सेल्शियस तापमान होना चाहिए। इसी तरह से मिथाइलरजामेट्रिन इन्जेक्शन के लिये होना यह चाहिए कि इसे कोल्ड प्लेस पर रखा जाना चाहिए जबकि उसका उल्टा

लिखा हुआ है। उसके अनुसार 2 से 8 डिग्री सेल्शियस होना चाहिए। इस इन्जेक्शन से स्टोर करने का जो नार्म है वह यह है-"स्टोर इन सिंगल डोज, लाइट रेजिस्टेन्ट कन्टेनर्स इन ए कोल्ड प्लेस" इन दोनों इंजेक्शनों के ऊपर लिखा हुआ है कि यू0 पी0 गवर्नमेंट,सप्लाई वर्ष 2002-03। इस ओर ध्यान दिया जाय तथा नकली दवाओं पर कण्ट्रोल किया जाय, छापे मारे जायं, जिससे लोगों के साथ खिलवाड़ न हो सके। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

मान्यवर, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं लेकिन गाजियाबाद जिला बने लगभग 27 वर्ष हो चुके हैं। सबसे पहले 1976 में गाजियाबाद जिला बना था। दिल्ली के नजदीक होने के कारण इस जिले का विस्तार होता गया, लेकिन अभी तक वहां पर जिला स्तर का कोई भी अस्पताल नहीं है। अस्पताल के लिये वर्ष 1992 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन उपलब्ध करा दी गयी थी। कुछ धन आवंटित करके उसकी बाउण्ड्री वाल भी करा दी गयी थी । पिछले साल मैंने इसको सदन में उठाया था और 50 लाख रुपया रिलीज भी हुआ था लेकिन अब तक जिला अस्पताल नहीं बन पाया है तहसील लेवेल का अस्पताल वहां पर चल रहा है मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जिला अस्पताल का निर्माण कराने की कृपा करें ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में श्रमिकों के बारे में पूरी उदासीनता बरती है। श्रम और पूंजी एक दूसरे के पूरक हैं। पूंजी के बारे में सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है। लेकिन गरीबों और श्रमिकों के बारे में कोई चिन्ता नहीं व्यक्त की है। मैं आपके माध्यम से यह चिन्ता व्यक्त करता हूं, कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक लाइन में कह दिया, कि इंस्पेक्टर राज मुअत्तल किया जाता हैं इंस्पेक्टर राज क्या है, कोई व्यक्ति है या और कोई चीज है जिसको मुअत्तल कर दिया इसके ऊपर प्रकाश डालें। मान्यवर, इस पर प्रकाश डालें और गरीबों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा इसको इंस्पेक्टर कैसे करेगा। मा0 श्रम मंत्री जी इस ओर क्या व्यवस्था करेंगे। यह भी चिन्ता की बात है क्योंकि उद्योगपति आज भी इंस्पेक्टर को मारकर भगा देता है, उनको कारखाने में देखने नहीं जाने देता है। आज गरीब बेसहारा है उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के प्रति संवेदनहीनता व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि श्रम मंत्री इस तरफ चिन्ता करें। मान्यवर, पंचायत के तीन स्तर होते हैं। क्षेत्र पंचायत में बी0डी0ओ0 और ब्लाक प्रमुख का सम्मिलित खाता था, अब नहीं है। क्षेत्र पंचायत में वार्ड बने, 2000 की आबादी पर एक सदस्य चुनकर आता है। क्षेत्र पंचायत में विकास व्यवस्थित नहीं हो रहा है। ब्लाक प्रमुख मनमाने ढंग से क्षेत्र पंचायत के आधार पर विकास नहीं कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि क्षेत्र पंचायत का सदस्य अपने वार्ड में विकास करें। तीसरा स्वास्थ्य विभाग के बारे में मान्यवर कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं है। सरकार कुत्ता काटने की दवा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करे। मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर रहते नहीं हैं, डाक्टरों के रहने की व्यवस्था कर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*डा0 पूर्णमासी देहाती-

मा0 अध्यक्ष जी मैं समाज कल्याण मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, पहले उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग जो बना हुआ था उसमें व्यवस्था थी कि एक सदस्य अनुसूचित जाति का नामित किया जायेगा और जो उसके आयोग का पद है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा भरा जायेगा, लेकिन पिछली जो सरकार थी उसने एक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कम कर दिया, और दूसरा यह कर दिया कि आयोग में अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं रखा जायेगा और आयोग के पद पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति रखा जायेगा, जबकि पहले यह व्यवस्था थी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि इधर भारत सरकार ने अधिक जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया है, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में जैसे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों, विधान सभा, लोक सभा के सीटों का भी आरक्षण उत्तर प्रदेश में परसेन्टेज के आधार पर होना चाहिए। यह मेरी समाज कल्याण मंत्री जी से मांग है कि वह एक संविधान लाये, और पूर्व की व्यवस्था लागू थी उसको लागू कराने की कृपा करें।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं बलिया जनपद की तरफ मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जनपद में दो डाक्टर जिन पर पिछली सरकार में आरोप था उनको फिर से बहाल कर दिया गया। इससे आम जनता में काफी मायूसी है। मान्यवर, हम लोग 5-5 एम0एल0ए0 बलिया से चुनकर आते हैं हम लोगों से परामर्श नहीं लिया गया और इसकी क्षेत्र में गलत व्याख्या हो रही है। मान्यवर, सिकन्दरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोई महिला डाक्टर नहीं है। बहुड़ी, नाबानगर, बालूपुर, कार्जीपुर, सकलपूरा, मनियर, बड़ा गांव में कोई डाक्टर नहीं है। मान्यवर, जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनके पास बड़ी-बड़ी हवेलियां हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और अस्पताल में कम समय रहते हैं और 100 रु0 फीस लेते हैं। टी0बी0 के मरीजों को जिला चिकित्सालय में इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है, बेड एवं दवा का अभाव है। सभी केन्द्रों पर इसको पूरा किया जाय, मा0 श्रम मंत्री जी नाबानगर में आई0टी0आई0 विद्यालय मा0 मुलायम सिंह ने स्वीकृत किया था जिसमें भवन तैयार हो गया है उसमें कोई उपकरण न होने के कारण एवं अध्यापकों की व्यवस्था न होने के कारण चालू नहीं हुआ है उसमें अतिरिक्त धन देकर नाबानगर कालेज को चालू किया जाय। मैं बजट के समर्थन में बल देता हूं।

मान्यवर, वह जो डाक्टर हैं, सिर्फ मुश्किल से एक घण्टे हास्पिटल में बैठते हैं बाकी वह सारा समय अपना प्राईवेट प्रैक्टिस करने में व्यतीत करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी, गांवों में इलाज सस्ता किया जाएगा तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जो सरकारी डाक्टर हैं और प्राईवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनसे बड़े-बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, वह तो अपना इलाज करवा लेंगे लेकिन जो गांवों का गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, रिक्शे वाले हैं वह कैसे डाक्टर को सिर्फ पर्चा बनाने के लिए सौ रुपये दे पायेंगे। यही नहीं पर्चा बनाने के बाद वह बाहर से दवा खरीदने को कहते हैं। जिन दुकानों से ये दवाइयां खरीदी जाती है, उन दुकानदारों से डाक्टरों का कमीशन बंधा हुआ है, जहां मरीज पर्चा लेकर जाता है और दवाएं खरीदता है। उन दुकानों से डाक्टरों का कमीशन बंधा हुआ है। रात के अंधेरे में डाक्टरों को दिया जाता है।

मान्यवर, यह काम किया जा रहा है डाक्टरों द्वारा इस तरह से जो गरीब आदमी है, किसान है, उसका इलाज नहीं हो पाता है। मान्यवर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कुत्ता काटने पर सुई लगाई जाती है वह आज जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, मेरे जिले बलिया में आज टी0बी0 का जो मरीज है उसकी चिकित्सा के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, पहले तो इन मरीजों को इंजेक्शन लगाए जाते थे, लेकिन आज डाक्टरों द्वारा इंजेक्शन लगाना बन्द कर दिया गया है सिर्फ टेबलेट दी जाती है, इस प्रकार आज इन अस्पतालों में कहीं भी टी0बी0 के मरीजों के लिए इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े शहर हैं उन पर तो आपका ध्यान है लेकिन जो छोटी-छोटी नगर पालिकाएं हैं, नोटीफाइड एरियाज हैं वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है, वहां नाली नहीं है वहां की सड़कें बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं, उन पर ध्यान दिया जाय। अगर उनकी ओर भी ध्यान दिया जाय तो उनका भी विकास हो। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार द्वारा मेरे यहां पर एक आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना की गयी थी जो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हटते ही दुर्दशाग्रस्त हो गयी है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस आई0टी0आई0 कालेज में आज कोई भी विशेष सुविधाएं नहीं हैं जिससे वहां के छात्र लाभ उठा सकें इसलिए उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बस मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती गुलाब देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि जो इन्होंने अपना बजट पेश किया है उसमें इस प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने की बात कही है और यह कहा है कि मैं इस प्रकार का बजट पेश कर रहा हूं जिससे हर एक जाति, धर्म और समुदाय को पूर्ण रूप से सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। यह किसानों का हितैषी बजट है जैसा कि इन्होंने कहा कि जिसके लिए 990 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिससे किसानों के बकाये धन का भुगतान किया गया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही शेष बकाये धन की पूर्ति करने के लिए 500 करोड़ रुपये की और व्यवस्था की गयी जिससे किसानों का बकाया धन चुकाया जायेगा। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि मेरे जनपद मुरादाबाद में चन्दौसी जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है उसमें दो सरकारी मिलें थीं एक अयोध्या सहकारी चीनी मिल और दूसरी वीनस सहकारी चीनी मिल, जिसमें से अयोध्या सहकारी चीनी मिल तो बन्द हो चुकी जिस पर आज भी किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है और दूसरी जो वीनस सहकारी चीनी मिल है उस पर भी किसानों का आज सोलह करोड़ रुपया बकाया है, उस ओर भी ध्यान दिया जाय। माननीय

मुख्य मंत्री जी किसानों का इतना बड़ा हित कर रहे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र के किसानों को परेशानी है। पहले जो शुगर मिलें थीं उसने बकाया नहीं दिया और दिवालिया हो गयीं और आज बंद हैं। अयोध्या शुगर मिल का गन्ना जे0के0 शुगर मिल तथा अफसौली मिल के क्रय केन्द्रों पर नहीं जा पाता है। वीनस द्वारा सांठगांठ करके तौल कांटे हटाये जा रहे हैं। किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार उपरोक्त मिलों पर कहीं पर भी गन्ना ले जाकर तुलवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आचार्य जे0के0 मिल तथा असमौली मिल के गन्ना तौल क्रय कांटे लगवाये जाने चाहिए। बिजली के संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि मुख्य मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र हमारे चंदौसी से लगा हुआ है। चंदौसी फीडर से मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में बिजली जा रही है। सम्भल, बिसौली और इस्लामनगर में बिजली जा रही है। लेकिन चंदौसी में 2-3 घण्टे की कटौती की जाती है इससे चंदौसी के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। चूंकि मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में चंदौसी से बिजली जा रही है इसलिये चंदौसी में जो बिजली की कटौती की जा रही है उसको समाप्त किया जाय।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, अगर एक मंत्री से संबंधित मेरा मामला होता तो मैं न कहता। लेकिन मेरे क्षेत्र छिबरामऊ में जो अस्पताल बना है वह 10-15 लाख की लागत से बना है। नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग के बीच में मामला पड़ा है उस अस्पताल को चलाने की व्यवस्था की जायं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

आप मुझे एक चिट्ठी दे दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत नगर निगमों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू की जाय जिससे एकाउन्ट में घपले न हो सकें। मान्यवर, नगर आयुक्तों के जो अधिकार हैं वह नगर प्रमुखों के दबाव में कहीं-कहीं पर कम हो जाते हैं और नगर प्रमुखों के दबाव में नगर आयुक्त अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिससे विकास प्रभावित हो रहा है। एक बार नगर आयुक्तों को बुलाकर नगर विकास मंत्री जी इस संबंध में वार्ता कर लें। मान्यवर, 11वें वित्त आयोग का जो पैसा है और जो रिवाल्विंग फण्ड का पैसा है वह निर्धारित निर्देशों के अनुसार खर्च नहीं होता है। मान्यवर, स्टाम्प ड्यूटी का जो पैसा है प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिये 2 प्रतिशत अंश है। अगर इसमें स्वाभाविक प्रक्रिया अपनायी जाय तो सबको फायदा होगा। पैसा मिलता रहे। एक तो नगर निगम पर शासन के कर्जे के सारे भुगतान हो जायेंगे और जो राशि बचेगी वह विकास के लिये मिल जायेगी। मान्यवर, जो नगरों का मास्टर प्लान है वह साढ़े 3 साल लेट चल रहा है। मास्टर प्लान को समय पर बनाया जाय ताकि विकास हो सके। मान्यवर, अवैध निर्माण के नाम पर भवनों को गिराया जा रहा है मेरा केवल इतना निवेदन है, कि यह अवैध निर्माण किसके कार्यकाल में हुये इसकी जानकारी करके कार्यवाही की जानी चाहिए। प्राधिकरण के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष, सचिव, अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता को चिन्हित करके उनकी सूची लगायी जानी चाहिए।

[5 बजकर 10 मिनट]

अवैध निर्माण भी गिरा दें और उन्हें भी गिरा दें जिनके समय निर्माण कार्य हुआ है। उनको भी गिरा दें। यह आग्रह है। स्टैम्प वाले विभाग में विवाद नहीं है। नकली स्टैम्प के मामले में पूरे प्रदेश में समाचार पत्रों में आ रहा है सरकार इसका संज्ञान ले और फर्जी स्टैम्प के मामले में दृढ़ता से कार्यवाई करें। स्वास्थ्य की बात है अस्पतालों में ए0आर0बी0 वैक्सीन की कमी है। इस कमी को दूर किया जाए। धनवन्तरि चिकित्सा विश्वविद्यालय को जब पिछली सरकार में के0जी0एम0सी0 के सम्बन्ध में सदन में विधेयक पेश किया गया था, उसको अगर छत्रपति शाहू जी चिकित्सा विश्वविद्यालय नाम करने का मैं इस विधेयक को पेश नहीं होने देता। शासन ने कहा था साहू छत्रपति चिकित्सा वि0 वि0 मात्र आवासीय होगा। धनवन्तरि चिकित्सा वि0वि0 सम्बन्धीकरण को होगा, उसको भी चलाया जाये। इसका कार्यालय कृत्रिम लिम्ब सेंटर में खोला गया यह पहले दिन से ही विकलांग है। मेरा स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि धनवन्तरि विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक विद्यालयों को सम्बद्ध करके उसके विधिवत यूनीवर्सिटी के रूप में काम करने की व्यवस्था कराएं। वन विभाग की तरफ से मेरठ में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव गया था, वह प्रस्ताव वापस आ गया है उसमें संशोधन करके पुनः भारत सरकार को भेजा जाए और भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाए। भूमि प्रत्यावर्तन वन विभाग को करना है शासन की इलाहाबाद में लड़कियों के लिये व मेरठ में लड़कों के लिए स्पोर्ट्स कालेज खोलने की योजना थी। उसके लिए भूमि का प्रत्यावर्तन वन विभाग से होना है, व भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त करनी होगी यह कार्य सरकार को करना चाहिए, ताकि मेरठ में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना हो सके।

श्री मुंशीलाल गौतम-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान शिकारपुर जो कि मंत्री जी के क्षेत्र डिबाई के काफी करीब है की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर पांच वर्षों से पानी की टंकी बनी है लेकिन आज तक चालू नहीं हुई है। मेरे ही जनपद में पहासू में काफी मरीज आते हैं लेकिन वहां कोई महिला डाक्टर नहीं है वहां पर महिला डाक्टर की व्यवस्था कराई जाये। इसके अलावा सरावां, बड़ौता में जच्चा बच्चा केन्द्र खोले जाएं। पिछली सरकार में धोबी घाटों का प्राविधान किया गया था हमारे यहां शिकारपुर में एक पोखरे को चिन्हित करके धोबी घाट का निर्माण कराया जाए। हमारे यहां रामलीला मैदान में गन्दगी का अम्बार लगा हुआ है वहां की गन्दगी को साफ करके मैदान के चारों ओर बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाए, यह हमारी आस्था का प्रश्न है। हमारे यहां शिकारपुर में खादी एवं ग्राम्य उद्योग विभाग द्वारा मार्जिन मनी का एक भी पैसा नहीं गया है। जिससे बैंक कर्मचारी लाभार्थियों से पैसा वापस मांग रहे हैं। मार्जिन मनी का पैसा न पहुंचने के कारण लोन स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं। मार्जिन मनी का पैसा जनपद बुलन्दशहर में भेजा जाना चाहिए। हमारे यहां शिकारपुर में मैथना, हिन्नौर, जखैता, खेलिया में काफी बड़े भाग में बबूल का जंगल फैला हुआ है यहां पर लोगों को

मारकर डाल दिया जाता है लाश भी नहीं मिलती। यहां पर जानवर चले जाते हैं उनको ढूंढ़ना मुश्किल हो जाता है। यहां पर बबूल के वृक्ष के स्थान पर फलदार और छायादार वृक्ष लगाए जाएं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय धर्मपाल जी ने जो पूर्व में श्रम मंत्री रहे हैं, यह कहा कि यह सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में श्रमिकों का शोषण कर रही हैं उनके कहने का आशय यह है कि सरकार श्रमिकों के हितों की अनदेखी कर रही है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि आपने इन्सपेक्टर राज के बारे में कहा है। आप तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि केन्द्र सरकार के 25 अधिनियम और राज्य सरकार के 8 अधिनियम कुल मिलाकर 33 अधिनियम हैं और उनको परिवर्तन अधिकारी लागू करता है। आपके पूर्व में भी यह आदेश जारी था कि बिना डी0 एम0 की अनुमति के किसी के परिसर में छापा नहीं डाला जायेगा। इसी आधार पर इस सरकार ने इन्सपेक्टर राज के बारे में एक आदेश जारी किया है। हम लोगों ने इन्सपेक्टर राज के बारे में फैसला लेने की सोची है। जो कारखाने हैं उसके बारे में आदेश करने का विचार किया है। एक कमेटी निरीक्षण की अनुमति संयुक्त रूप से कई अधिकारियों को भेज कर कराई जायेगी। इसलिये मेरा कहना है कि चिन्तित होने की बात नहीं है। (इस समय 5 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) श्रमिकों के हितों की रक्षा यह सरकार करेगी और अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करने का प्रयास नहीं करने देगी ऐसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति है। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि वन विभाग के बारे में कहा गया है माननीय बाजपेयी जी ने जो कहा है, इसके बारे में देखा जायेगा और विचार किया जायेगा यदि सम्भव होगा तो केन्द्र सरकार को भिजवायेंगे। माननीय सदस्य ने आई0 टी0 आई0 के बारे में कहा है, मेरा कहना है कि यदि धन उपलब्ध होगा तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए माननीय नगर विकास मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां मथुरा में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मथुरा में पेयजल हेतु गोकुल बैराज योजना 150 करोड़ रुपये लागत की लम्बित है इसका शिलान्यास भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह जी व श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा किया गया था। अभी पिछली सरकार ने ताबड़तोड़ इसका उद्घाटन किया जिसे नगर विकास मंत्री लालजी टण्डन ने किया क्योंकि इसका नाम शाहूजी बैराज रखा जा रहा था। इस कारण इसका उद्घाटन किया गया यह योजना अधूरी पड़ी है। इसकी पाइप लाइन 400 कि0मी0 बिछनी थी लेकिन 100 कि0मी0 बिछायी गयी है। स्थिति यह है कि इसके लिये 23 करोड़ रुपये की और आवश्यकता हैं मैं कहना चाहता हूं कि आप 23 करोड़ रुपया हमको दे दें तो मथुरा व वृन्दावन शहर का पेयजल संकट खत्म हो जायेगा इसी तरह से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मथुरा ब्लाक केशव गांव में जो पी0 एस0 सी0 है उसकी हालत अस्तबल से भी बदतर है। वहां पर कुत्ते और सूअर लोटते हैं। मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि वहां की बाउण्ड्री वाल भी टूटी हुई है। उसको भी बनवाने का कष्ट करें।

वहां की बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण है उसके मरम्मत के लिये भी धन आवंटित किया जाय। हमारे यहां खादर के 40 गांव के बीच में एक पी0 एस0 सी0 की जरूरत है अतः ग्राम देवीआटस में बनवाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी आपने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं क्या आप वापस ले रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह-

मैं वापस नहीं ले रहा हूं। उस पर बल देता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,48,34,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,71,08,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,78,78,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,78,49,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 76,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,18,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,83,97,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,04,48,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,13,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,16,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,50,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,03,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,57,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,83,65,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,07,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,45,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,75,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं

द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,66,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,73,65,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,59,47,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,23,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,82,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,05,94,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,47,80,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,76,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,98,14,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33 (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,73,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,18,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36 (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,98,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,04,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,43,82,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,55,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,09,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,83,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये प्रथम लेखानुदान एवं द्वितीय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरक्त 31,61,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ।

(श्री सुखदेव राजभर के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

जब खण्डशः विचार होगा तब बोलियेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, उद्देश्य तथा कारण तो मंत्री जी बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें संशोधन के लिय जिन सदस्य ने, श्री लालजी वर्मा ने, अपना नाम दिया है वह सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिये किसी दूसरी चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आप नत्थी (ल) देख लें हमने इसके खण्ड-2 में संशोधन पर विरोध जताया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, लखनऊ स्थित किंग जार्ज मेडिकल कालेज का एक अलग नाम रहा है और यहां के छात्रों का डाक्टरों का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान है। मान्यवर, आप भी चिकित्सक हैं, आप जानते हैं कि इस मेडिकल कालेज की क्या स्थिति बाहर है। मान्यवर, पिछले दिनों इस प्रदेश के जो गौरवशाली स्थान थे उनको जितना धुंधला किया जा सकता था। वह करने का प्रयास किया गया और बड़े-बड़े चमत्कारिक प्रयास इस प्रदेश में हुए । मान्यवर, उन स्थानों का नाम ऐसे लोगों के नाम पर रखा गया जिसे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत नहीं जानते हैं। मान्यवर, एक राजनीतिक एजेण्डे पर काम करते हुए भ्रम की स्थिति फैलाने के लिये यह किया गया, अन्य कोई दूसरा इसमें उद्देश्य नहीं है। मान्यवर, एक ऐसी ही भूल को सुधारने हेतु के0 जी0 एम0 सी0 का नाम, जो बदल कर उत्तर प्रदेश छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय कर दिया गया था, उसको पुनः पुराना नाम बहाल करते हुए, इस गौरवशाली युनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, अध्यापक हैं, उन सबके सम्मान को वापस करने के लिये लखनऊ के इस पहचान को बरकरार रखने के लिये और उनका पुराना सम्मान देने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) ठीक है कि जो संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य हैं वह उपस्थित नहीं हैं, और इस प्रकार से उन्होंने हमसे सहमति ही जतायी है। इसलिये जो उनके बाकी साथी हैं उनको भी अपने मित्र की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जो संशोधन प्रस्ताव है वह बहुत सीधा-सीधा है। उसे स्वीकार करने का कष्ट किया जाय।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

जब खण्डशः विचार होगा तब आप बोल लीजिएगा।

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, दो शब्द मैं बोल लूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय बहुत छोटा सा विधेयक है। लगता है माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने इस विधेयक को पढ़ा नहीं। मान्यवर, लखनऊ में स्थापित किंग जार्ज मेडिकल कालेज सारी दुनिया में जाना जाता था। कनाडा, अमेरिका, फ्रांस सारी दुनिया में हिन्दुस्तान से लोग डाक्टरी पढ़कर जाते थे। किंग जार्ज मेडिकल कालेज की ख्याति सारी दुनियां में थी और यहां के जार्जियन सारी दुनिया के

मेडिकल कालेज में जाने जाते थे और यह लखनऊ का सौभाग्य था कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज जैसा कालेज सारी दुनिया में जाना जाता था। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया यह स्वागत योग्य है लेकिन उसका नाम एक ऐसे व्यक्ति से जिसका प्रदेश से कोई रिश्ता नहीं, जनजीवन से कोई रिश्ता नहीं, ऐसे व्यक्ति के नाम से उसका नाम स्थापित किया गया। मान्यवर, इसमें कोई राजनीतिक भावना से नहीं, तमाम चिकित्सा छात्रों, मनीषियों तमाम मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो सारी दुनिया में बसे हैं उनकी विचारधारा है। इन सबके विचार से केवल नाम में थोड़ा संशोधन किया गया है। अब इसका नाम किंग जार्ज मेडिकल कालेज होगा क्योंकि यह सारी दुनिया में विख्यात नाम है। इनमें से हमारे यहां डिग्री प्राप्त जो भी छात्र निकलेंगे, स्नातक और परास्नातक डिग्री प्राप्त करके सारी दुनिया में इसका नाम बिखेरेंगे। अभी तक नौकरी के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा था और लोग अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे, इसकी शिकायत थी। इसलिए इस कल्याणकारी सरकार ने लखनऊ की जनता के हित में, प्रदेश की जनता के हित में केवल नाम का परिवर्तन करने के लिए यह संशोधन लाने का काम किया है इसके साथ ही इससे विभिन्न मेडिकल कालेजों का सम्बद्ध करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह छोटा सा है इसमें न तो किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है और न प्रवर समिति को भेजने की। अगर माननीय सदस्य इसकी भावना से सहमत हो जायेंगे तो स्वयं सहमत हो जायेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री अम्बिका जी ने कहा कि इसका नाम पुराना है।

श्री उपाध्यक्ष-

जब खण्डशः विचार होगा तो आपकी अनुमति देंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

इस विधेयक पर हम लोगों को पूरा बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष-

मूल संशोधनकर्ता नहीं है। शासन ने जो प्रस्ताव रखा है। बाजपेयी जी ने समर्थन किया है। जब खण्डशः विचार रखेंगे, तब आपकी बात सुनेंगे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2

2-उत्तर प्रदेश छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उत्तर प्रदेश छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय" जहां कहीं भी आये हैं, जिसके अन्तर्गत शीर्षक और दीर्घ शीर्षक भी हैं, के स्थान पर शब्द "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2002 में सामान्य संशोधन

खण्डशः विचार में खण्ड-2 में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर और श्री लालजी वर्मा का नाम है इसमें जो माननीय सदस्य बोलना चाहें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आदरणीय अम्बिका चौधरी जी, और आदरणीय बाजपेयी जी अपनी बात कहकर बैठ गये हैं ये, या तो इनको जानकारी नहीं है। यही समाजवादी नेता स्व0 डा0 राम मनोहर लोहिया और राजनरायन जी पूरे देश और प्रदेश में आन्दोलन चलाये, अंग्रेज और अंग्रेजियत के खिलाफ, इन लोगों ने राज्य सभा से लेकर यहां तक आन्दोलन चलाया। इन लोगों ने इस बात का आन्दोलन चलाया कि एक भी निशान अंग्रेजों का यहां नहीं रहना चाहिए। इन्होंनें अंग्रेजों की मूर्तियों का विरोध किया तमाम ऐसे समाजवादी आन्दोलन हुये, जिसमें अंग्रेजों की जो सांकेतिक मूर्तियां थीं, उनको हटाया गया, इसी के चलते अंग्रेजों का नाम हटाकर अस्पताल का नाम डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल रखा गया, उस समय केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार थी। मान्यवर, किसी भी संस्था की पहचान, किसी भी छात्र की पहचान वहां की विद्वता से होती है, न कि संस्था के नाम से पहचान होती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर वास्तव में डा0 राम मनोहर लोहिया जिन्दा होते तो वह यह सुनकर/देखकर जहर खाकर मर जाते या आप लोगों का गला दबा कर मार डालते होते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं समाजवादी लोगों ने देश और प्रदेश में आन्दोलन किया, इस बात का आन्दोलन किया कि कहीं भी अंग्रेजों का नामोनिशान न रहने पाये, इनकी भाषा न रहने पाये। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसी विधान सभा में पहले विक्टोरिया का सिम्बल था, उसे हटाकर अशोक का लाट लगाया गया क्योंकि अंग्रेजों का संकेत नहीं रहना चाहिए। यह छत्रपति साहू जी महाराज पिछड़ी जाति के अन्तर्गत कुर्मी समाज में पैदा हुये थे, आप उनको मानिये या न मानिये।

इलाहाबाद के अन्दर 1902 में उन्होंने अपना भाषण दिया था और पहली बार पिछड़ी जाति का आरक्षण अपने राज में घोषित किया था, इतना ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन के द्योतक एक महापुरुष के नाम पर हम लोगों ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय नाम रखा, आज आप उनके साथ, उनके द्वारा किये गये कामों की अनदेखी कर रहे हैं। यही छत्रपति शाहू जी महाराज थे, जिन्होंने छुआछूत हटाने का सबसे बड़ा आन्दोलन किया। इन्होंने अपने समय में स्वयं एक होटल खुलवाया, जबकि उस समय एक साथ पिछड़ी जातियों को दूसरे लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। वह स्वयं इस होटल में हफ्ते में एक दिन जाते थे और सबको साथ लेकर भोजन करते थे। उन्होंने जीवन भर समतामूलक समाज के लिये संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश में 22, 23 व 24 अप्रैल, 1910 को वह कानपुर में आये, जहां कुर्मी छात्र महासभा का सम्मेलन हुआ, वहां पर उन्होंने ऐलान किया और उत्तर प्रदेश के पढ़ने वाले छात्रों से कहा कि खजाना खाली है, गरीबों के लिये कि वह आये हम उसे निःशुल्क शिक्षा दिलायेंगे। ऐसा सामाजिक परिवर्तन करने वाले गरीबों की पढ़ाई का ख्याल करने वाले शाहू जी महाराज पहले व्यक्ति थे। बाद में कानपुर में उन्हें राजश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मैं तो कहता हूं कि आप उनके बारे में पता लगा लें। मैं आपको किताब का पन्ना दे दूंगा। यही शाहू जी महाराज थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान के बाहर मेडिकल की शिक्षा लेने के लिये पिछड़ी जाति के छात्र को पहली बार पैसा देकर पढ़ने भेजा, इससे पहले कोई भी इस जाति का लड़का पढ़ने नहीं गया था। जिस शाहू जी महाराज ने गरीबों के लिये, अपने समय में इतना कुछ किया, आप उनको

जानते तक नहीं हैं, यह बड़े दुख की बात है, आज आप उनके नाम से यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर दूसरा रख रहे हैं, यह कष्ट की बात है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि संस्था का नाम उसकी विद्वता से होती है न कि उसके नाम से। राजभर का नाम उसकी पढ़ाई लिखाई से है, केवल नाम से पहचान नहीं बनेगी।

मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको इतने हल्के में न लें, किंग जार्ज को महत्व न दीजिए और लोहिया के सपनों पर पानी न फेरिये। अंग्रेज जो गुलामी का संकेत हैं आप उनका नाम ले रहे हैं। कहां गया अंग्रेजी मूर्तियों को हटाने का आन्दोलन, कहां गया अंग्रेजियत और अंग्रेजों को हटाने का आन्दोलन ? आप पूछ रहे हैं कि यह छत्रपति शाहू जी महाराज कौन थे, यह कुर्मी समाज में पैदा हुए राजा थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया, अपने समय में आरक्षण देने की व्यवस्था की, छुआछूत को हटाने का आन्दोलन किया, विदेश में एक पिछड़ी जाति का बेटा जिसने पहली बार मेडिकल की शिक्षा ली, वह छत्रपति शाहू जी महाराज थे। इसलिए मेडिकल कालेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय रख दिया गया और फिर भी इसका विरोध हुआ। आप अपने राजा महाराजाओं की इज्जत नहीं करेंगे सिर्फ अंग्रेजों की इज्जत करेंगे। अंग्रेजों का नाम ले करके फिर से गुलामियत का संदेश दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि इसको आप रोक लें और इस पर विचार कर लें आपकी सरकार है आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से एक सामाजिक आन्दोलन पैदा हो जायेगा एक महापुरुष का अपमान हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि चौधरी साहब, निर्णय जो भी हो लेकिन इसको इतने हल्के में न लें, ऐसा करना निश्चित तौर पर सामाजवादी आन्दोलन का विरोध होगा। छत्रपति शाहू जी जिन्होंने पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया उन्होंने कानपुर में ऐलान किया था कि पिछड़ी जाति के बेटों को निःशुल्क शिक्षा दिलाऊंगा, उस महापुरुष के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था और इस नाम को हटा करके जो अंग्रेजियत का नाम फिर से रख दिया गया है। इसको प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। विधान सभा में विक्टोरिया का निशान लगा था उसको हटा करके अशोक की लाट लगायी गयी। आज पिछड़ी जाति के लोग आपको माफ नहीं करेंगे और निश्चित तौर पर एक आन्दोलन शुरू हो जायेगा। इसलिए मान्यवर, यह विधेयक रोक दिया जाय, इसे पास न होने दें नहीं तो समाजवाद का नाम ही समाप्त हो जायेगा। मैं इसका विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, हमारे साथी जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं उसको सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। डा0 लोहिया समता मूलक समाज के पोषक थे, इस नाम से शिक्षा जगत का उत्थान हुआ है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किंग जार्ज नाम सरस्वती का ऐसा नाम है जिसका चिकित्सा के जगत में पूरे विश्व में नाम है। वहां का नाम बदल जाने से वहां के छात्रों में रोष था, माननीय मुख्य मंत्री ने उनकी भावनाओं को देख करके ऐसा किया है। यहां के जो छात्र हैं उन्होंने देश का नाम रौशन किया है।

[6 बजकर 5 मिनट]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए किंग जार्ज विश्वविद्यालय नाम रखना न्यायोचित है, समाज हित में है। जो व्यक्ति "बसे कहां, घुसे कहां" मान्यवर, छत्रपति शाहू जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर कौन सा काम था ? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो यह प्रस्ताव आया है वह ठीक है। मैं इसका समर्थन करता हूं और माननीय राजभर जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और समाज हित में, जनभावनाओं का समादर करते हुये चिकित्सा विश्वविद्यालय का जो गलत नाम रखा गया है उसे संशोधित करने में सहयोग दें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पुनः किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी किया जा रहा है इस संदर्भ में माननीय मंत्री अम्बिका जी और बाजपेयी जी ने दो बातें कही हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का गौरव है और छत्रपति शाहू जी महाराज से लखनऊ का कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि किंग जार्ज मेडिकल का उत्तर प्रदेश या देश से क्या सम्बन्ध था ? वह एक सम्राट था, विदेशी था जबकि छत्रपति शाहू जी महाराज तो अपने देश के थे। जब लोक सभा के अन्दर बहुमत' की बात आयी थी तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसकी अध्यक्षा विदेशी थी। किंज जार्ज भी विदेशी था। अगर आपको नाम बदलना ही है तो क्या और कोई महापुरुष नहीं था। धनवन्तरि जैसे महापुरुष चिकित्सा क्षेत्र में हुये हैं, उनके नाम पर इसका नामकरण कर सकते थे। विदेशी शासक के नाम चिकित्सा विश्वविद्यालय का नामकरण उचित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अभी मैं पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जो विधेयक रखा गया है, मामूली सा संशोधन विधेयक है। उस पर इतना बड़ा भाषण दिया और आरोप लगा दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज इस देश के थे इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहू जी पिछड़ों, दलितों के नेता थे, समाज सुधारक थे। लेकिन किंग जार्ज साहब ने इस मेडिकल कालेज की स्थापना की थी। ए0यू0 ह्यूम साहब ने कांग्रेस की स्थापना की थी तो क्या कांग्रेस का नाम मिटा पायेंगे ? जो दुनिया में चिकित्सा जगत में मशहूर रहा है उसका नाम मिटाकर यह बहाना बनाना कि वह विदेशी है। इन देशी वालों ने इसका नाम बदल दिया। उस समय भी मैंने उस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया था और इसी सदन में विचार व्यक्त किया था। कांग्रेस पार्टी वर्ष 1980 में सरकार में थी तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना का बिल इसी सदन में लोकपति त्रिपाठी जी ले आये थे। कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम पर अलग से एक चिकित्सा संस्थान खुलवाया था। बहुजन समाज पार्टी का छत्रपति शाहू जी से लगाव है तो किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को रहने दिया जाय और अलग से कोई चिकित्सा विश्वविद्यालय खुलवाया जाये, यह बात मैंने इसी सदन में कही थी, लेकिन इसको नहीं किया। पिछड़ों का नाम ले रहे हैं। यह सरकार किसान और पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है। बहुजन समाज पार्टी कभी पिछड़ों, दलितों की हितैषी नहीं रही। उसने पिछड़ों और दलितों को बांटने का काम किया है। मेरा राजभर जी से कहना है कि किसी इतिहास को मिटाया नहीं जा

सकता। किंग जार्ज साहब ने इसकी स्थापना की थी। दुनिया में 4-5 मेडिकल कालेज है जिसमें किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम आता है। यहां से पढ़ने वाले छात्र दुनिया में नाम रोशन किये हैं। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दुनिया के जाने-माने चिकित्सक के नाम पर इस चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर लखनऊ के गौरव को रख लिया है। इसी के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे घर पर बैठे हुए हैं। डा0 गौर साहब के मस्तिष्क में और उनके दल के मस्तिष्क में एक बात दिखायी पड़ रही है कि आने वाले दिनों में श्रीमती सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस सम्मानित सदन के सदस्य मा0 मुख्य मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था मुझसे भूल हो गई थी जो सोनिया गांधी को विदेशी कहा था। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से हटा दीजिये। वह महान नेता हैं, रही हैं और रहेंगी। उनको सारे देश ने अपना मान लिया है। आपके कहने से कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात यह कि डा0 राम मनोहर लोहिया सचमुच विदेशी प्रतीक के विरोधी थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको इतनी ममता थी, इतना प्रेम था, प्यार था तो अच्छा हुआ होता कि आप उनके नाम से विश्वविद्यालय बनाकर उनका सम्मान करते, उनके साथ आपने न्याय नहीं किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस संदर्भ में चर्चा हो गयी और प्रकारान्तर से इस प्रस्ताव का विरोध श्री सुखदेव राजभर ने जोर लगाकर किया जबकि कोई मतलब नहीं था कि इस विधेयक का विरोध करने का। वह विरोध इसलिए कर रहे थे, क्योंकि अपनी जाति का एजेण्डा जोर से रखना चाहते थे। जबकि स्थिति बहुत गम्भीर है। क्योंकि कुर्मी समाज क्या है इसका मतलब नहीं है इन्होंने शाहू जी महाराज को कुर्मी बना दिया। मा0 सुखदेव राजभर जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महापुरुषों को एक जाति के फर्मे में रखकर चिन्हित करना और बताना और अपना ट्रेड मार्क बनाना यह बहुत निम्न मानसिकता का द्योतक है। डा0 भीमराव अम्बेडकर इसलिए महान नहीं थे, शाहू जी किस जाति में पैदा हुए इसलिए महान नहीं थे। जाति में पैदा होने से कोई महान नहीं हो सकता है। आप कुर्मी समाज के ठेकेदार नहीं है, श्रीमन डा0 राम मनोहर लोहिया जी पिछड़ी जाति के नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत में पिछड़ी जाति के अधिकार के लिए सबसे मजबूती से रखने का काम किया है, वहीं थे राम मनोहर लोहिया। लेकिन सुखदेव राजभर ने एक अनुचित बात कहा है कि नेता जी ने कह दिया कि शाहू-माहू जो अप-संस्कृत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सुसंस्कृत है। बहुजन समाज पार्टी सुसंस्कृत न तो थी न ही उसकी नेता सुसंस्कृत है। मान्यवर, गाली देने की परिपाटी बहुजन समाज पार्टी में दुर्भाग्यवश नीचे से ऊपर तक व्याप्त है। वहां गाली देने वाले की पीठ ठोंकी जाती है, छत्रपति शाहू जी महाराज का आप कितना सम्मान करते हैं मैं यह चर्चा नहीं करना चाहता। मान्यवर, महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल किसी जाति के आधार पर करना महापुरुषों की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है, जो काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। आपको इस तरह से किसी महापुरुष के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज आप कुर्मी समाज की बात करते हैं, उनके उद्धार की बात करते हैं

तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले दिनों देखा है यही माल एवेन्यू में कि किस तरह से एक कुर्मी सदस्य आपके यहां पर रोता रहा, घिघियाता रहा लेकिन आपने इस कुर्मी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। मैं नहीं जानता कि उसने ऐसे क्या कर्म किए थे कि आपने उसे निकाल दिया। मान्यवर, तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी महापुरुष को किसी जाति के फर्मे में बांधना उचित नहीं है, यह एक जघन्य अपराध है और यह आप भी जानते हैं कि महापुरुषों को कितने जाति के फर्मे में बांधने का काम किया है। मान्यवर, छत्रपति साहू जी महाराज का नाम बहुजन समाज पार्टी ने जातियों के फर्मे में घसीटने का काम किया है। जो जघन्य अपराध है।

खण्ड-2, खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 निकाल दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष-

खण्ड-2, खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा 11 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 11 में, खण्ड (सत्रह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(अट्ठारह) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार देना जैसे विहित किये जायं और किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कटौती करना और ऐसे महाविद्यालय के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना।"

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम,2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य सदन के बेल में आ गये और नारे लगाने लगे।)

(शोर)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2003 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड 8 तक खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 से 6 11 जुलाई, 2003 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 7 दिनांक 21 जनवरी, 2000 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, शेष उपलब्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित तथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (18) और (19) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(18) 'स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम' से ऐसा पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जिसके सम्बन्ध में सभी वित्तीय दायित्वों का वहन सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र या विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा,

(19) अध्याय ग्यारह-क के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में 'अध्यापक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण के लिए या अनुसंधान कार्य में मार्ग दर्शन या संचालन के लिए विश्वविद्यालय या उसके किसी संस्थान या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित हो और इसके अन्तर्गत प्राचार्य या निदेशक भी है।"

धारा 20 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 20 में,-

(क) उपधारा (1) में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(गग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य;"

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (एक) में, शब्द और अक्षर "खण्ड (ग), (घ) और (ङ)" के स्थान पर "खण्ड (ग), (गग), (घ) और (ङ)" रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित दो सदस्य विहित रीति से चक्रानुक्रम से नाम निर्दिष्ट करेगा।"

से चक्रानुक्रम स नाम निर्दिष्ट करेगा।"

धारा 37 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 37 में,-

(क) उपधारा (2) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि यदि कुलाधिपति की राय में कोई महाविद्यालय सारभूत रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करेगा तो कुलाधिपति उस महाविद्यालय को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह उचित समझें, अध्ययन के पाठ्यक्रम की एक अवधि के लिए सम्बद्धता प्रदान करने की मंजूरी दे सकते हैं या विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकार को बढ़ा सकते हैं :-

परन्तु यह भी कि जब तक कि किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी विहित शर्तों को पूरा नहीं कर दिया जायेगा, तब तक ऐसा महाविद्यालय अध्ययन के उस पाठ्यक्रम में, जिसके लिए पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, ऐसी सम्बद्धता के प्रारम्भ के दिनांक के एक वर्ष के पश्चात् प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा।"

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :-

"(10) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ के पूर्व कोई महाविद्यालय, जिसे पहले ही किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषय में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी हो, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम को, जिसके लिए प्रवेश पहले ही हो गये हो, जारी रखने के लिए हकदार होगा परन्तु ऐसा कोई महाविद्यालय उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा।"

धारा 60-ड़ का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 60-ड़ में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय करने के लिये दायी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च,

1975 को या उसके पश्चात् सहायता अनुदान सूची मे ले लिया गया हो :

परन्तु प्रथमतः यह कि महाविद्यालय को सहायता अनुदान मंजूर करने के लिये उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय, महाविद्यालय को सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कर दिया हो :

परन्तु द्वितीयतः यह कि किसी अनुदानित महाविद्यालय में पदों का सृजन उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार की अनुज्ञा से सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् किया गया हो और जो 31 मार्च, 1975 के पश्चात् उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुमोदन से सम्यक् रूप से भरे गये हों :

परन्तु तृतीयतः यह कि राज्य सरकार किसी ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिये दायी नहीं होगी, जहां पदों के सृजन की अनुज्ञा उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस शर्त पर दी गयी हो कि अपने अपने महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र इस प्रकार सृजित पदों के विरुद्ध वेतन के संदाय का दायित्व वहन करेगा :

परन्तु चतुर्थतः यह कि ऐसे महाविद्यालयों के संबंध में, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कतिपय विषयों की सम्बद्धता, कुलाधिपति द्वारा स्ववित्तपोषण योजना के अधीन प्रदान की गयी हो, राज्य सरकार ऐसे पाठ्यक्रम में शिक्षण देने के संबंध में नियुक्त अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिये दायी नहीं होगी।''

नई धारा 66-क का बढ़ाया जाना

7-मूल अधिनियम की धारा 66 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और 21 जनवरी, 2000 को बढ़ायी गई समझी जायेगी, अर्थात् :-

''66-क-राज्य सरकार समय-समय पर किसी विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।''

निरसन और अपवाद

8-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 2003
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2003

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2003

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-8 तक

खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 ।जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2003

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह 30 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 में नई धारा 125-क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 125 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

सहकारी चीनी मिलों के सम्बन्ध में विशेष प्राविधान

"125-क (1) (क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध या उसके अधीन बनाये गये नियम या संबंधित समिति के उपविधियों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुये भी, जहां निबन्धक की राय में ऐसी सहकारी चीनी मिल, जिसमें अधिकांश अंशपूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत है, रुग्ण है या हो चुकी है, और उसके पुनरुद्धार की कोई सम्भावना नहीं है, वहां निबन्धक, राज्य सरकार और वित्त पोषक बैंक, याक्ति पोषक पोषक संस्था, यदि कोई हो, जिसकी वह चीनी मिल ऋणी हो, से परामर्श करने के पश्चात्, संबंधित समिति को लिखित नोटिस द्वारा, जिसमें ऐसे विवरण उल्लिखित होंगे जैसे विहित किये जायं और ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की गयी हो, उसके आस्तियों या उसके आस्तियों और दायित्वों का पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य समिति या कम्पनी या फर्म या निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों जैसी विहित रीति से निर्धारित किये जायं, के अन्तरण की अपेक्षा करेगा और ऐसे अन्तरण पर, ऐसी चीनी मिल के लिये इस अधिनियम के अधीन बनाई गई समिति भंग हो जायेगी।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर समिति, निबंधक द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो वह समिति की सामान्य निकाय ऐसी समिति की कमेटी तथा उसके ऋणदाताओं को उत्तर प्रदेश गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा प्रत्यावेदन यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिये विहित रीति से अवसर प्रदान करने के पश्चात् खण्ड (क) में निर्दिष्ट रीति से समिति के पूर्णतः या अंशतः आस्तियों या आस्तियों और दायित्वों के अंतरण के लिये निदेश जारी करने सहित मामले में ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार नियम बनाने, और निबन्धक को ऐसे निदेश जैसा वह उचित समझे, देने के लिये सक्षम होगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिये **"कम्पनी"** का तात्पर्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित कम्पनी से है।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2003

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2003

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"संविधान (पंचानबेवां संशोधन) विधेयक, 2003" के अनुसमर्थन का संकल्प

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भारत के संविधान के संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो संविधान (पंचानबेवां संशोधन) विधेयक, 2003 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित है, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है।"

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भारत के संविधान के संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो संविधान (पंचानबेवां संशोधन) विधेयक, 2003 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित है, जैसा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर में नगर के मुख्य मार्गों पर सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट चालू न होने के सम्बन्ध में।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	की	मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"	की	जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
श्री सुन्दर लाल	की	जरौली पम्प नहर परियोजना के गलत निर्माण कार्य के स्थान पर नये निर्माण कार्य कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

श्री उदयभान करवरिया	की	जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज की जमीन को दूसरे के नाम आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया	की	जनपद गाजियाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा औषधि खरीद में धांधली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा
डा0 राम बाबू हरित	की	जनपद आगरा नगर के मलिन बस्तियों को अतिक्रमण के नाम पर अवैध रूप से गिराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

श्री श्याम सिंह अहरिया	की	अहरिया जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।
श्रीमती विद्या चौधरी	की	जनपद आजमगढ़ में तीन सड़कों का लेपन एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री समरपाल सिंह	की	लखनऊ स्थित प्रगतिशील सहकारी गृह निर्माण समिति लखनऊ द्वारा अवैध कालोनियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
श्री विश्राम सिंह यादव	की	जनपद हरदोई के गम्भीरी नदी पर नीची बनी पुलिया को ऊंची किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	की	जनपद बाराबंकी के ग्राम तोरईगांव के श्री रामपति तिवारी के जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
श्री श्याम देव राय चौधरी	की	जनपद वाराणसी के ग्राम महावन के श्री अंजनी नन्दर उपाध्याय की जमीन पर अनाधिकृत रूप से सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा0 पूर्णमासी देहाती की अस्थाई अनुरक्षण खण्ड सिविल लखनऊ द्वारा टिकैतराय कालोनी के सरकारी आवासों में कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

श्री घनश्याम शुक्ला की जनपद गोण्डा के ग्राम बैजपुर स्थित तालाब पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं:-

1-श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री बैजनाथ दूबे, श्री नबाब सिंह नागर, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री राम किशुन, श्री काली चरण राजभर तथा श्री महमूद खां।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के संबंध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

राजकीय महाविद्यालयों में .....

[प्रवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा चयन/संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा की जाती है। वर्ष 1997-98 में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त राजकीय महाविद्यालयों में तदर्थ प्रवक्ताओं को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा चयनित तदर्थ प्रवक्ताओं की सूची उपलब्ध कराने के पश्चात् शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-853/सत्तर-5-98-44/96, दिनांक 06 अप्रैल, 1998 द्वारा पर्वतीय सम्वर्ग हेतु कुल 89 तदर्थ प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्ति की गयी थी तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1012/सत्तर-5-98-44/96, दिनांक 06 अप्रैल, 1998 द्वारा मैदानी सम्वर्ग हेतु इस प्रकार कुल 176 तदर्थ प्रवक्ताओं की नियुक्ति/तैनाती की गयी थी। उक्त तदर्थ की नियुक्ति एक वर्ष के लिये या लोक सेवा आयोग से नियमित अभ्यर्थी आने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिये की गयी थी। एक वर्ष समाप्त होने पर कतिपय प्राचार्यों द्वारा तदर्थ प्रवक्ताओं की सेवायें समाप्त कर दी गयीं जिसके विरुद्ध अधिकतर तदर्थ प्रवक्ताओं ने मा0 उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किये। उक्त आदेशों के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1424/सत्तर-5-99-44/96, दिनांक 11 मई, 1999 द्वारा उक्त तदर्थ प्रवक्ताओं की तदर्थ सेवाओं का विस्तार लोक सेवा आयोग से नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक इस शर्त के अधीन किया गया था कि उन्हें इस सेवा से सततता, सियन और विनियमितीकरण इत्यादि का किसी भी दशा में लाभ अनुमन्य नहीं होगा और उनकी सेवायें आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर बिना किसी अन्य आदेश के स्वतः समाप्त कर दी जायेंगी और उक्त प्रवक्ताओं को कार्य विरत करते समय मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार "फर्स्ट कम लास्ट गो" का सिद्धान्त अपनाया जायेगा।]

2-लोक सेवा आयोग से नियमित अभ्यर्थी चयनित होकर आने में हुये विलम्ब के कारण उक्त तदर्थ प्रवक्ता अपने पदों पर कार्यरत रहे। इसी दौरान कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना/प्रकीर्ण दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 प्रख्यापित की गयी जिसके द्वारा उ0 प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 में व्यवस्था की गयी कि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(एक) जो सेवा में 30 जून, 1998 को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो, और उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत रहा हो,

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हतायें रखता हो और

(तीन) जिसने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो या निर्धारित सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में, जो उपलब्ध हो, नियमित नियुक्ति के लिये ऐसी रिक्ति में संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।"

3-उक्त नियमावली के आलोक में दिनांक 25-6-2002 को उक्त तदर्थ प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण हेतु बैठक आहूत की गई जिसमें कतिपय तदर्थ प्रवक्ताओं के अभिलेखों आदि के अभाव में बैठक स्थगित कर दी गयी। तदोपरान्त पत्रावली पर न्याय विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि प्रकरण में कोई विधिक बाध्यता नहीं है फिर भी कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त कर लिया जाये। उक्त के आलोक में कार्मिक विभाग का परामर्श लिया जा रहा है। कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त तदर्थ प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।]

प्रदेश के सभी नगर निगमों एवं स्थानीय निकायों के विकास में अवरोध आने एवं कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ....[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 05-12-2003 में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप स्थानीय निकायों को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया है किन्तु स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा जन-सुविधाओं के विकास में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है, जो अधिनियम तथा लेखा संबंधी व्यवस्था के विपरीत है। गृहकर व्यवस्था से नगर निगमों द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा है। नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त का कैडर नियुक्ति विभाग से हटाकर नगर विकास विभाग के अधीन किया जाय।

मण्डलायुक्त, मेरठ द्वारा नगर निगम, मेरठ की करायी गयी जांच में नगर आयुक्त सहित 06 अधिकारियों के दोषी पाये जाने का प्रकरण शासन स्तर से लम्बित होने का बिन्दु उठाया गया है।

2-उपर्युक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति यह है कि संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप नगर निगमों/स्थानीय निकायों को स्वायत्तशासी संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है जिन्हें अपने उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत नगर निकायों के अधीन जनसुविधाओं/समस्याओं के निराकरण का निर्वहन करना होता है और नगर निकायों के दायित्वों/कर्तव्यों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।

3-जहां तक नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त का कैडर नियुक्ति विभाग से हटाकर नगर विकास विभाग के अधीन किये जाने का बिन्दु हैं, के संबंध में स्थिति यह है कि उक्त कैडर पी0 सी0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एस0/प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधीन आते हैं जिसके संबंध में कार्यवाही नियुक्ति विभाग द्वारा की जाती है।

4-जहां तक मण्डलायुक्त, मेरठ द्वारा नगर निगम, मेरठ की जांच आख्या में संलिप्त अधिकारियों से संबंधित रिपोर्ट पर कार्यवाही न किये जाने का बिन्दु है, के संबंध में स्थिति यह है कि मेरठ नगर निगम में ठेके की अनियमितता से संबंधित मण्डलायुक्त, मेरठ की जांच आख्या अगस्त, 2003 में प्राप्त हुई है। जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं की समस्याओं के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक ....

[चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को समुचित शिक्षण की व्यवस्था कराये जाने हेतु, शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के पूर्णकालिक रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्त होने तक की अवधि के लिये, ऐसे रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त काम चलाऊ, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शासनादेश संख्या वि0 21/सेक-4/71-98-6/98 दिनांक 4-7-1998 व शासनादेश संख्या 2782/सेक-4/71-98-6/98 दिनांक 12-10-1998 में उल्लिखित शर्तों के अधीन सेवानिवृत्त होम्योपैथिक चिकित्सा अध्यापकों, ख्यातिलब्ध होम्योपैथिक चिकित्सकों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी थी। आमंत्रित किये जाने वाले प्रवक्ताओं की प्रति व्याख्यान रु0 150/- के हिसाब से एक माह में अधिकतम 20 व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। इन आमंत्रित अतिथि प्रवक्ताओं को दिये जाने वाले मानदेय के भुगतान हेतु बजट की व्यवस्था नहीं थी, इन्हें दिये जाने वाले पारिश्रमिक मानदेय का भुगतान विभाग के वेतन भत्तों आदि की बचतों में उपलब्ध धनराशि के पुनर्विनियोजन से प्राप्त धनराशि से किया जाता है।

शासनादेश संख्या 533/सेक-4/71-2001-117/2000 दिनांक 17-2-2001 द्वारा प्रदेश के तीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों (मोहन कालेज लखनऊ, बिजनौर, जौनपुर) का संविलियन तीन अन्य राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों (नेशनल कालेज लखनऊ, मुरादाबाद, इलाहाबाद) में हो जाने के फलस्वरूप राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ व राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, इलाहाबाद में केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् नई दिल्ली द्वारा होम्यो0 मेडिकल कालेजों में निर्धारित मानक के अनुसार प्रवक्ता का पद लगभग भर जाने के कारण उक्त दोनों कालेजों के प्राचार्यों द्वारा अतिथि प्रवक्ता आमंत्रण व्यवस्था समाप्त कर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दी गयी। कालान्तर में पूर्व से आमंत्रित चल रहे अतिथि प्रवक्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ में होम्यो0 कालेजों में पुनः आमंत्रित किये जाने हेतु रिट याचिकायें घोषित की गयीं । मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिकाओं में से मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में अन्तिम रूप से निर्णय देते हुये याचिका निरस्त कर दी गयी। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अतिथि प्रवक्ताओं को पुनः आमंत्रित किये जाने हेतु दिये गये अन्तरिम आदेश में यह आदेश दिये गये कि, यदि पूर्व में आमंत्रित चल रहे अन्य अतिथि प्रवक्ताओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है, तो याचीगण को भी आमंत्रित किया जाय।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1979/71-4-2002-6/98 टी0 सी0 दिनांक 25-7-2002 द्वारा राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये पठन एवं पाठन की व्यवस्था को सुचारु रूप से चालू रखने हेतु अतिथि प्रवक्ताओं को आमंत्रित किये जाने की व्यवस्था को पुनः लागू करते हुये यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि प्रवक्ताओं का आमंत्रण प्रचलित आरक्षण के अनुपात के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पूर्व में आमंत्रित अतिथि प्रवक्ताओं द्वारा योजित रिट याचिका निरस्त हो जाने तथा पठन-पाठन हेतु आवश्यकता न पाये जाने के कारण प्राचार्य राजकीय होम्यो0 मेडिकल कालेज, इलाहाबाद द्वारा राजकीय टी0 डी0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल जौनपुर (संविलयित कालेज) में आमंत्रित चल रहे अतिथि प्रवक्ताओं को पुनः राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में आमंत्रित नहीं किया गया है। प्राचार्य राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल लखनऊ द्वारा शासनादेश के अनुरूप पूर्व में आमंत्रित रहे अतिथि प्रवक्ताओं को पुनः आमंत्रित किया गया है। आवश्यकता न होने तथा शासनादेश में इंगित आरक्षण व्यवस्था के कारण सामान्य वर्ग के कुछ अतिथि प्रवक्ताओं को आमंत्रित नहीं किया जा सका है। प्रकरण पर प्राप्त किये गये विधिक परामर्श के अनुसार उक्त दोनों होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया है तथा मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं को निरस्त कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी किये जाने का परामर्श दिया गया है। इस संबंध में मामलों की प्रभावी पैरवी करने हेतु शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक 3283/71-4-2003-6/98 टी0सी0 दिनांक 2-12-2003 द्वारा निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 को निर्देश दिये गये हैं।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में सृजित प्रवक्ता का पद लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 के परिधिगत है और उक्त पद पर चयन उ0 प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों (अध्यापकों की सेवा नियमावली) 1990 में इंगित प्राविधानों के अनुसार होता है और उक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्ति ही तैनात/नियुक्त हो सकते हैं। अतएवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयो में सृजित प्रवक्ताओं के पदों के विरुद्ध अतिथि प्रवक्ता, जो कि प्राइवेट होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तथा जिनका आमंत्रण नितान्त काम चलाऊ व्यवस्था हेतु किया गया है, का स्थाई समायोजन किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन के अर्द्धशासकीय पत्रांक 2232/से-4/71-2002-101/2002 दिनांक 2-9-2002 द्वारा अधियाचन लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 को भेजा जा चुका है।]

जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु जिला पंचायत द्वारा धन को अवमुक्त न किये जाने के संबंध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायतीराज मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खा)-

माननीय विधायक श्री राम इकबाल ...

[की संस्तुति पर ग्यारहवें वित्त आयोग की धनराशि से शासनादेश संख्या-473/73-1-2003, दिनांक 8-7-2003 द्वारा निम्न कार्य स्वीकृत किये गये थे :-

1-चिलकहर गांव में 01 किलोमीटर सीमेण्टेड सड़क।

2-पूर्व में 1.5 किलोमीटर सीमेण्टेड सड़क।

3-खेजुरी में 01 किलोमीटर सीमेण्टेड सड़क।

4-पकड़ी में 700 मीटर सीमेण्टेड सड़क।

उपरोक्त स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष शासन द्वारा धन न उपलब्ध होने के कारण निविदा आदि की कार्यवाही नहीं की गई है। शासनादेश संख्या-3179/33-3-2003-100(30)/2002 दिनांक 2-8-2003 द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये जिला पंचायत बलिया को 42.16 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। जिस पर 25 प्रतिशत अंशदान की धनराशि 10.34 लाख सम्मिलित करते हुये कुल रु0 52.70 लाख उपलब्ध था जिसके सापेक्ष जिला पंचायत बलिया में शासनादेश संख्या 334/33-सेल-2003 दिनांक 29-5-2003 द्वारा पूर्व से स्वीकृत कुल 14 कार्यों में से वरीयताक्रम में 1 से 3 तक के कार्यों पर निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर कार्य कराये जा रहे हैं। शेष क्रम संख्या-4 से 14 तक के कार्य तथा शासनादेश दिनांक 8 जुलाई, 2003 में स्वीकृत उक्त 4 कार्यों पर धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-852/33-सेल-2003 दिनांक 28-10-2003 द्वारा समस्त जिला पंचायतों को जारी निर्देशानुसार ऐसे कार्य जिन पर उक्त तिथि तक टेण्डर अथवा अनुबन्ध की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है, वे समस्त कार्य स्थगित कर दिये गये हैं। शासनादेश दिनांक 8 जुलाई, 2003 द्वारा स्वीकृत उक्त कार्य इसी परिधि में आ जाने के कारण वर्तमान में यह कार्य स्थगित है।]

जनपद फतेहपुर में बकेकर से मुसाफा तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र .....

[बिन्दकी अन्तर्गत मा0 विधायक अमर जीत सिंह जनसेवक जी द्वारा पुनः निर्माण हेतु प्रस्तावित बकेवर-मुसाफा-कुडनी मार्ग की कुल लम्बाई 11.10 कि0मी0 है, जिसमें बकेवर से मुसाफा तक मार्ग की लम्बाई 9.50 कि0मी0 है। यह अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। बकेवर-मुसाफा-कुडनी मार्ग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को सोलिंग से लेपन स्तर तक निर्मित कराये जाने हेतु रु0 85.71 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन में प्राप्त हुआ है।

चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 का सामान्य आय-व्ययक पारित होने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य की नये कार्य के रूप में स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।]

किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

दि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव .....

[की स्थापना वर्ष 1975-76 में सहकारिता क्षेत्र में की गई थी। इस चीनी मिल की पेराई क्षमता 1250 टन प्रति पेराई दिवस है। 1250 टन प्रति पेराई दिवस क्षमता वाली चीनी मिल को 20.00 लाख कुन्टल गन्ने की आवश्यकता होती है। विगत वर्षों में चीनी मिल सठियांव को कभी भी आवश्यकतानुसार गन्ने की उपलब्धता नहीं रही। विगत वर्ष मात्र 9.69 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की गई है तथा चीनी परता 7.57 प्रतिशत रहा।

2-चीनी मिल सठियांव की प्लान्ट मशीनरी बहुत जर्जर हो चुकी है और चीनी मिल को विगत वर्ष रु0 12.78 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है तथा अब तक रु0 87.94 करोड़ की संचित हानि हो चुकी है। चीनी मिल सठियांव की प्रति बोरी उत्पादन की लागत रु0 1990 आई है जबकि चीनी विक्रय से प्रति बोरा रु0 1230/-की प्राप्ति हुई है। इस चीनी मिल को चलाने पर रु0 1076.49 लाख की हानि होनी अनुमानित है जबकि इसे न चलाने पर रु0 765.66 लाख की आवश्यकता होगी। इस प्रकार चीनी मिल को न चलाये जाने पर प्रतिवर्ष रु0 310.83 लाख की बचत सम्भावित है।

3-इस मिल को चलाने पर शासन एवं अन्य स्रोतों से प्रतिवर्ष बहुत बड़ी धनराशि इस मिल को उपलब्ध करानी पड़ रही है। सत्र 2002-2003 में क्रय किये गये गन्ने का देय कुल मूल्य रु0 884.14 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा रु0 780 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है जो कुल देय गन्ना मूल्य का 88.22 प्रतिशत होता है। इसके अतिरिक्त इस मिल को मशीनरी मरम्मत आदि के लिए अलग से धन उपलब्ध कराना पड़ रहा है। इस वर्ष भी मिल द्वारा मशीनरी मरम्मत एवं बकाया वेतन के भुगतान हेतु धन की मांग की गई है।

4-इस चीनी मिल के क्षमता विस्तार किये जाने के संबंध में स्थिति यह है कि गन्ना वर्तमान क्षमता के लिए ही पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में विस्तारीकरण किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। चीनी मिल अत्यधिक वित्तीय हानि उठा चुकी है, अतः सामान्य मशीनरी रख-रखाव के लिए ही धनराशि उपलब्ध कराना बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ऐसी दशा में नई मशीनों के लगने के लिए धनराशि जुटा पाना लगभग असम्भव कार्य है। इसके अतिरिक्त कोई भी वित्तीय संस्था इतने घाटे में चलने वाली तथा ऋणात्मक नेटवर्क वाली मिल को ऋण उपलब्ध नहीं करायेगी।

5-चीनी मिल सठियांव की अलाभप्रदता के कारण चीनी मिल चलाए जाने का औचित्य नहीं पाये जाने पर इस क्षेत्र का गन्ना घोसी चीनी मिल को व्यावर्तित किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया है कि प्रतिदिन औसत गन्ना जो इस मिल द्वारा पिछले वर्ष पेरा गया था उससे 20 प्रतिशत अधिक मात्रा में गन्ने की पेराई प्रतिदिन के औसत पर उसके चलने की तिथि से ही सुनिश्चित की जाय ताकि गन्ना किसानों का हित सुरक्षित रह सके।]

जनपद चन्दौली के नौगढ़ वन क्षेत्र में अवैध कटाई के संबंध में श्री राम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मा0 सदस्य, विधान सभा .....

[श्री राम किशुन द्वारा चन्दौली के नौगढ़ वन क्षेत्र में अवैध कटान के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गई है :-

"उ0 प्र0 के विभाजन के बाद उत्तरांचल में अधिकतर वन क्षेत्र चला गया। प्रदेश में गिने चुने जिले सोनभद्र, मिर्जापुर आदि जिलों में कुछ बचे वन क्षेत्रों की अवैध कटाई नक्सलियों द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में हुआ है और वर्तमान समय में नौगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन की कटाई हो रही है। इसमें वन विभाग के अधिकारी व बसपा का वरिष्ठ नेता, जो पेशे से वकील है, के सांठ-गांठ से हो रही कटाई के जिम्मेदार हैं। इस पर रोक लगनी चाहिये और सरकारी सम्पदा को बचाया जाना चाहिये। अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनियमित रूप से की गई कटाई एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की मांग करता हूं।"

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली में काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर (वाराणसी) के अन्तर्गत नौगढ़ वनक्षेत्र की जयपोहनी रेंज में अवैध कटान/अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई। जयमोहनी रेंज के भैसोड़ा कम्पार्टमेंट 14, 17, 18,19 तथा अमदहा 18 में लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण, वृक्षों का कटान, बूट खोदने की कार्यवाही तथा खेती किया जाना पाया गया है। अतिक्रमणकारियों द्वारा जगह-जगह पर झोपड़ियों का निर्माण भी किया गया है। नौगढ़ वन क्षेत्र के नौगढ़ एवं मंझगई रेंजों की जांच की जा रही है।

3-पूछतांछ से ज्ञात हुआ है कि एक ब0स0पा0 नेता, जो पेशे से एडवोकेट हैं, के द्वारा धन लेकर अतिक्रमण कराया गया है। पूरे प्रकरण की जांच के उपरान्त अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जायेगी एवं वनभूमि पर अतिक्रमण को खाली कराने का प्रयास किया जायेगा।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश की अनुसूचित जाति में भर/राजभर जाति को सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मा0 सदस्य द्वारा सदन .....

[को यह सूचना दी गयी है कि उ0 प्र0 में भर/राजभर जाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं जिनकी आर्थिक, राजनैतिक स्थिति आज भी अत्यन्त दयनीय है। सामाजिक स्तर पर इस समाज के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। ये छूआछूत के शिकार भी होते रहते हैं। इस जाति को विमुक्त जाति के रूप में वर्ष 1951 में मान्यता दी गयी जिसमें 19 जातियां सम्मिलित थीं। 19 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया गया किन्तु भर/राजभर जाति जो क्रम सं0-17 पर थी उसे छोड़ दिया गया। जबकि भर/राजभर जाति को उ0 प्र0 में अनुसूचित जाति में रहना चाहिए।

उ0 प्र0 में भर जाति विमुक्त जाति की सूची में पूर्व से सम्मिलित है। ये जाति भर, राजभर के नाम से पिछड़ी जातियों की सूची में भी सम्मिलित है। किसी भी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने का अधिकार भारत सरकार में निहित है। इस जाति के प्रतिनिधियों एवं मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा यह मांग किये जाने पर कि भर/राजभर जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाय, उ0 प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेक्षण/अध्ययन करवाया गया। उक्त संस्थान की सर्वेक्षण/अध्ययन आख्या शासन को दिसम्बर, 2001 में प्राप्त हुई जिसमें यह संस्तुति की गयी कि भर/राजभर जाति व्यवसाय के कारण दलित नहीं है और न ही व्यवसाय के कारण किसी सामाजिक निर्योग्यता के अधीन है। भर/राजभर जाति के साथ कसौटी/मापदण्डों के बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त सूचना से स्पष्ट है कि इनके साथ पारम्परिक रूप से अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जाता है। केवल अज्ञानता, निरक्षरता एवं निर्धनता के कारण इनसे सवर्णों द्वारा अलगाव का व्यवहार किया जाता है। यह अलगाव सामाजिक निर्योग्यता के अधीन नहीं है, पारम्परिक अस्पृश्यता के मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुये भर/राजभर अनु0 जाति की श्रेणी में नहीं आते। संस्थान की उक्त आख्या के पश्चात् प्रश्नगत जाति के प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर संस्थान को पुनः स्पष्ट आख्या दिये जाने के निर्देश दिये गये। इस क्रम में संस्थान द्वारा पुनः एक रिपोर्ट शासन को 14 अक्टूबर, 2003 को उपलब्ध करायी है, जिसका परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है।]

जनपद गाजियाबाद की सिम्भावली तथा मोदी शुगर मिलों में 20 गन्ना क्रय केन्द्रों पर अभी तक तौल प्रक्रिया चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

गन्ना आयुक्त के आदेश.....

[संख्या-2 सी दिनांक 24-10-03 द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति धौलाना के 7 क्रय केन्द्र सपनावत प्रथम, जारचा प्रथम, जारचा द्वितीय, पारपा बीरपुरा, समाना प्रथम, समाना द्वितीय तथा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सहकारी गन्ना समिति हापुड़ के पांच क्रय केन्द्र सलाई सादिकपुर, साब्दीपुर, गिरधरपुर तुगरैल, नान, घुंघराला के चीनी मिल, मोदीनगर के पक्ष में तथा गन्ना आयुक्त के आदेश संख्या-1 सी दिनांक 24-10-2003 द्वारा 3 क्रय केन्द्र फगौता प्रथम, फगौता द्वितीय एवं भटैल क्रय केन्द्र को सिम्भावली चीनी मिल के पक्ष में आवंटित किया गया था किन्तु मोदीनगर एवं सिम्भावली चीनी मिलों द्वारा इन क्रय केन्द्रों का संचालन नहीं किया गया। क्रय केन्द्रों का संचालन न होने के कारण एवं जिलाधिकारी-गाजियाबाद की रिपोर्ट के आधार पर गन्ना आयुक्त ने अपने उपर्युक्त पूर्व आदेशों को संशोधित करते हुये पत्रांक-393 सी दिनांक 1-12-2003 के द्वारा उपरोक्त सभी क्रय केन्द्र अगौता चीनी मिल के पक्ष में आवंटित कर दिये। उपरोक्त क्रय केन्द्रों साब्दीपुर, गिरधरपुर-तुगरैल, भटैल, नान पर दिनांक 5-12-2003 को खरीद प्रारम्भ करते हुये क्रमशः 248 कुन्टल, 656 कुन्टल, 295 कुन्टल व 120 कुन्टल गन्ने की खरीद की गयी तथा सलाई सादिकपुर तथा घुघराला दिनांक 6-12-2003 को संचालित हुए एवं उक्त केन्द्रों पर क्रमशः 164 कुन्टल व 156 कुन्टल गन्ने की खरीद की गयी। जारचां प्रथम दिनांक 6-12-2003 को संचालित हुआ व 272 कुन्टल गन्ने की खरीद हुई। इसी प्रकार सपनावत प्रथम, जारचां द्वितीय, पारपा, बीरपुर, समाना प्रथम, समाना द्वितीय, फगौता प्रथम, पफगौता द्वितीय (संयुक्त खरीद) क्रय केन्द्रों पर दिनांक 7-12-2003 को खरीद प्रारम्भ हुई व क्रमशः 60 कुन्टल, 112 कुन्टल, 200 कुन्टल, 88 कुन्टल, 150 कुन्टल, 90 कुन्टल व 95 कुन्टल गन्ने की खरीद की गयी।

सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के प्रति सजग एवं संवेदनशील है एवं उपरोक्त सभी क्रय केन्द्रों पर गन्ने की खरीद की जा रही है।]

जनपद जौनपुर के धरमापुर बाजार की भूमि पर चकबन्दी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

श्री बीजू पटनायक .....

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 5-12-2003 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-सदर के अन्तर्गत वर्ष 1962 में उनके पिता श्री हीरा लाल पुत्र बटुक ने ढाई बिस्वा जमीन खरीदा था जिस पर तभी से वह लोग काबिज मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन चकबन्दी विभाग ने उनके अनुसूचित जाति होने के कारण उसमें किसी का 1/2 बिस्वा नाम डाल दिया है। वे सवर्ण जाति के हैं तथा बराबर कब्जा के लिए झगड़ा कर रहे हैं जिस पर बीजू पटनायक, राम नरायन, ओम प्रकाश पुत्र हीरा लाल काबिज चले आ रहे हैं।

2-प्रश्नगत सन्दर्भ में चकबन्दी आयुक्त से प्राप्त आख्या दिनांक 8-12-2003 के अनुसार ग्राम-धरमापुर की खतौनी (1381 फसली लगायत 1383 फसली) के खाता संख्या-205 में हीरा लाल, पुत्र बटुक का नाम श्रेणी-1 संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त खाते में दर्ज अमलदरामद के अनुसार नरायन प्रकाश वयस्क, विजयी अवयस्क, आयु 17 वर्ष वारिसान हीरा लाल का नाम दर्ज है। इस खाते जो मूल रूप से स्व0 हीरा लाल के नाम था, में गाटा संख्या-677/3 मं0 0.03$^{3\backslash 8}$ डि0, जो लगभग एक बिस्वां के समतुल्य है, दर्ज है। इस प्रकार यह कहना कि हीरा लाल पुत्र बटुक ने ढाई बिस्वां जमीन खरीदी थी, अभिलेखों के आधार पर सत्यापित नहीं होता है। गाटा संख्या-677/3 तथा कुछ अन्य खातों के रकबों को मिलाकर नया नम्बर 677/5 बनाया गया, जो मौके पर आबादी के रूप में है। इस नम्बर में दर्ज अन्य खातेदारों के नाम खतौनी के आधार पर अंकित है। गाटा संख्या-677/5 का कुल रकबा 0-19 डि0 है। किसी व्यक्ति का नाम चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान बढ़ाये जाने की शिकायत निराधार है। भूखण्ड के संबंध में चकबन्दी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति का कोई उत्पीड़न नहीं किया गया है।]

जनपद आजमगढ़ की नवनिर्मित तहसील मेंहनगर में तहसील-भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

श्रीमती विद्या चौधरी, ...

[मा0 सदस्या विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में नवनिर्मित तहसील मेंहनगर में भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु धन आवंटित करने हेतु सूचना दी गयी है।

2-इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा दिनांक 08-12-2003 को, जो सूचना/टिप्पणी उपलब्ध करायी गयी है, उसका विवरण निम्नवत् है :-

जनपद आजमगढ़ की नवनिर्मित तहसील मेंहनगर के अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या : 4271/1-5-2002-605/98-रा-5, दिनांक 17 जनवरी, 2003 द्वारा मानकी आगणन रु0 184.14 लाख के सापेक्ष रु0 5.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जो उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के वैयक्तिक लेखा खाते में दिनांक 31 मार्च, 2003 को अंतरित की गयी है। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् के पत्र संख्या : जी-302/12 (भवन)-52/97, दिनांक 02 जून, 2003 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु0 25.00 लाख की धनराशि माह नवम्बर, 2003 में अंतरित हुई है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तहसील मेंहनगर में रु0 8.00 लाख की धनराशि व्यय कर सामने की बाउन्ड्रीवाल, बोरिंग का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा मुख्य भवन के नींव का कार्य प्रगति में है। अवशेष धनराशि रु0 154.14 लाख यदि एकमुश्त उपलब्ध करा दी जाए तो तहसील भवन का निर्माण कार्य नवम्बर, 2004 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।]

श्री उपाध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 9 दिसम्बर, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (क)

(देखिये ता0 प्र0 सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

राप्ती बेसिन में जनपद देवरिया की स्वीकृत योजनाओं की सूची

क्रम संख्या	योजना का नाम
1	तिघरा मराछी बांध के किमी 1.200 पर ग्राम करहकोल के निकट बांध की सुरक्षा हेतु 4 अदद डैम्पनर एवं 60 मीटर पिचिंग का कार्य।
2	तिघरा मराछी बांध के कि0मी0 11.940 से 12.00 के मध्य ग्राम भेड़ी के निकट बांध की सुरक्षा 30 मीटर पिचिंग का निर्माण कार्य।
3	मराछी नगवा डौला बांध के कि0मी0 0.600 पर ग्राम मराछी के निकट बांध की सुरक्षा हेतु 2 अदद डैम्पनर का निर्माण कार्य।
4	मराछी नगवा डौला बांध के कि0मी0 0.750 तक ग्राम मराछी के निकट बांध की सुरक्षा हेतु 500 मीटर रिटायरमेंट 30 मी0 पिचिंग एवं 1 अदद डैम्पनर निर्माण कार्य।
5	नगवा छपरा बांध के कि0मी0 8.700 तक ग्राम डढिया के निकट बांध की सुरक्षा हेतु एक अदद डैम्पनर निर्माण कार्य।
6	मदनपुर केवटलिया बांध की सुरक्षा हेतु 3 अदद डैम्पनर निर्माण कार्य।
7	पचलड़ी बांध के कि0मी0 5.200 से 5.500 किमी ग्राम इसरापुरा के पास बांध सुरक्षा हेतु 150 मीटर स्लोप पिचिंग निर्माण कार्य।
8	पवलड़ी बांध के कि0मी0 5.300 से 5.500 ग्राम इसरापुरा के निकट बांध सुरक्षा हेतु 220 मी0 बांध का संटबैक एवं 200 मीटर स्लोप पिचिंग तथा एक अदद डैम्पनर निर्माण कार्य।
9	भुसवल पिडरा बांध के कि0मी0 1.200 से 1.300 के मध्य ग्राम भुसवल के पास सुरक्षा हेतु 4 अदद डैम्पनर निर्माण कार्य।
10	पाण्डेय माझा जोगिया बांध के कि0मी0 0.600 से 1.00 के बीच ग्राम खरमोहना के निकट बांध की सुरक्षा हेतु 400 मी0 रिटायरमेंट बांध का निर्माण कार्य।
11	पाण्डेय माझा जोगिया बांध के कि0मी0 1.600 से 2.00 के बीच ग्राम पाण्डेय माझा के निकट बांध की सुरक्षा हेतु 450 मी0 बांध का रिटायरमेंट तथा 2 अदद डैम्पनर का निर्माण कार्य।
12	नदइल संमरौना बांध के कि0मी0 3.250 से 3.900 के मध्य ग्राम गाय घाट के निकट बांध सुरक्षा हेतु 12 अदद डैम्पनर निर्माण कार्य।
13	पचलड़ी बांध के कि0मी0 7.750 के पास पलिया ग्राम के निकट बांध सुरक्षा हेतु 365 मी0 बांध का से-बैक एवं 165 मी0 स्लोप पिचिंग का कार्य।
14	पलिया छपरा बांध के कि0मी0 6.050 के पास ग्राम नरायनपुर के निकट बांध सुरक्षा हेतु 200 मी0 स्लोप पिचिंग एवं 2 अदद डैम्पनर निर्माण कार्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

(देखिये अता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

वर्ष 2000-01 एवं 2001-2002 में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भेजी गई छात्रवृत्ति का विवरण जनपद-आगरा

मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, 2000-2001

क्र0सं0	अनुसूचित जाति नि0 की संख्या	धनराशि में	पिछड़ी जाति वि0 की सं0	धनराशि रु0 में	अल्पसंख्यक वि0 की सं0	धनराशि रु0 में	विमुक्त जा0 वि0 की सं0	धनराशि रु0 में	अस्वच्छपेशा वि0 की सं0	धनराशि रु0 में	विकलांग वि0 की सं0	धनराशि रु0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1522	4,84,65,000	1890	3396400	836	16839000	59	80950	530	4125800	60	71200

जूनियर स्तर मान्यता प्राप्त विद्यालय वर्ष 2000-01

1	412	21810600	314	2015000	425	7657650	28	629304	121	664400	67	112800

वर्ष 2001-02 प्राथमिक स्तर पर मान्यता प्राप्त विद्यालय

1	1576	54360900	2099	4126500	522	12838200	34	503250	343	9030880	152	132000

जूनियर स्तर मान्यता प्राप्त विद्यालय वर्ष 2001-02

1	577	11176620	523	2844380	278	5922800	09	64000	131	3573430	111	206700

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2000-01 एवं 2001-2002 में परिषदीय विद्यालयों में भेजी गई छात्रवृत्ति का विवरण जनपद-आगरा

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय,

क्र0सं0	अनुसूचित जाति वि0 की संख्या	धनराशि रु0 में	पिछड़ी जाति वि0 की सं0	धनराशि रु0 में	अल्पसंख्यक जा0 वि0 की सं0	धनराशि रु0 में	विमुक्त जा0 वि0 की सं0	धनराशि रु0 में	अस्वच्छपेशा वि0 की सं0	धनराशि रु0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1014	32310000	810	1455600	556	11226000	26	377550	227	1768200

परिषदीय जूनियर हाईस्कूल विद्यालय

1	176	9347400	169	1085000	119	4123350	544	338856	46	2511600

वर्ष 2001-2002 (प्राथमिक स्तर परिषदीय विद्यालय)

1	1288	44477100	899	1768500	347	8558800	11	167750	86	22251200

परिषदीय जूनियर हाईस्कूल विद्यालय

1	184	415475320	158	849620	185	29172200	05	26000	87	1459570

पी0एस0यू0पी0-एल0 11 विधान सभा (25)-30-4-2004-813-कम्प्यूटर/आफसेट।

उत्तर प्रदेश विधान सभा